छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर

राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

छत्तीसगढ़ शासन,

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2018–19

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें (29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) आरक्षित है।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें से 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.55 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 19 जिलों (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र निम्नानुसार है :–

<u>छत्तीसगढ़</u>

(1) सरगुजा जिला

(2) कोरिया जिला

(3) बस्तर जिला

(4) दन्तेवाड़ा जिला

(5) कांकेर जिला

(6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला–1, गौरेला–2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

(7) कोरबा जिला

(8) जशपुर जिला

(9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।

(10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड

(11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड

(12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड

(13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

टीपः– **जिलों के पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्तमान में कमांक 01 पर सरगुजा जिला के अतिरिक्त बलरामपुर तथा सूरजपुर जिला, कमांक 03 पर बस्तर जिला के अतिरिक्त नारायणपुर तथा कोण्डागांव जिला, कमांक 04 पर दंतेवाड़ा जिला के अतिरिक्त बीजापुर तथा सुकमा जिला, कमांक 10 पर दुर्ग जिला के स्थान पर बालोद जिला कमांक 12 पर रायपुर जिला के स्थान पर गरियाबंद जिला अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार वर्तमान में 13 जिले पूर्ण रूप से तथा 06 जिले के आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। अतः उपरोक्तानुसार अनुसूचित क्षेत्र का युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित किया गया है।**

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1 – जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2 – कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3 – नारायणपुर		
4	कांकेर	4 – भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5 – दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6 – कोन्टा		
7	बीजापुर	7 – बीजापुर		
8	गरियाबंद	8 – गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1 –बलौदा बाजार	1 – धुरीबांधा
10	धमतरी	9 – नगरी	2 – गंगरेल	
11	महासमुन्द		3 – महासमुन्द –1	
			4 – महासमुन्द –2	
12	बालोद	10 – डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11 – राजनांदगांव	5 – नचनियां	2 – बछेराभाटा
14	कबीरधाम		6 – कवर्धा	
15	सरगुजा	12 – अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13 – सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14 –पाल (रामानुजगंज)		
18	कोरिया	15 – बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16 – कोरबा		
20	बिलासपुर	17 – गौरेला		
21	मुंगेली			
22	जांजगीर–चांपा		7 – रूगजा	
23	रायगढ़	18 – धरमजयगढ़	8 – सारंगढ़	
			9 –गोपालपुर	
24	जशपुर	19 – जशपुरनगर		

1.4 राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है। छत्तीसगढ़ उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य छत्तीसगढ जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नांकित है :–

(अ) छत्तीसगढ़ (जनगणना 2011)

❖ प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,191वर्ग किमी.
❖ . प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल	81861.88वर्ग किमी.
❖ अनुसूचित क्षेत्र का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	60.55 प्रतिशत
❖ प्रदेश की कुल जनसंख्या	255.45 लाख
❖ प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख
❖ प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	30.62 प्रतिशत

(ब) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र :–(जनगणना 2011)

❖ आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
❖ आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल	65.12 प्रतिशत
❖ भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	
❖ कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	115.61 लाख
❖ उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	45.26 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उपयोजना क्षेत्र की अनु.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	56.09 प्रतिशत
❖ अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	102.79 लाख
❖ अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	57.09 प्रतिशत
❖ प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	75.02 प्रतिशत
❖ उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत	90.50 प्रतिशत

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, दोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। अन्य जनजातियों

की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियॉ का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005–06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख थी। वर्ष 2015–16 में नवीन बेस लाईन सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 1.84 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडो तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त रूप से समुदाय मूलक, परिवार मूलक तथा अधोसंरचना मूलक कार्य संबंधित अभिकरणों द्वारा विभिन्न एजेसियों के माध्यम से क्रियान्वित संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं :–

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :–

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। गृह विभाग भारत सरकार द्वारा 05 फरवरी 2019 के राज्यवार जारी LWE जिलों की सूची मे 14 जिले सम्मिलित किये गये है जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, बालोद, एवं राजनांदगांव है।

1. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

   केन्द्र सरकार द्वारा दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2–2 तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेगी और शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।

2. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवासगृह आदि का निर्माण किया जायेगा।

3. सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों से भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई हैं इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4/82/गृह–सी/2001/दिनांक 20 अक्टूबर 2004 में उल्लेख अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है –

अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो

अथवा

ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक

शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।

4. पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुर्नव्यवस्थापन के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुर्नव्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो अंतर्विभागीय समिति उसका निराकरण करेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।

6. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :–

(1)उम्र (2) शिक्षा (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना।

7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा ईनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के

संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष "मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200– अन्य योजना–2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायता अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	–	रू.	3,00,000
2.	ए.के.–47 रायॅफल	–	रू.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	–	रू.	1,00,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	–	रू.	50,000
5.	12 बोर बन्दूक	–	रू.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जायेगा और उन्हें पुर्नव्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों को यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

12. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की गई है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई ''कटऑफ'' तिथियां यथावत रहेंगी।

13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक/ कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पद्धति से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पी.व्ही.टी.जी.) के व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

15. यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यतानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

17. नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

18. नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि उनके पुत्र–पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहते हों, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।

20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4''शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना– 2653 पूर्वा दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंबटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कराना आवश्यक है।

23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।

24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :–

1.	घायल को–क. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	 रू. 50,000 (रू.पचास हजार) रू. 10,000 (रू. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	 रू. 10,000 (रू. दस हजार) रू. 20,000 (रू. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रू. 10,000 (रू. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रेक्टर, जीप आदि	रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आयेंगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोड़कर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति,जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।

28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु

उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आबंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आबंटित कर सकेंगा।

1.9 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015

गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट/शिकायत पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जाकर समय–सीमा में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।

3. राज्य में कुल 11 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर तथा कोरिया जिलों हेतु स्वीकृत है। जिसमें 08 यथा– रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा तथा

रायगढ़ में विशेष न्यायालय कार्यरत है। अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति शासन द्वारा की गई है तथा उनके परफार्मेंस की समीक्षा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय :–

(1) अंतरण पर प्रतिबंध :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

धारा 165(6)

''उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (Aboriginal Tribe) होना घोषित किया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार –

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा,

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न को, जो कि किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।''

इस तरह राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी कृषक के द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को ही किया जा सकता है, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नही। राज्य में कुल 146 विकासखंड है, जिनमें से 85 विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 61 विकासखंड गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 85 अधिसूचित विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। शेष 61 गैर अधिसूचित विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि जिला कलेक्टर की

अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती है, अन्यथा नही। अधिनियम में उक्त प्रावधान वर्ष 1976 से लागू किये गये है।

(2) कपटपूर्वक किये गये अन्तरण की जांच :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में या वर्ष 1976 में संशोधित उक्त प्रावधान लागू होने के पूर्व कपटपूर्वक किये गये अन्तरणों या अन्य रीति से किये गये अन्तरणों की जांच करने, ऐसा अन्तरण विधि विरूद्ध या असद्भाविक पाये जाने पर ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 170 में प्रावधान किये गये है। संक्षेप में प्रावधान निम्नानुसार है :–

(1) धारा 170 में यह प्रावधान किया गया है, कि वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्व यदि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि अन्तरण किया गया हो, अथवा वर्ष 1978 के बाद की स्थिति में, अन्तरण के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर मूल भूमि स्वामी के द्वारा स्वयं या उसके वारिसानों द्वारा ऐसे अन्तरित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जाने का प्रावधान है।

(2) संहिता की धारा 170 में वर्ष 1980 में नया प्रावधान शामिल कर नवीन धारा 170(ख) शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1980 के पूर्व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा धारित भूमि यदि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के कब्जे में हैं, तो कब्जेदार 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करेगा, कि वह भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। ऐसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी, कि अन्तरण सद्भाविक है, या नही। यदि अन्तरण असद्भाविक पाया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि मूल कृषक या उसके वारिसानों को वापस किया जावेगा। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, कि उक्त संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अर्थात वर्ष 1980 से 2 वर्ष के भीतर यदि कब्जेधारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो यह उप धारणा की जावेगी, कि अंतरण असद्भाविक है।

(3) वर्ष 1998 में अधिनियम की धारा 170 (ख) में उपधारा (2–क) शामिल कर यह नवीन प्रावधान शामिल किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी को अंतरण की जांच करने के लिए जो शक्तियां प्राप्त है, वह अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को होगी। इस तरह वर्तमान प्रावधानों के

अनुसार उक्त शक्तियां अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भी प्राप्त है। यदि ग्राम सभा उक्त कार्यवाही करने में असमर्थ होती है, तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी।

(4) अधिनियम की धारा 170(ग) में गैर आदिवासी को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही अधिवक्ता नियोजित करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 170(घ) द्वारा ऐसे समस्त आदेश, जो 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात धारा 170 के तहत पारित किये गये हैं, उनमें द्वितीय अपील वर्जित किये गये है।

(5) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि अंतरण संबंधी मामलों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

प्रावधान लागू होने से अब तक दर्ज प्रकरण	अब तक निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग के पक्ष में निराकृत प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग को लौटाई गई भूमि का रकबा	कब्जा देने हेतु शेष प्रकरण	रकबा
44464	44093	371	18037	12212.147 हे.	81	100.183

कब्जा नहीं सौंपने का कारण प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा स्थगन होना है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ. ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयनः—

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋणग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ. ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :—

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2014—19 दिनांक 01 नवंबर 2014 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायत के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :—

ब्याज अनुदान :—पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :—

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक।

ख. मध्यम एवं वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।

ग. मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक।

1. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

ख. मध्यम उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 90 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 125 लाख।

ग. वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत रु. 140 लाख।

घ. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

क्षेत्र	**विवरण**
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख

परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :–

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

2. विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु) :–

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :– केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

3. औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :–

1. उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत

छूट दी जाएगी एवं भू–भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

2. औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गो के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

   आरक्षण की अवधि नियम दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जाएगी।

5. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।

6. मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट–4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियाँ, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बीईई) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए

प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :-

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किए गए भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

7. मार्जिन मनी अनुदान :-

रु. 5 करोड़ के पूँजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांक योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख होगी।

8. औद्योगिक पुरस्कार योजना :-

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

9. अन्य आर्थिक प्रोत्साहन :-

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :-

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)

(केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीप :– नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्को एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्को में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

1.13 अनुसूचित क्षेत्र मे आबकारी नीति :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलंभन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छूट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61घ में प्रावधान है :–

आबकारी अधिनियम की धारा 61घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट –

1. इस अधिनियम के उपबंध, आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :–

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड़ में हैं, जो निम्नानुसार है :–

धारा 61 ड़ मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति –

(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसि़द्ध करने की शक्ति होगी।

परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नही की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकाय, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलों से राहत :– जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को नियम– कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरूद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

❋❋❋❋❋

अध्याय–2

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन

–– 0 ––

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :–

राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हेतु

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :–

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग जनजाति सलाहकार परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है। परिषद के गठन संबंधी अधिसूचना निम्नानुसार है :–

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक/एफ–20–2/2009/आजाकवि/25–2 : छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.05.2009 एवं 13.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	–	अध्यक्ष
2.	मान.श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग	–	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	–	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	–	सदस्य

5.	मान.श्री विक्रम उसेंडी, सांसद, कांकेर	–	सदस्य
6.	मान.सुश्री चम्पादेवी पावले, विधायक भरतपुर–सोनहत	–	सदस्य
7.	मान.श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक, प्रतापपुर	–	सदस्य
8.	मान.श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर	–	सदस्य
9.	मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	–	सदस्य
10.	मान.श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव	–	सदस्य
11.	मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	–	सदस्य
12.	मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	–	सदस्य
13.	मान.श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	–	सदस्य
14.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	–	सदस्य
15.	मान.श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	–	सदस्य
16.	मान.श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला–मानपुर	–	सदस्य
17.	मान.श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा	–	सदस्य
18.	मान.श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	–	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	–	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 1 जुलाई 2018 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–03 एवं 04 पर संलग्न है।

2.3 राजनीतिक आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 लोकसभा सदस्यों मे से 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यगण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.4 विधानसभा में आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :–

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गो को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.6 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का मानवशास्त्रीय, नृजातीय एवं मोनोग्राफ अध्ययन तथा पीव्हीटीजी का सर्वेक्षण कार्य :–

परिचय :–

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधनिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत देश की 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य –

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधरभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वर्ष 2018–19 में संस्थान द्वारा संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है–

मानवशास्त्रीय अध्ययन –

1. बैगा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
2. मझवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

नृजातीय अध्ययन –

1. बिरझिया जाति का नृजातीय अध्ययन
2. बियार/ब्यार जनजाति का नृजातीय अध्ययन

मोनोग्रापफ अध्ययन –

1. कंवर जनजाति का प्रथागत कानून

भाषा–बोली एवं शब्दकोष –

1. हिन्दी–खड़िया शब्दकोष
2. खड़िया बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
3. बैगानी बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
4. हिन्दी–धुरवी शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका

जनजातीय बोलियों में वर्णमाला –

1. हिन्दी–हल्बी वर्णमाला
2. कुडुख बोली का हिन्दी भाषा में अल्फाबेट चार्ट

प्रकाशन –

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के प्रमुख जनजातीय समुदायों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 तथा संशोधन नियम 2012 के प्रावधानों की सामान्य जानकारी जनजाति समुदायों को उनमें प्रचलित बोलियों में समझाने एवं प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से **गोंडी, हल्बी, भतरी, कुडुख, सादरी, खड़िया** एवं **बैगानी** बोलियों में लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई।

मूल्यांकन अध्ययन –

विकास प्राधिकरणों के द्वारा असाध्य पंपों के उर्जीकरण हेतु दी गई स्वीकृतियों के फलस्वरूप कोरबा, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिले के हितग्राही किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं जीवनयापन स्तर में हुए बदलाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

प्रशिक्षण –

बस्तर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव जिले में विभिन्न विभागों के अमले, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मात्रात्मक/वर्तनी त्रुटि सुधार संबंधी छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश, राज्य में लागू वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में एवं भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की मंशानुरूप बस्तर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत सितम्बर माह में स्वास्थ्य–पोषण एवं स्वच्छता के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 750 प्रतिभागियों की सहभागिता रही।

विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता –

राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.08.2018 को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सक्रिय सहभागिता देते हुए जनजातीय क्षेत्रों के लोक नर्तक दलों का प्रस्तुतिकरण कराया गया।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण–पत्रों की जांच :–

संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच से संबंधित अब तक कुल 757 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कार्यवाही पूर्ण करते हुए 583 प्रकरणों में आदेश पारित किये जा चुके हैं। आदेश पारित प्रकरणों में **296** जाति प्रमाण–पत्र सही पाये गये एवं **287** जाति प्रमाण–पत्र गलत पाये गये। जांच हेतु 174 प्रकरण शेष है जिसमें से 32 प्रकरण विजिलेंस सेल के पास अन्वेषणाधीन है। शेष 142 प्रकरण समिति के समक्ष सुनवाई एवं विचारार्थ हेतु प्रक्रियाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप दिनांक

01.04.2018 से **31.03.2019** तक **15** प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये हैं जिनमें से 05 जाति प्रमाण–पत्र सही एवं 10 जाति प्रमाण–पत्र गलत पाये गये।

जाति प्रमाण पत्रों का प्रदाय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 8वी से 12वीं में शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर जाति प्रमाण तैयार कर निःशुल्क प्रदान किये जा रहे है ताकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े एवं विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उन्हे जाति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सके।

2.7 अनुसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :–

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनाः–

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन मे स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना 2010'' का संचालन प्रारंभ किया गया। इस योजना में प्रमुख रूप से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनांतर्गत 3039.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है :–

1. **आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग**

(1) आस्थाः नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है । इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्तमान में संस्था में 231 विद्यार्थी इस योजना से निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उक्त आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पर वर्ष 2007 से संचालित है ।

(2) निष्ठा : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क

प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2018–19 में 117 बच्चे राजनांदगांव जिले के कुल 12 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है।

(3) प्रयास :''मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना'' के महत्वाकांक्षी घटक के रूप में प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में प्रयास आवासीय बालक विद्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 26 जुलाई 2010 को किया गया। इसमें नक्सल प्रभावित 16 जिलों कांकेर/ कोण्डागांव/बस्तर/नारायणपुर/बीजापुर/सुकमा/दंतेवाड़ा/जशपुर/बलरामपुर/अंबिकापुर/ कोरिया/धमतरी/महासमुंद/गरियाबंद/ बालोद एवं राजनांदगांव के कक्षा 8 वीं/10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान/गणित विषय के अध्यापन के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, बस्तर, कांकेर एवं बिलासपुर में संचालित किये जा रहे है तथा जशपुर एवं कोरबा जिला मुख्यालय पर फाउंडेशन प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु संचालित है जिसमें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के बैसिक की तैयारी कराई जाती है। उक्त योजना अंतर्गत सत्र 2018–19 में विभिन्नय प्रयास आवासीय विद्यालयों में कुल 3690 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से अब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :–

सत्र/ वर्ष	संस्था का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	परीक्षा परिणाम प्रतिशत में
2012	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	250	171	75	04	100%
2013	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	137	134	03	--	100%
2014	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	272	225	40	01	98%

2015	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	01	100%
2016	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	01	100%
2017	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	4	99.27%
2018	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	701	653	43	01	99.43%
2019	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	783	703	63	-	97.80%

प्रयास आवासीय संस्था का बोर्ड परीक्षा परिणाम
सत्र 2018—19

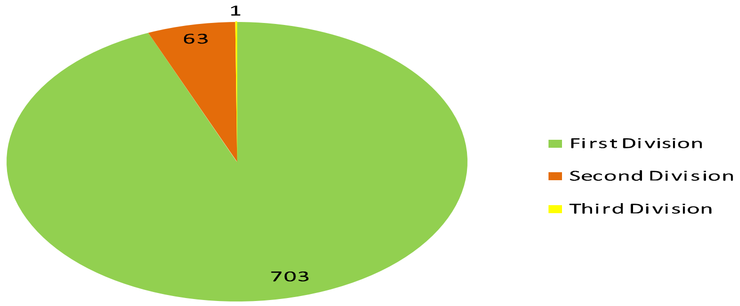

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित/प्रवेशित छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	बैच	एनआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	आईआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	पीएमटी में प्रवेशित
2010-12	प्रथम बैच	12	2	130	0
2011-13	द्वितीय बैच	20	1	45	1
2012-14	तृतीय बैच	8	0	81	3
2013-15	चतुर्थ बैच	7	6	84	3
2014-16	पंचम बैच	30	6	92	12

2015-17	षष्ठम बैच	40	8	96	8
2016-18	सप्तम बैच	17	18	85	0
2017-19	अष्ठम बैच	41	11	82	8
योग		**175**	**52**	**695**	**35**

अभिनव पहल :–

1. सत्र 2018–19 आई.आई.टी. में प्रवेशित 11 विद्यार्थियों को रू. 40,000 प्रतिवर्ष प्रदाय किया जा रहा है।
2. सत्र 2018–19 से 02 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय क्रमशः कोरबा तथा जशपुर जिले में स्थापित/प्रारंभ किये गये है।
3. सत्र 2017–18 से आई.आई.टी तथा एन.आई.टी में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटाप उच्च अध्ययन में सुविधा हेतु प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 50 विद्यार्थियों को लैपटाप प्रदाय किया गया है।
4. प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बस्तर, कांकेर कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित है, जबकि जशपुर तथा कोरबा कक्षा 9वीं से 10वीं तक संचालित है।

(4) सहयोग :मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना:–

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में जो अभिरूचि रखते हैं तथा गुणवत्तापूरक शिक्षा से वंचित है। उन्हें पूर्ण संशाधनों के साथ अवसर उपलब्ध कराकर विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013–14 से अभिनव योजना के रूप में जिला दुर्ग में (कन्या) प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिले में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों के अभाव की पूर्ति करना हैं।

कुल स्वीकृत सीट :– योजनांतर्गत जिला दुर्ग में 500 सीटर (कन्या) एवं जिला जगदलपुर में 500 सीटर (बालक) विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लाभान्वित जिलें :–इस योजनांतर्गत जिला अंबिकापुर, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कोण्डागांव, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, कांकेर, रायगढ़, गरियाबंद एवं कोरबा जिले के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

छात्राओं को प्रदत्त सुविधाएं :- योजना के तहत निम्नानुसार निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है–

(i) निःशुल्क सुविधा युक्त आवासीय व्यवस्था
(ii) शैक्षणिक पाठ्य वस्तु
(iii) छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा
(iv) निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था
(v) निःशुल्क भोजन व्यवस्था
(vi) निःशुल्क स्मार्ट क्लास एवं वाईफाई की व्यवस्था इत्यादि

5. वर्ष 2018–19 में जिला दुर्ग एवं जगदलपुर में निम्नानुसार छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् है:–

जिला : दुर्ग

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	रिपीटर्स	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी	एम.कॉम			
78	109	44	105	06	25	25	392

जिला :– जगदलपुर

स्नातक			योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	
20	49	31	100

लाभान्वित छात्राए–

1. 07 छात्राए पंचायत व्याख्याता के पद पर पदस्थ।

2. प्री.बी.एड़ परीक्षा 2016 में 216 छात्राए उत्तीर्ण हुई है।

3. प्री.बी.एड़ परीक्षा 2017 में 30 छात्राए उत्तीर्ण हुई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2018–19

राज्य के प्रतिभावान निर्धन आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तामूलक शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता है। योजनांतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के 130 अनूसचित जनजाति तथा 70 अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं का चयन कर बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में (कक्षा 6वीं में 150 एवं 9वीं में 50 विद्यार्थियों) को प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2018–19 में कुल रूपये 1400.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसके विरूद्ध रूपये 974.10 लाख का व्यय हुआ है। योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 973 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है।

5. आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :–

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से 500 सीटर छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अब तक 28 छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

6. वनबंधु कल्याण योजना :–

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उदेश्य से ''वनबंधु कल्याण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें रू. 980.68 लाख का व्यय किया गया। योजनांतर्गत लाइवलीहुड, कौशल परीक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएं तथा विद्यार्थियों को को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे है। वर्ष 2015–16 में योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल है को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 06 आश्रम विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब तक रू.1384.50 लाख की स्वीकृति दी गई है। जिसके विरूद्ध भारत सरकार से राशि रू. 1273.44 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। आबंटित राशि 06 जिलों क्रमश :– बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं गरियाबंद के लिये आश्रम भवन निर्माण हेतु जारी किया गया है।

7. **खाद्यान्न सुरक्षा योजना** :–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास–आश्रम में ''खाद्यान्न सुरक्षा योजना'' लागू की गई है।

8. **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयः**–भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये गए हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़, जिला–बीजापुर

वर्तमान में 06 बालक तथा 02 कन्या एवं 33 संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इस प्रकार प्रदेश में कुल 41 आवासीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित किये जा रहें हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान हैं। शिक्षण सत्र् 2019–20 में 7961 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड से अध्यापन कराया जा रहा हैं। निकट भविष्य में इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने की विभाग की योजना हैं।

Eklavya Model Residential School Chhuri

शिक्षण सत्र् 2018–19 में कक्षा 10वीं का परीक्षाफल 98.67 प्रतिशत रहा। जिसमें 537 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए, इसी प्रकार कक्षा 12वीं का परीक्षाफल 89.55 प्रतिशत रहा प्रथम श्रेणी

में 254 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला जिला कोरबा का छात्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कंवर कक्षा 10 वीं की राज्य स्तर की प्रवीण्य सूची में 10 वॉ स्थान अर्जित किया है । जिनका परीक्षा परिणाम 96.66 प्रतिशत रहा है।

नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना

नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 विद्यार्थियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत राशि रूपये 550.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक 1777 विद्यार्थियों के लिये शिक्षण, मेस एवं छात्रावास हेतु जिलों को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय उपलब्धि राशि रू 161.00 लाख है।

10 छात्र भोजन सहाय योजना :– विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु प्रति छात्र –छात्रा रू. 500/– प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु रू.1256.00 लाख का बजटीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 23960 है।

11. विशेष शिक्षण योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रवीणता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

12. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) :– चिकित्सा सुविधा अप्राप्त/विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु रू. 215.00 लाख का बजटीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 71360 था, जिसमें से 66798 छात्र/छात्राएं लाभान्वित रहे है।

13. आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :—

आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्ययंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल रू. 10,000/—दिये जाने का प्रावधान है। योजनांर्गत जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आबंटन उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018—19 में राशि रू.100.00 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2018—19 तक 6360 हितग्राहियों (सांस्कृतिक दलों) हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जा चुका हैं । वित्तीय उपलब्धि राशि रू 73.00 लाख है।

14. आदिवासी संस्कृतिक का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का मरम्मत/निर्माण योजना :—

आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धास्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006—07 से संचालित है। वर्ष 2017—18 से योजना अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रू.1.00 लाख का आबंटन जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018—19 में राशि रू. 400.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2018—19 तक 4929 देवगुड़ी का मरम्मत/निर्माण हेतु आबंटन उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय उपलब्धि राशि रू 359.00 लाख है।

15. युवा करियर निर्माण योजना :—वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुख्य रूप से शासकीय शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर की जाती थी जिसके कारण योजना में सफलता का प्रतिशत कम रहता था। उक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2006 में युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को Out sourcing करके देने का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसका परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा है। वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए बैंकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग के कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। वर्तमान में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम तथा नारायणपुर में संचालित की जा रही है, एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु

रायपुर एवं दुर्ग में 50–50 सीटें स्वीकृत है। योजनांतर्गत वर्ष 2008 की राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में कुल 26 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयन हुआ है। वर्ष 2012–13 में बैंकिग, रेल्वे भर्ती इत्यादि परीक्षाओं में 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। उल्लेखनीय है इनमें से 4 प्रतिभागियों का प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में चयन हुआ है वर्ष 2011 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में कुल 09 अभ्यर्थी, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयनित हुए है। वर्ष 2012 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की 02 माह की अल्पावधि में कोचिंग संचालित की गई जिसमें कुल 32 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया गया। जिसमें 04 अभ्यर्थी अंतिम रूप से विभिन्न पदों पर चयनित हुए है जिसमें कु. आराध्या कमार, विशेष पिछड़ी जनजाति की अभ्यर्थी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद हेतु हुआ है। वर्ष 2014–15 में जिला– रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में कुल 293 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 35 अभ्यर्थी विभिन्न पदों चयनित हुए। इसी तरह वर्ष 2015–16 में कुल 300 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 32 अभ्यर्थी एवं वर्ष 2016–17 में कुल 300 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 40 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पर हुआ इसी तरह वर्ष 2017–18 में कुल 300 प्रवेशित अभ्यर्थियों में से 33 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पर हुआ है।

16 ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :–देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए द्वारका नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हास्टल संचालित किया जा रहा है। इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए आवासीय सुविधा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। साथ ही संस्था में पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठयक्रम में प्रवेश लेकर उत्कृष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है जहां आवास करने वाले चयनित प्रशिक्षणार्थियों प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को भोजन, आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है।

100 सीट्र इस हॉस्टल में 50 सीटे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु एवं 25–25 सीटे उच्च शिक्षण संस्थानों एवं अन्य अखिल भारतीय सेवा की तैयारी हेतु निर्धारित है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के 247 अभ्यर्थी अब तक इस योजना से लाभान्वित हुए है। यहां अध्यनरत 71 अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित

परीक्षाओं में विभिन्न पदो पर अपनी सेवाएं दे रहे है। वर्ष 2016 की यू.पी.एस.सी. परीक्षा में श्री पीयूष लहरे 969 वॉ रैंक प्राप्त कर IRTS के पद पर चयनित हुए। श्री लाल दास (746 वॉ रैंक) व श्री गगन गिरी गोस्वामी ने (710 वॉ रैंक) वर्तमान में IRS पद पर कार्यरत् है। इसी प्रकार वर्ष 2017 की यू.पी. एस.सी. की परीक्षा में श्री अजय चौधरी ने 640 वॉ रैंक प्राप्त कर IPS हेतु चयनित हुए। श्री फागेश सिन्हा एवं श्री विक्रम बहादुर, सहायक कमाण्डेन्ट जैसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त करने में सफल हुए। वर्ष 2018–19 में 24 अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की।

17. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पालक आयकर दाता नहीं है उन्हे यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू एक लाख की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में 01 अभ्यर्थी इस योजना से लाभान्वित हुए है।

18. मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :–

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जषपुर जिले में 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदेष्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।

वर्ष 2018–19 की स्थिति में मल्टी सेक्टोरल डेव्लपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जिला जशपुर के लिये अब तक कुल राशि रू.2755.02 लाख (केन्द्रांश राशि रू.1869.94 लाख एवं राज्यांश राशि रूपए 885.08 लाख) का आबंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देश में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 तक केन्द्रांश में राशि रू 1557.03 लाख एवं राज्याशं में राशि रू. 646.23 लाख इस प्रकार कुल राशि रू 2203.26 लाख व्यय किया गया है।

2.8 परियोजना सलाहकार मण्डल :–

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ–23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए हैं तथा सदस्य सचिव, परियोजना प्रशासकों को बनाया गया। इस का संगठन निम्नानुसार है :–

1. अध्यक्ष –

   राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष।

2. सदस्य –

   क. जिला पंचायत अध्यक्ष।
   ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।
   ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।
   घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होंगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।
   ञ. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
   च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।
   छ. कलेक्टर।
   ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।
   झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
   ञ. अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ–23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलो के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि के उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से

राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में ना लिया जाए जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :–

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कूलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज–सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.9 परियोजना क्रियान्वयन समिति :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। जो कि छ.ग. राज्य में क्रियाशील है। इस समिति के निम्न कार्य हैः–

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यो में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.10 आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया हैं कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु :–

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ 7–5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

गठन एवं विस्तार :–

प्रारंभ में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव ही सम्मिलित किए गए थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, बालोद जिले का डौण्डी लोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का ''नचनिया'', जिला कवर्धा का ''माडा'' एवं गरियाबंद जिले का क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सुरजपूर एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले की गौरेला परियोजना को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

उद्देश्य :–

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

बजट प्रावधान :–

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3497.28 लाख जारी किया गया। जिसमें 677 निर्माण कार्य एवं 161 हितग्राही मूलक कार्य सम्मिलित हैं।

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए प्रावधानित 3500.00 लाख के विरूद्ध 3499.38 लाख की राशि जारी की गई है। जिसमें 463 निर्माण कार्य एवं 156 हितग्राही मूलक कार्य सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विकास कार्यो की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन :–

राज्य के अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र./एफ–7–9/04/1/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र :–

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहां कार्य लिये जाते है।

प्रावधान :–

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है। वर्ष 2018–19 में प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3487.75 लाख जारी किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4–1/2019/01/06 रायपुर दिनांक 27.02.2019 द्वारा पूर्व में गठित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को समाप्त करते हुए क्रमशः बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया हैं।

गठन एवं विस्तार :–

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः– बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं सुकमा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग है, तथा मुख्यालय जगदलपुर है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः– सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर एवं कोरिया जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग है, तथा मुख्यालय अम्बिकापुर है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमशः– गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलौदाबाजार–भाटापारा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग है, तथा मुख्यालय रायपुर है।

2.11 अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :–

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन–

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग–9 के	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129–ड में निम्न प्रावधान रखे गये है– अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में

	अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129–ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है– 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापित या	धारा 170–ख–आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की

	पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रारूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2—क)—यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

		(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।
4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरूद्ध तथा अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा–170–ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2–क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार हैः– (2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू–स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी। (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

2.12 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(ए) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 30 मार्च 2002 को विधिवत्

किया गया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधिपति हैं। इस प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु सदस्य सचिव (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी), उप सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के समकक्ष) एवं अवर सचिव (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समकक्ष) की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ राज्य के समस्त 23 न्यायिक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं उन जिलों के अधीनस्थ वर्तमान में कुल 65 तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। जिलों में स्थापित प्राधिकरणों का अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रावधानित किए गए हैं एवं तालुका समितियों में वरिष्ठ न्यायाधीश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के समकक्ष अधिकारी) की नियुक्ति की गई है तथा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष) की नियुक्ति की गई है।

विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति के कार्य :–

- न्यायालय के समक्ष किसी मामले अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियों को चलाने में लोगों को होने वाली समस्याओं को सुलझाने एवं सलाह मशविरा दिए जाने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता एवं कानूनी सेवाएं देना।
- निरंतर लोक अदालतों का आयोजन करना जिसके माध्यम से न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं न्यायालय में दायर किए जाने से पूर्व के मामलों (प्री–लिटिगेशन) का बिना किसी कानूनी बारीकियों, खर्चे एवं समय को बचाते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के द्वारा दोनों पक्षों को समझा–बुझाकर मामलों का निपटारा करना।
- जनसाधारण के बीच सामाजिक तथा कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर कानूनी जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन करना।
- सजायाफ्ता बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण राज्य में विधिक सेवा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है (जिसमें अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित हैं)। प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2018–19 में हुए विकास कार्यों का वार्षिक जानकारी निम्नानुसार है :–

1. विधिक सहायता एवं सलाह
2. लोक अदालत
3. स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा)
4. पेंशन लोक अदालत
5. जेल लोक अदालत एवं अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों को विधिक सहायता
6. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर
7. मध्यस्थता केंद्र
8. निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा योजना
9. लीगल एड क्लीनिक
10. स्कूलों/महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता/विद्यार्थी क्लब का गठन
11. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विधिक सहायता योजना
12. विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार–प्रसार योजना
13. अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन
14. एसिड हमलों से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास की निगरानी
15. मनोरोगी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सेवाएं
16. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011
17. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011
18. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
19. दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सेवा योजना
20 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएँ
21. विषेष विधिक सेवा षिविर
23. न्याय संगवारी

1. <u>विधिक सहायता एवं सलाह :–</u>

इस योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन या प्रस्तुत करने योग्य प्रकरणों में पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता, प्रकरणों में होने वाले व्यय एवं अधिवक्ता की नियुक्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा दी जाती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत सबको न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के निर्धन एवं सीमांत हितग्राहियों के लिए विधिक सेवा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार पात्रता श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है :–

- वह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।
- वह व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहारों से या बेगारों से सताया गया है।
- स्त्री या बालक है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।
- वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु–विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़–सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है या
- कोई औद्योगिक कर्मकार है या
- अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में रखा व्यक्ति भी है या
- यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्रोंतों से वार्षिक आय 1,50000/–रूपये (शब्दों में एक लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।
- थर्ड जेण्डर, या
- वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, या
- केंसर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति, या
- एच.आई.व्ही. से ग्रस्त व्यक्ति भी विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

1. विधिक सहायता एवं सलाह योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु कुल 11500 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें वर्तमान (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक कुल उपलब्धियॉ 43165 रही है, जिसके अंतर्गत **अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियॉ कुल 10141 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करते हुए कुल 10141 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है।**
2. वित्त वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक कुल राशि रूपये 3660337/– व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/–आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से **विधिक सहायता एवं सलाह योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक राशि रूपये 2537595/– व्यय किया गया है।**

2. लोक अदालत :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत् राज्य के समस्त 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा 65 तालुका विधिक सेवा समितियों में प्रत्येक माह एक लोक अदालत तथा प्रत्येक तीसरे माह में एक वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक कुल 447 लोक अदालत का आयोजन

जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित की गई है। जिसमें 5687 प्रकरणों का निराकरण करते हुए राशि 3,18,86188/– का अवार्ड पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सम्पूर्ण राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक कुल 05 नेशनल लोक अदालत विभिन्न चयनित प्रकरणों के संदर्भ में आयोजित किया गया तथा कुल 43,349 विभिन्न प्रकार के मामलों का निराकरण करते हुए राशि 1,94,23,49,987/– का अवार्ड पारित किया गया।

(अ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के तहत् लोक अदालत का आयोजन राज्य में किया जा रहा है। सभी न्यायालयों की खण्डपीठ गठित कर अधिक से अधिक प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर सिविल, दाण्डिक, बैंक एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, प्री–लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(ब) राज्य के सभी कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न न्यायाधिकरण में विशेष लोक अदालतें नियमित अंतराल में आयोजित किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(स) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चिन्हांकित तिथियों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

1. लोक अदालत योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु कुल 8500 प्रकरणों के निराकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) तक कुल उपलब्धियॉ 11,448 रही है, **जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियॉ (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल 3,894 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 4081 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है।**
2. **वित्त वर्ष 2018–19 हेतु वि**भिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल राशि रूपये 36,60,337/– व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/–आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से लोक अदालत योजनांतर्गत (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल राशि 369052/– व्यय नही किया गया है। लोक अदालत का व्यय नालसा मद से किया जाता है।

स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–22 क एवं ख के अंतर्गत राज्य के 05 जिला बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अम्बिकापुर) में जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 122 प्रकरणों में समझौता किया गया एवं कुल समझौता राशि रू. 27,80,142 है।

जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों को शामिल किया गया है :–

1– परिवहन की सेवा, या
2– डाक–तार या दूरभाष की सेवा, अथवा
3– किसी संस्थापन के द्वारा जनता को शक्ति, बिजली अथवा जल की आपूर्ति, या
4– सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता की प्रणाली, अथवा
5– औषधालय या चिकित्सालय में सेवा
6– बीमा सेवा
7– बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं
8– किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार की ईंधन का प्रदाय और उसके अंतर्गत ऐसी कोई सेवा भी है, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा लोक उपयोगी सेवा घोषित करें।
9– शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या
10– आवास और भू–सम्पदा सेवा।
11– अन्य।

4. पेंशन लोक अदालत :–

छ0ग0 राज्य के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् की परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण तथा अन्य लाभ हेतु इस स्कीम के तहत लोक अदालत का गठन राज्य के 04 जिलों–बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में किया गया है। उक्त लोक अदालतों का बैठक माह के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रविवार को उक्तानुसार उन स्थानों के जिला न्यायालय भवन में आयोजित की जाती है। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पेंशन लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक या उप संचालक तथा एक अन्य वरिष्ठ अभिभाषक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के सेवानिवृत्त केन्द्रीय/प्रादेशिक/अर्द्धशासकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा कोई अन्य अवकाश प्राप्त कर्मचारी अपना आवेदन पत्र पेश कर अपने पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा अन्य लाभों का निराकरण करा सकते हैं।

(अ) जिला बिलासपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :–

बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर तथा अंबिकापुर से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(ब) जिला रायपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :–

रायपुर, धमतरी तथा महासमुंद से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(स) जिला दुर्ग में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :–

दुर्ग, राजनांदगांव तथा कवर्धा से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

(द) जिला बस्तर–जगदलपुर में गठित पीठ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आने वाले जिले :–

जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर तथा कोण्डागांव से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होती है।

1. पेंशन लोक अदालत योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल 114 पेंशन लोक अदालत का आयोजन कर 50 प्रकरणों के निराकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कुल उपलब्धियॉ (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) 46 रही है। **जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उपलब्धियॉ कुल 12 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 12 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है।**
2. वित्त वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल राशि रूपये 36,60,337/– व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि रू. 28,00,000 आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से **पेंशन लोक अदालत योजनांतर्गत राशि रूपये रू.8400 व्यय** किया गया है।

5. जेल लोक अदालत एवं अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों को विधिक सहायता:–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छोटे अपराध में निरूद्ध बंदियों को जिनकी अभिरक्षा अवधि ऐसी हो, जिन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्धि की दशा में उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता हो, उन्हें उचित समय में विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु तथा जेलों में विशेष अदालत का आयोजन किया जाकर ऐसे विचाराधीन बंदियों के मामले के निराकरण की कार्यवाही जेल में की जाती है। वर्ष 2018–19 के अंतर्गत (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल 166 जेल लोक अदालत का आयोजन कर 116 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 23 विचाराधीन बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की गई।

6. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर :–

(अ) राज्य के 23 जिला मुख्यालय एवं 65 तालुका स्तर पर विभिन्न स्थानों में प्रत्येक माह कम से कम दो विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से

विधिक सेवा हेतु पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने हेतु हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। विधिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया से उन्हें इन शिविरों के माध्यम से विधिक रूप से साक्षर/जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

(ब) विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला विधिक साक्षरता सप्ताह, श्रमिक विधिक साक्षरता सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस एवं बाल श्रम सप्ताह अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

1. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल 3000 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल उपलब्धियॉ 9639 रही है, **जिसके अंतर्गत कुल 6,70303 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भी संख्या समाहित है।**
2. वित्त वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल राशि रूपये 36,60,337/– व्यय किया गया है।
3. राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राषि 28,00,000/–आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राषि से **विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) राशि रूपये 1,28,478/–व्यय किया गया है।**

7. <u>मध्यस्थता केंद्र :–</u>

मध्यस्थता, विवादों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ (मीडियेटर) दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। मध्यस्थता दो पक्षों को खुलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। वह दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर पक्षों में सामंजस्य स्थापित करता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है, कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता, पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। उच्च न्यायालय परिसर एवं राज्य के न्यायिक जिलों में कुल 33 मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 663 प्रकरणों के निराकरण किया गया।

8. <u>निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा योजना :–</u>

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 12 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण अपने प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते तथा उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर निःशुल्क विधिक सेवा की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की ओर से न्यायालय में कोई मामला प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत मामले में प्रतिरक्षा हेतु विधिक

सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) योजना, 2010 संचालित की गई है।

जिसके अंतर्गत प्रथमतः प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में उपयुक्त स्थान, कक्ष चयनित कर प्रबंध कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें कार्यालयीन समय के दौरान उपलब्ध पैनल अधिवक्ता/प्रतिधारक अधिवक्ता एवं आवश्यकतानुसार एक या अधिक पैरालीगल वालिंटियर्स की सेवाएं ली जा रही है।

वर्तमान में प्रत्येक विधिक सेवा संस्था में पैनल अधिवक्ताओं तथा प्रतिधारक अधिवक्ताओं को 03 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी संख्या निम्नानुसार है :–

(माह अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक)

विधिक सेवा संस्था	पैनल अधिवक्ताओं की संख्या	प्रतिधारक अधिवक्ता की संख्या
छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	11	–
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	107	15
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	1632	180
तालुका विधिक सेवा समिति	735	178
योग :–	**2485**	**373**

9. लीगल एड क्लीनिक :–

समाज के कमजोर, पिछड़े एवं सीमांत वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान किए जाने हेतु शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक जानकारी उनके हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा लीगल एड क्लीनिक योजना, 2010 संचालित की जा रही है।

विधिक सहायता क्लीनिकों में दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होती है, जिसमें असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु जब कभी आवश्यक हो, उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एकल खिड़की प्रसुविधा के समान कार्य करती है। उक्त क्लीनिक में विधिक सेवा के साथ अन्य सेवाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों हेतु परिचय पत्र के लिए आवेदन करना जैसी अन्य सेवाएं, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदाधिकारियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लीनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लीनिक विधिक सेवाओं का ही भाग होगा। ऐसे कार्य के सम्पादन एवं सहयोग प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक लीगल एड क्लीनिक में पैनल अधिवक्ता एवं पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाकर विवादों को सौहाद्रपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए तत्पर रहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवधि में राज्य में (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) कुल 15 लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। जिसमें ग्राम स्तर पर 05, महाविद्यालय स्तर पर 07 एवं कम्यूनिटी सेंटर में 03 कुल 15 लीगल एड क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

वर्तमान में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना योजना के प्रावधानों के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा जेल परिसर में स्थापित किया गया है। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 253, शहरी क्षेत्र में 148, जेल परिसर में 34, महाविद्यालयों में 33, किशोर न्याय बोर्ड में 27 तथा उत्तर–पूर्व के लोगों के लिए 03 इस प्रकार कुल संख्या 498 लीगल एड क्लीनिक वर्तमान में स्थापित हैं।

10. <u>स्कूलों/महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता/विद्यार्थी क्लब का गठन :–</u>

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत् महाविद्यालयों, स्कुलों में कार्यरत् इकाई विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम संचालित कर रही है। उक्त सेवा कार्यक्रमों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जनसमूह के मध्य विधिक जागरूकता उत्पन्न करने एवं विधिक सहायता योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु महाविद्यालयों एवं राज्य के स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई के साथ विधिक साक्षरता क्लब/विद्यार्थी क्लब गठित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की योग्यता एवं नवऊर्जा का इस दिशा में सामान्य विधिक जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य के आदिवासी बहुल जिलों सहित सभी जिलों में स्थित विद्यालयों में 134 लीगल लिट्रेसी क्लब की स्थापना किया गया है, जिसमें कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं विधि से संबंधित पुस्तकों की लायब्रेरी की व्यवस्था किया गया है।

11. <u>असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सहायता योजना :–</u>

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं तथा विधिक अधिकारों के प्रति श्रमिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में छ.ग.शासन, श्रम विभाग से समन्वय एवं सहयोग के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों हेतु गठित कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करते हुए राज्य प्राधिकरण प्रयत्नशील है।

12. <u>विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार–प्रसार योजना :–</u>

वर्ष में प्रत्येक माह के लिए विधिक सेवा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कैलेण्डर तैयार कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों/वर्कशॉप/संगोष्ठियों /प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर सतत् रूप से किया जाता है।

1.	विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार–प्रसार योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 में विभिन्न स्तर के कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, श्रम दिवस, बाल मजदूर दिवस,

	विधिक सेवा दिवस, बाल दिवस, विश्व विकलांग दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस आदि का आयोजन जिला एवं तालुका स्तर पर किया गया है।
2.	वित्त वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रूपये 36,60,337/– व्यय किया गया है।
3.	राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राषि 28,00,000/–आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राषि से विधिक सेवा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार–प्रसार योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि रूपये 9845/–व्यय किया गया है।

13. अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 406/ 2013 में जारी दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य के अंतर्गत जेलों में अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, सदस्य के रूप में नामित हैं। कमेटी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(ए) दं0प्र0सं0 की परिधि में आने वाले जेल में निरूद्ध ऐसे बंदियों जो उन पर आरोपित धारा में निर्धारित सजा की अवधि की आधी अवधि जेल में व्यतीत कर लिया है, उनके प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र रिहाई हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। साथ ही ऐसे बंदी जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत किया जा चुका है, किंतु गरीबी या अन्य असमर्थता के कारण उनकी ओर से न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा कर शीघ्र रिहाई हेतु उचित कदम उठाया जाता है तथा ऐसे बंदी जो शमनीय धाराओं के अंतर्गत आरोप में निरूद्ध हैं, उनके प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराने/त्वरित निराकरण हेतु यथोचित कदम उठाया जाता है।

उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2018–19 की अवधि में समस्त जिला प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों में विधिक सहायता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नालसा द्वारा तैयार एस0ओ0पी0 के अनुसार जिला में गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक वर्ष 2019 में माह जनवरी से जून तक प्रति माह आयोजित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के

14. एसिड हमलों से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास की निगरानी :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 129/2006 लक्ष्मी विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के परिपालन में राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इन्जूरीस कन्पनसेशन बोर्ड का गठन किया गया है। जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी इसके सदस्य हैं। बोर्ड के द्वारा पीड़ितों के

उपचार, दवाई, भोजन एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।

15. मनोरोगी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सेवाएं :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत मनोरोगी एवं मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा राज्य मानसिक चिकित्सालय तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियतकालीन निरीक्षण किया जाता है तथा मनोरोगियों के उचित ईलाज, देखरेख व उनके विधिक अधिकारों को संरक्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाता है।

16. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 :–

ऐसे पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोंट या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, क्षतिपूर्ति के लिए निधि के प्रावधान हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना बनाई गई है। वर्ष 2018–19 में पीड़ित क्षतिपूति योजना के तहत कुल 820 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 587 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कुल 3,84,98,000/– क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

17. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 :–

छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में जिनमें सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों, जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में है, वित्तीय सहायता प्राप्त है, उन पर लागू किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियत अवधि में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

इस प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ''नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010'' को छ.ग.लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 के तहत् जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2018–19 की अवधि में (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी/सेवा प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 5217 रही, जिसमें नियत समय में निराकृत आवेदन की संख्या 5217 रही है।

18. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :–

इस योजना के तहत् अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिए रिमाण्ड स्तर पर उनके मौलिक, वैधानिक एवं न्यायिक अधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें रिमाण्ड पर प्रतिप्रेषण हेतु प्रस्तुत आवेदन के विरोध करने, जमानत हेतु आवेदन करने और न्यायालय में पैरवी करने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता प्रत्येक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए जिला एवं तालुका स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश द्वारा रिमाण्ड पैनल अधिवक्ता की सूची तैयार कर पैनल में ऐसे अधिवक्ताओं को रखा जाता है, जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कम से कम 05 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। रिमाण्ड पैनल अधिवक्ता को रिमाण्ड के प्रकरण में पैरवी करने के लिए जिला स्तर पर एकमुश्त राशि

5000/–एवं तालुका स्तर पर एकमुश्त राशि 3000/–प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है तथा अधिवक्ता का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होता है।

1.	अभिरक्षाधीन बंदियों को अधिवक्ता सहायता योजनांतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु 182 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति किए गए हैं।
2.	वित्त वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न राज्य आयोजना मदों में पूर्व वित्तीय वर्षों के अवशेष राशियों में से विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल राशि रूपये 36,60,337/– व्यय किया गया है।
3.	राज्य शासन से वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 41–2235 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) आयोजना मद में राशि 28,00,000/–आबंटन प्राप्त हुआ है। पूर्व वित्त वर्ष के अवशेष राशि तथा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से अभिरक्षाधीन बंदियों को रिमाण्ड अधिवक्ता सहायता योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि रूपये 2,97,000/– व्यय किया गया है।

19. <u>दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सेवा एवं टोल फ्री योजना :–</u>

दूरभाष के माध्यम से आम जनता का विधिक सहायता कैसे एवं किस रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रकिया क्या है ? संचालित योजनाओं का उद्देश्य क्या है ? दूरभाष पर ही किसी स्थान से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में विधिक सेवा ऑनलाईन दूरभाष स्थापित किए गए हैं। टोल फ्री योजना के तहत् भी देश के किसी भी कोने से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित टोल फ्री नंबर 18002332528 पर संपर्क स्थापित कर विधिक सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2018–19 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) के दौरान कुल 1015 व्यक्तियों को टोल फ्री ऑनलाईन दूरभाष के माध्यम से विधिक सलाह एवं प्राप्त आवेदन पर विधिक सहायता प्रदान की गई है।

20. <u>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएंः–</u>

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा (ख) के अंतर्गत ''केन्द्रीय प्राधिकरण'' अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को, अधिनियम के ''प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवा को उपलब्ध बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी योजनायें बनाने'' हेतु वचनबद्ध किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना बल देती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गो से संबंधित है एवं उन पर यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य अधिरोपित करती है कि कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य विकलांगताओं/असमर्थताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों अवसरों से वंचित न रहे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैः–

01– नालसा (आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना,

02– नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

03— नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

04— नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिएं) योजना, 2015

05— नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

06— नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना, 2015

07— नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015

08— नालसा (नालसा पीड़ितो ंको विधिक सेवाएं एवं नालसा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

09— नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2016

10— नालसा (एसिड अटैक से पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2016

उपरोक्त योजनाओं को राज्य के जरूरतमंद लोगों तक पहुॅचाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने अधीनस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया जा रहा है।

21. विशेष विधिक सेवा शिविर :—

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा—निर्देश में नये माड्यूल के अनुरूप **''विशेष विधिक सेवा शिविर''** का आयोजन माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार राज्य के किसी एक चिन्हांकित जिला में प्रति माह किया गया। इसी क्रम में छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में माह अप्रैल 2018 में जिला बिलासपुर, माह मई 2018 में जिला कबीरधाम, माह जून 2018 में जिला रायपुर, माह जुलाई 2018 में रायगढ़, माह अगस्त 2018 में बेमेतरा तथा माह सितम्बर 2018 में जिला सरगुजा (अम्बिकारपुर) में विशेष विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त आयोजित शिविरों में उपस्थित जनसमुदाय को उनके विधिक अधिकार के संबंध में जागरूक करने के अलावा शासन के विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के अलावा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया । उक्त शिविरों में लाभांवित व्यक्तियों की कुल संख्या 20929 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

22. न्याय संगवारीः—

''न्याय संगवारी'' विधिक सहायता स्थापना (LAE) नालसा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय, बिलासपुर में विधिक सहायता स्थापना का शुभारम्भ दिनांक 20.06.2017 को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। विधिक सहायता स्थापना प्रत्येक कार्यदिवस को खुला रहता है, जिसमें एक पैनल लॉयर एवं दो पैरालीगल वालिंटियर्स पूर्णकालिक रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। विधिक सेवा स्थापना कम्प्यूटर एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग, दूरभाष सुविधा से सुसज्जित है। विधिक सहायता स्थापना विडियो कान्फ्रेंसिंग एवं दूरभाष के माध्यम से राज्य के समस्त जेलों तथा विधिक सेवा संस्थाओं से जुड़ा है। इस केंद्र के माध्यम से दोषसिद्ध एवं विचाराधीन बंदियों को विडियो

कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार विधिक सहायता/विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही अन्य कमजोर, पीड़ित एवं समाज के निचले तबके के व्यक्तियों को उनके आवयश्यकता के अनुरूप विधिक सहायता एवं विधिक सलाह उपलब्ध कराया जाता है।

उपसंहार

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के सतत् मार्गदर्शन में छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण एवं उनके विधिक अधिकार व शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित वर्ग को सुलभ कराना सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहा है तथा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय सुलभ कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कृत संकल्पित है।

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी

1. विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

संविधान की पांचवी अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ के राज्यपाल द्वारा छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ 13–19/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.11.2012 की अनुसूची दो के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट जिला स्तरीय स्थापना में तृतीय श्रेणी (गैर–कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत इस उपान्तरण के साथ लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में उक्त अधिसूचना के कॉलम (4) के अधीन प्रत्येक भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति, विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पडों जनजाति से संबंधित आवेदकों के बीच से की जाएगी तथा ऐसे आवेदकों का चयन भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत विहित प्रकिया का अनुसरण किये बिना किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशों के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना एफ 13–19/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 21.05.2013 जारी की गई है।

निर्देशों का अनुपालन किया जाकर अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 02 (प्रधान पाठक) मे, 327 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 एवं 18 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1409 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1766 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई है, जिसमें वृद्धि संभावित है।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :–

छ.ग.शासन,वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/772/एफ–3/1/2004/वित्त/ब–4/ चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती

नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत् छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 25.02.2017 द्वारा यतः भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा – 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित ''नियुक्ति के लिए पात्रता'' संबंधी प्रावधान में, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17.01.2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे,

और यतः उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी 2014 तक प्रवृत्त थी, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 19 मई 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2014 से 16 जनवरी 2015 तक बढ़ाया गया था एवं उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/ 2012/1–3 रायपुर दिनांक 10 मार्च 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2015 से 16 जनवरी 2017 तक और बढ़ाया गया था,

और यतः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाई जाये,

अतएव, पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी

अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा। इस प्रकार दिनांक 25.02.2017 को जारी अधिसूचना द्वारा पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई है।

उक्त के अनुक्रम में छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र./ एफ– 14–53/ 25–3/ 2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 5025 एवं चतुर्थ श्रेणी के 7946 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

4. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावा प्रकरणों के हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के नियम 6 के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जावे अर्थात :–

''(ढ) उप–खंड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वतः याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खंड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।''

5. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 में संशोधन टिन अयस्क के स्थान पर टिन अयस्क, नियोबियम्ब अयस्क एवं टेण्टेलम अयस्क प्रतिस्थापित करने बाबत् माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन दिनांक 11.02.2012 अनुसार, दिनांक 24.11.2012 को खनिज विभाग द्वारा जारी की गई है।

6. छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा की अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी 2013 अनुसार भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा–5 के उप–पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, निर्देश देते है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्दीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप–धारा (1) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उल्लिखित अर्हता और सेवा के निबंधन एवं शर्त संबंधी प्रावधान इसमें इसके पश्चात् यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उपांतरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थातः–

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप–धारा (1) अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश, निर्देश, अधिसूचना में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शालाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु, समय–समय पर इस प्रकार अधिसूचित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को, निम्नलिखित छूट दी जायेगी–

1. उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा।

2. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के संबंध में, उन्हें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रति अंक अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परंतु उन्हें उनकी नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर, नियुक्ति हेतु व्यावसायिक अर्हता जैसे डी.एड. अथवा बी.एड. जैसी भी आवश्यक हो, अभिप्राप्त करनी होगी''

अध्याय–4

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है। इन वर्गों के हित–संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को निर्देश देने बाबत् संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 46 में व्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए अनु.जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 वन विभाग

वन विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी

✦ बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रुप मे हैं। अधिकांश क्षेत्रो में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। योजना का मुख्य उद्धेश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुनर्वास करना है । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 8800.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 7033.51 लाख का व्यय किया गया।

✦ बांस वनों का पुनरोद्धार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरुप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बांसों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बांस की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 2200.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1427.47 लाख का व्यय किया गया।

✦ पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का

कार्य भी किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में रू. 742.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 421.82 लाख का व्यय किया गया।

- **ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/ औषधि रोपण**

  प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संर्वधन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में रू. 897.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 741.26 लाख का व्यय किया गया।

- **संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास**

  राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में रू. 291.55 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 144.16 लाख का व्यय किया गया।

- **सड़के तथा मकान निर्माण कार्य**

  इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय भवन निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों एवं वन मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में रू. 1200.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 925.64 लाख का व्यय किया गया।

- **लघु वनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना**

  तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 1080.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1080.00 लाख का व्यय किया गया।

- **पौधा प्रदाय योजना**

  निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 48.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 37.39 लाख का व्यय किया गया।

- **हरियाली प्रसार योजना**

  कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 3300.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 2560.03 लाख का व्यय किया गया।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना**

  प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 603.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 510.99 लाख का व्यय किया गया।

- **सामाजिक वानिकी**

  इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 358. 00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 195.27 लाख का व्यय किया गया।

- **लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना**

  प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण्ण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्राों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 291.50 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 222. 22 लाख का व्यय किया गया।

- **अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण**

  इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है।इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 245.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 192. 16 लाख का व्यय किया गया।

- **तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित**

  योजना अंतर्गत जैविक दबाव के कारण बिगड़े वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का रोपण करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 434.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 286.71 लाख का व्यय किया गया।

- **भू एवं जल संरक्षण कार्य**

  राज्य शासन द्वारा भू–गर्भीय जल स्तर में वृद्वि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्राों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्राण हेतु नवीन मद के अतर्गत योजना लागू की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 256.31 लाख का व्यय किया गया।

- **लाख विकास योजना**

  इस योजना के अंतर्गत राज्य में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन कर कार्य किया जावेगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 250.00 लाख का व्यय किया गया।

✦ **वनमार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण**

योजना अंतर्गत वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 1538.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1207.55 लाख का व्यय किया गया।

✦ **कर्मचारी कल्याण योजना**

प्रदेश में लगभग 9000 क्षेत्रीय वन कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रों मे वनों के भीतर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन कर्मचारियों के कल्याणार्थ कार्य कराने का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 140.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 19.28 लाख का व्यय किया गया।

✦ **वन अधिकारों की मान्यता**

अतिक्रमित वनभूमि का सर्वे कर, पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 60.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 4.59 लाख का व्यय किया गया।

✦ **बाड़ी बांस योजना**

वन क्षेत्रों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण बांस का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं हो पा रहा है । ऐसी स्थिति में बांस के लिए मात्र बांस वनो पर निर्भर रहना अब संभव नहीं रह गया है । अतः बांस का उत्पादन वन क्षेत्रों के बाहर बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रामीणो के निवास के साथ लगी हुई बाड़ियों में तथा अन्य स्थानों पर रोपण हेतु उन्नत बांस के पौधे/राईजोम उपलब्ध कराया जाकर कुछ वर्षो में बांस की पर्याप्त आपूर्ति गांव से ही हो सकेगी तथा वन विभाग पर ग्राम वासियो की निर्भरता कम होगी । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 165.20 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 22.54 लाख का व्यय किया गया।

✦ **बांस प्रसंस्करण इकाई**

बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 70.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 39.37 लाख का व्यय किया गया।

✦ **लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान**

लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 969.31 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 759.21 लाख का व्यय किया गया।

- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम**

राज्य के वन विकास अभिकरणो के संघ के रूप में गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत 32 वनमंडलों को सम्मिलित कर वन विकास अभिकरणों के गठन किये गये है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 2719.70 लाख का प्रावधान रखा गया था। केन्द्र से राशि विमुक्त नही की गई।

- **ग्रीन इंडिया मिशन**

वार्षिक कुल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से 6.35 प्रतिशत हिस्से को वनों द्वारा कम करने की क्षमता में वृद्धि । इस मिशन के द्वारा जैवविविधता के अतुलित भण्डार में भी वृद्धि । स्थानीय समुदायों को बदलते हुए जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कई अन्य सेवाओं (जलाऊ लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी, गैर काष्ठीय वनोपज, औषधीय पौधे इत्यादि) में वृद्धि । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 200.00 लाख का प्रावधान रखा गया था। केन्द्र से राशि विमुक्त नही की गई।

- **पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना**

वनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु रोपणी विकास एवं वृक्षारोपण कार्य। जैव विविधता को संरक्षित करने तथा पर्यावरण सुधार हेतु कार्य । ग्रामीण क्षेत्राों में सामुदायिक एवं निजी भूमि पर कृषि एवं फार्म वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण। अकाष्ठीय लघुवनोपज के सतत उपयोग हेतु सामुदाय आधारित परियोजनाओं का कियान्वयन । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 320.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व 320.00 लाख का व्यय किया गया।

- **एकीकृत वन सुरक्षा योजना**

वनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है तथा 25 प्रतिशत का हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना के अंतर्गत आवागमन, संचार के साधन, जांच चौकियों का निर्माण, वाचटावर निर्माण, नेटवर्किंग एवं अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 748.60 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व 46.29 लाख का व्यय किया गया।

- **लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान**

लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू. 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया था। केन्द्र से राशि विमुक्त नही की गई।

❋❋❋❋❋

4.2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन।
2. विकासशील क्षेत्रों में 25% एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50% तक भू–खण्डों का 02 वर्ष तक आरक्षण।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ।
4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख।
5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –

1.	ब्याज अनुदान–	सावधि ऋण पर ब्याज का 75% , अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रू. 20 लाख वार्षिक से लेकर रू. 120 लाख वार्षिक तक।
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	40% से 50% तक, अधिकतम सीमा रू. 40 लाख से 500 लाख तक।
3.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम रू. 1.50 लाख से रू. 2.50 लाख।
4.	विद्युत शुल्क छूट	10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
5.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 1.25 लाख।
6.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
7.	प्रौद्योगिक क्रय अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
8.	अनुसूचित जाति/ जनजाति पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 51,000 एवं रू. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएँ –

   1– स्टाम्प शुल्क से छूट –

      1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

      1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

   2– भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100% छूट–अधिकतम 05 एकड़ के लिए।

   2– प्रवेश कर छूट– 05 से 07 वर्ष तक।

   3– विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का 25%,

   4– इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान – लागत का 25%, अधिकतम 10 लाख।

7– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :–

युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	02.00 लाख

8– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य	–	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	–	विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	–	सामान्य वर्ग – 10 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

9– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. ''शिशु'' – रू. 50,000 तक
2. ''किशोर'' – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. ''तरूण'' – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

10– ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना –

(अ) पात्रता– (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य– प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा– रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जनजाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (31.03..2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रू. में)

क्र0	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1-	**2018-19**	1014	2535.65	196	615.73	329.47	952	153	617.61	311.89	992

मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना (31.03..2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रू. में)

क्र0	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1-	2018-19	580	300.00	58	89.65	25.06	74	63	124.06	27.77	105

स्टैण्ड अप इंडिया की जानकारी वर्ष 2018-19(31-03-2019 की स्थिति में)

(राशि रू. करोड़ में)

क.	वर्ग	स्वीकृत		वितरित		संभावित रोजगार
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	अनुसूचित जाति	22	8.79	15	3.18	140
2	अनुसूचित जनजाति	9	3.05	3	0.70	57
	योग–	31	11.84	18	3.88	197

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ला

क्र.	वर्ग	शिशु			किशोर			तरूण			
		संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	**संख**
1	अनुसूचित जाति	136952	346.89	332.09	6285	74.31	63.91	398	26.72	25.77	143
2	अनुसूचित जनजाति	150056	717.18	696.43	11361	149.92	85.85	530	35.67	34.16	161
	कुल योग	287008	1064.07	1028.52	17646	224.23	149.76	928	62.39	59.93	305

(छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक परिदृश्य)

विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

1. औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :–

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक से 100 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 30 लाख से रू. 500 लाख तक
3	विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
4	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, भवन/शेड के क्रय/ लीज पर पूर्ण छूट 2. ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 3. औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में भू–स्वामी परिवारों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्को /औद्योगिक क्षेत्रों पर 5. बंद/ बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
5	औ0 क्षेत्रों में भू–आबंटन (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक भू–प्रब्याजि में छूट।
6	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यमउद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 लाख से रू. 2 लाख

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
7	भू व्यपवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक, भू–पुनर्निधारण कर में 100 प्रतिशत छूट।
8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
9	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
10	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
11	मार्जिन मनी अनुदान (सूक्ष्म,एवं लघु उद्योग)	परियोजना का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख
12	औद्योगिक पुरस्कार योजना	**1. राज्य स्तर पर** – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1 लाख, 0.51 लाख एवं 0.31 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, (4 श्रेणियों में– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग) **2. जिला स्तर पर** – सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार रू. 25,000/– एवं प्रशस्ति पत्र।
13	प्रवेश कर भुगतान से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	05 वर्ष से 07 वर्ष की अवधि हेतु।
14	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
15	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	कार्बन क्रेडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 14 लाख।

टीप :–

1. महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफडीआई निवेशकों, निर्यातकों एवं विदेशी तकनीक वाले उद्योगों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार वर्ग को एक वर्ष की अधिक छूट।
2. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में विकासशील क्षेत्रों विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक अनुदान छूट एवं रियायतें ।
3. प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों को सामान्य श्रेणी के उद्योगों से अधिक अनुदान।
4. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट एवं रियायते।
5. औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में उद्योग स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक छूट।

2–कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 की योजनाएँ

1 मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष

2 प्रवेश कर भुगतान से छूट– 7 वर्ष की अवधि हेतु।

3 विद्युत शुल्क में छूट– 10 वर्ष तक छूट

4 मण्डी शुल्क छूट– 5 वर्ष तक छूट, स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य तक सीमित।

5 उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

2.1–कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाऍं–

1. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण– संयंत्र एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25%–50.00 लाख।
2. कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में)–
   (अ) परियोजना लागत का 35%–500.00 लाख,
   (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6% की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु–200.00 लाख
3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना– परियोजना लागत का 50%–250.00 लाख।
4. रीफर वाहन योजना– कूलिंग की लागत का 50%–50.00 लाख।

3. औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाएँ–

(भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)

1 ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

क्र.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख में)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

3 विद्युत शुल्क छूट– शत प्रतिशत छूट।

4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान–मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।

(स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

7 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।

8 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।

9 प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को पटाये गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत–प्रतिशत् प्रतिपूर्ति।

10 किराया अनुदान– किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

4– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉउंसिल :–

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

5– छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 –

(बंद/बीमार घोषित उद्योगों के पुर्नस्थापन/पुनर्वास पर बंद/बीमार उद्योग के क्रेता उद्योग/बीमार उद्योग के पुनर्वासित बीमार उद्योग को दी जाने वाली सुविधायें यथा स्थिति लागू।)

1. स्टाम्प शुल्क से छूट
2. पंजीयन शुल्क से छूट
3. औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में भू–हस्तांतरण की दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत।
4. उद्योग के कार्यरत् रहने की अवधि में पात्र अनुदान, छूट एवं रियायतें, जिनका उपयोग न हुआ हो/आंशिक उपयोग हुआ हो, की पात्रता।
5. उद्योग के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान 03 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार की छूट
6. उद्योग के बंद/बीमार उद्योगों के द्वारा राज्य शासन को देय राशियों का एकमुश्त भुगतान न करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार के भुगतान के साथ 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में सुविधा,
7. बीमार/बंद उद्योग क्रेता के पक्ष में राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शन जल कनेक्शन, अन्य क्लीयरेंस एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण।

<u>फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु पैकेज की सुविधायें एवं अनुदान</u>

(1) ब्याज अनुदान :–

क	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य वर्ग	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 05 लाख वार्षिक।
2	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 10 लाख वार्षिक।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य वर्ग	रू. 25 हजार से – 10 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा 05 लाख
		रू. 10 लाख से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 50% अधिकतम सीमा 12.5 लाख

क	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
2	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 60% अधिकतम सीमा 15 लाख

(3) विद्युत शुल्क छूट :–

राज्य की नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी संवर्ग के नवीन पात्रताधारित उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से स्वयं की बिजली की खपत की गई यूनिटों पर 10 वर्ष तक देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

(4) भूमि उपयोग में परिवर्तन :–

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 15 हजार फुट भूमि (परिवार में केवल एक खातेदार के लिए), भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

टीप–उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुदान, छूट एवं रियायतों के तहत् स्टॉम्प शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान व प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान तथा निःशक्त अनुदान पात्रता अनुसार प्राप्त होंगे।

❋❋❋❋❋

4.3 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्य शासन/केंद्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएँ संचालित हैं :–

(1) कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758) :–

राज्य गठन से पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात मात्र 18 वर्षों की अवधि में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में 351417 अतिरिक्त पम्प कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में कुल 424786 ऊर्जीकृत कृषि पंप हो गये हैं। इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रू 3801 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 3800 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018–19 में प्रदेश में 17142 कृषि पम्पों का कार्यपूर्ण किया गया है जिसमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 6078 कृषकों के पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

(2) 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305) :–

राज्य शासन द्वारा कृषकों के विद्युत देयकों में वित्तीय राहत प्रदाय किये जाने के उद्वेष्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतगर्त स्थायी एवं अस्थायी पंप कृषकों को 3 अश्वयाक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट के अतिरिक्त कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र रू.100 प्रतिमाह प्रति अश्वषक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिचाई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को 5 अश्वषक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए रू. 200 प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए रू. 200/– अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप

के लिए रू. 300/— प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है।

इस योजना में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018—19 हेतु रू 2,97,568 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रू 71,792 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 71,698 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। राज्य शासन की उक्त योजना से प्रदेश के 5 लाख 17 हजार से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है जिसमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 1 लाख 29 हजार कृषक हैं।

(3) एकलबत्ती (बी.पी.एल.) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान (6501):—

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 30 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस योजनातर्गत राज्य शासन के बजट में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 2018—19 में रू 15978 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 15978 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2018—19 के अंत तक राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 8,50,140 एकल बत्ती उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया गया।

(4)शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण (8678) :—

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण किया जाना है। इस बावत् वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2018—19 में 1305 शासकीय स्कूलों/ 76 अस्पतालों/ 3812 आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया। इस प्रकार कुल 5193 शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण किया गया है।

(5)मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (8548) :—

वर्ष 2011—12 से प्रदेश के नगर निगम अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं शहर के गरीब तबके के लोगों को एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना” प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन जिलाधीश द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय निकायों में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार चलाये जा रहे हैं जिसके कारण विद्युत लाईनों एवं

उपकेन्द्रों (11/0.4 के.व्ही.) की शिफ्टिंग का कार्य आवश्यक है। योजना में प्रदेश के 13 नगर निगम क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रू 1800 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 1000 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था।

(6)मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना (8965) :–

वर्ष 2014–15 में अविद्युतीकृत मजरों/टोलों, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या अन्य किसी शासकीय योजना में शामिल नहीं हैं, को विद्युतीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सांसद आदर्ष ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत शामिल मजरों/टोलों के साथ अविद्युतीकृत बसाहटों का विद्युतीकरण एवं बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना है।

वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रू 2065 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 2044 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें से रू 9004.53 लाख राशि का उपयोग किया जाकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में लगभग 2296 मजरों–टोलों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

(7) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (7652) :–

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम. क्रमांक 44/44/2014–RE दिनांक 03.12.2014 के द्वारा **"दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.)"**प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है–

(i) भारत सरकार द्वारा अनुदान – योजना लागत का 60 प्रतिशत

(ii) वितरण कम्पनी का योगदान – योजना लागत का 10 प्रतिशत

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण – योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथक्करण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा–टोला के कार्य भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में स्थित सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल रू 125712 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 29528 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया जिसके किये गये कुल व्यय रू 1278.94 लाख हैं।

(8) <u>एकीकृत विद्युत विकास योजना (7655)</u> :–

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक 26/1/2014–APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा **"एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)"** प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है–

(i) भारत सरकार द्वारा अनुदान – योजना लागत का 60 प्रतिशत

(ii) वितरण कम्पनी का योगदान – योजना लागत का 10 प्रतिशत

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण – योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई. टी. उपयोग को समर्थकारी बनाने के कार्य किये जाने हैं। प्रदेश में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि

को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के 18 संचारण/संधारण वृत्तों के अंतर्गत चयनित 182 वैधानिक शहर/जनगणना शहर के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा कुल रू 48906 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 38 नग कार्य पूर्ण किया गया है जिसके विरूद्व किये गये कुल व्यय रू 1725.90 लाख हैं।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)

माननीय प्रधानमंत्री भारत शासन द्वारा दिनांक 25.09.2017 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के शत–प्रतिशत घरों एवं शहरी क्षेत्रो के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरों को विद्युत प्रदाय किया जाना है। इसके लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से कोई भी राशि नही ली जावेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शेष परिवारो को 50/– रूपये की 10 मासिक किश्त में कुल रू. 500/– का भुगतान करना होगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत कनेक्शन प्रदाय के समय किसी भी हितग्राही से कोई राशि नही ली जावेगी।

भारत सरकार द्वारा हर घर में बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना (SAUBHAGYA) दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हर घर को बिजली उपलब्ध कराने हेतु परम्परागत स्त्रोत से ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू. 413.75 करोड़ राशि एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू. 6.78 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए हर घर में बिजली पहुॅचाने हेतु अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा रू. 83.64 करोड़ राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में परम्परागत स्त्रोत से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 675252 घरों में बिजली प्रदाय करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 की स्थिति में 665756 घरों में बिजली प्रदाय कर दी गई है।

इस योजनातर्गत राज्य शासन के बजट में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 2018–19 में रू 2280 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 2280 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2018–19 के अंत तक राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी 268839 घरों में बिजली प्रदाय कर दी गई जिसके विरूद्व किये गये कुल व्यय रू 2191 लाख हैं।

4.4 छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग

विभागीय संरचना

1.1 ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोतों को प्रदेश में बढ़ावा देने के उददेश्य से ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन 23 मई, 2001 में सोसायटी अधिनियम के तहत् किया गया ।

1.2 वर्तमान में क्रेडा के प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त 08 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, दंतेवाड़ा एवं रायगढ़ में है। इनके अलावा सभी जिलों में जिला कार्यालय भी संचालित है।

प्रशासनिक ढांचाः–

1.3 क्रेडा में प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते है, जिनके अधीनस्थ तकनीकी शाखा, वित्त शाखा एवं प्रशासन शाखायें होती है। तकनीकी शाखा में मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता, सहायक अभियंता, उप अभियन्ता, एवं मैकेनिक होता है। वित्त शाखा में नियंत्रक वित्त एवं लेखा, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी तथ लेखा सहायक हेाते है। अन्य समस्त पद प्रशासन शाखा के अन्तर्गत होते है।

1.4 क्षेत्रीय कार्यालयों को 05 जोनल कार्यालयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख अधीक्षण अभियन्ता होते है। अधीक्षण अभियन्ता संबंधित जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के अंतर्गत संचालित क्रेडा की परियोजनाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य करते है तथा प्रधान, क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के मध्य सेतु की भूमिका अदा करते है।

1.5 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय प्रमुख होते हैं, जो उनके अधीनस्थ जिला कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारी होते है। जिला कार्यालयों के प्रमुख सहायक अभियन्ता होते हैं।

1.6 अधिकारीगणः–

क्रेडा का राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेट–अप, उसके विरूध्द् कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता	2	2	0
2.	अति.निदेशक / कार्यपालन अभियन्ता	9	9	0

3.	लेखा अधिकारी	1	1	0
4.	सहायक अभियन्ता	33	33	0
5	सहायक लेखा अधिकारी	6	6	0
6	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0
	कुल योग–	**52**	**52**	**0**

1.7 कर्मचारीगणः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निज सचिव	1	1	0
2.	निज सहायक	1	1	0
3	उप अभियन्ता	30	29	1
4	तकनीकी सहायक	1	1	0
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	0
6	कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0
7	सहायक	5	5	0
8	सहायक ग्रेड –2	1	1	0
9	लेखा सहायक	7	7	0
10	स्टेनोग्राफर	2	2	0
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर	6	5	0
12	पार्क प्रबंधक	1	1	0
13	मैकेनिक/इलेक्ट्रिशियन	35	35	0
14	कनिष्ठ सहायक/स्टेनो–टाईपिस्ट	42	42	0
15	वहन चालक	29	29	0
16	टिकट वितरक	1	1	0
17	प्रदर्शक	3	3	0
	कुल योग–	**166**	**165**	**1**

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	हेल्पर/भृत्य/चौकीदार	59	59	0
2.	सफाई कर्मी	2	2	0
	कुल योग–	**61**	**61**	**0**
	महायोग योग–	**279**	**278**	**1**

नोटः– स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के अध्यधीन है।

1.8 क्रेडा में प्रशिक्षण का कार्यक्रम :–

(क) क्रेडा द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों के संचालन–संधारण हेतु जागरूकता एवं कौशल क्षमता के विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। वर्ष 2018–19 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्लस्टर टेक्निशियन एवं क्रेडा के मैकेनिक, उप अभियन्ता कुल 429 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ई.सी.बी.सी.) के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु क्रेडा द्वारा समय समय पर रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई एवं दुर्ग शहरों में 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग कुल 1207 प्रशिक्षणार्थियों (आर्किटेक्ट, छात्र एवं इंजीनियर) को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में 03 दिवसीय Climate Changen and its Impat विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला, कार्यपालन अभियंता को अधिकृत किया गया जिन्होने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

1.9 राजस्वः–

राज्य शासन द्वारा क्रेडा को राज्य में गैर परम्परागत स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। अतः उक्त दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत क्रेडा द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए केवल प्रतिकात्मक शुल्क (टोकन फीस) के मद में लागत व्यय का 1 प्रतिशत् प्रशासनिक शुल्क अधिरोपित किया जाता है, जिससे योजनओं के मॉनीटरिंग एवं क्रेडा के स्थापना व्यय के गैप फंडिग की जाती है।

1.10 अपारम्परिक ऊर्जा से विद्युत उत्पादनः–

प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा से 31.12.2018 तक कुल 71 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता (Off Grid+Grid) के संयंत्र स्थापित कर सफलतापूर्वक सोलर पावर का उत्पादन राज्य में हो रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिल रही है।

1.11 ऑडिटः–

महालेखाकार (छ.ग.) द्वारा क्रेडा का वर्ष 2016–17 तक क्रेडा में संचालित विभिन्न योजनाओं का ऑडिट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त क्रेडा के स्थापना अंतर्गत संचालित आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत सभी मैदानी कार्यालयों का नियमित रूप से आंतरिक अंकेक्षण कर वित्तीय प्रबंधन के साथ–साथ अपव्यय को टालने के लिये समुचित निगरानी की जा रही है।

भाग तीन
वर्ष 2017–18 के प्रमुख कायक्रमों का विवरण

1. **सौर सुजला योजनाः** प्रदेश के सभी क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृध्दि् के साथ–साथ भू–जल के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता मिल रही है। सोलर पंप आधारित सिंचाई पंप की व्यवस्था से प्रदेश के लगभग 56574 किसान लाभान्वित हो गये है। अधिकांश किसान सुदूर बस्तर, सरगुजा, जशपुर अंचल के है जिससे उक्त क्षेत्र के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने तथा किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता मिली है। येाजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है, ताकि कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई की आवश्यकता का चिन्हांकन पारदर्शिता तरीके से हो सके और वित्तीय संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से हो। वर्ष 2016–17 में प्रारंभ की गई तीन वर्ष की उक्त योजना के अंतर्गत 51 हजार सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। सौर सुजला फेस–1 मे 11 हजार सोलर पंप के लक्ष्य के विरूद्ध 12,080 सौर सुजला फेस – 2 में 25 हजार सोलर पम्प के लक्ष्य के विरूद्ध 25000 सोलर पंप की स्थापना की जा चुकी है, उक्त योजना के अंतिम फेस में 19 हजार 494 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2016–17 में प्रारंभ की गई सौर सुजला येाजना के अंतर्गत कुल 56574 सोलर पम्प की स्थापना राज्य में की जा चुकी है। उक्त योजना का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हितग्राहियों को संवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के किसानों पंप की क्षमता के अनुसार 05 हजार से 20 हजार के अंशदान पर 01 एच.पी. से लेकर 05 एच.पी. तक के सोलर पंप की स्थापना उनकी सिंचाई आवश्यकता के लिए की जाती है जिससे किसानों को पूरे वर्ष भर बिना किसी अतिरिक्त व्यय के सिंचाई सुविधा निःशुल्क प्राप्त होती है। सौर सुजला योजना के अंतर्गत स्थापित पंपों के 05 वर्ष तक के रखरखाव की गांरटी कार्य एजेंसी पर है तथा स्थापित सोलर पेनल की गांरटी 20 वर्ष तक है। पंप के रखरखाव/बिगड़ने पर सुधारने के लिए क्रेडा द्वारा केन्द्रीयकृत शिकायत केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही कर बंद सोलर पंप को सुधारने का कार्य क्रेडा के अधिकारी के निगरानी में कार्य एजेंसी के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था संचालित है।

2. **सोलर पेयजल व्यवस्थाः** क्रेडा द्वारा राज्य में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु वृहद स्तर पर सोलर डयूल पम्प, जिन्हे सामान्य भाषा में सोलर हैण्ड पंप भी कहा जाता है, की स्थापना की गई है। इसके तहत् ग्राम के पूर्व से स्थापित सार्वजनिक बोर में सौर

ऊर्जा चलित सबमर्सिबल पम्प की स्थापना की जाती है तथा इसमें से जल का उद्वहन कर ओवर हैड वाटर टैंक में जल संग्रहण किया जाता है। इसी तारतम्य में राज्य के ग्रामों में पेयजल सुविधा एवं स्वच्छता उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से सोलर डयूल पंपों की स्थापना किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 141.14 करोड़ की लागत व्यय पर लगभग 3292 नग सोलर डयूल पंप की स्थापना का दिया गया है।

3. **<u>राज्य के अविद्युतीकरण ग्रामीण मजरा–टोला/बसाहटों में विद्युतीकरणः</u>** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के गाईड लाइन अनुसार मार्च, 2019 तक समस्त अविद्युतीकृत मजरे–टोलों/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है। राज्य के कई ऐसे मजरे–टोले है, जहां के निवासरत् ग्रामीण बिजली न होने के भौतिक सुख–सुविधाओं से वंचित है। ऐसे मजरे–टोले को आज भी न तो परपम्रागत बिजली से और न ही सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा सका है। प्रस्तावित योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऐसे सभी घरों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है। उक्त कार्यों हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग कर राशि रूपये227.09 करोड़ के लागत व्यय पर 45,417 घरों में ऑफग्रिड से विद्युत कनेक्शन देने के कार्य स्वीकृत किये गये है। मार्च 2019 तक राशि रूपये 187.60 करोड़ के व्यय पर 37519 घरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतिकरण के कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

4. **<u>ग्रामीण ऊर्जा को अनुदानः</u>** केन्द्र प्रायोजित विद्युतीकरण योजना (डी.डी.जी) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को छोड़कर, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के 1317 ग्रामों में सौर होम लाईट के माध्यम से स्टैण्ड अलोन सोलर पावर प्लांट स्थापित कर उक्त ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया गया है।

5. **<u>सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाये</u>**ः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, पुलिस थाना एवं बेस कैम्प, जेल, होम लाईट, स्ट्रीट लाईट, औद्योगिक संस्थाएं, रूँफ टॉप, व्यवसायिक संस्थान, वन विभाग के चैकपोस्ट, विश्रामगृह, पर्यटन स्थल, शासकीय भवनों आदि में सोलर पावर प्लांट, सौर गर्म जल संयंत्र एवं सोलर कुकिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र विद्युत व्यवस्था में अवरोध से बचाव में सहायक है। ऐसे पहुंचविहीन दूरस्थल जहां पर परंपरागत विधि से विद्युतीकरण करने में लागत अधिक होती हैं, उन स्थलों में छोटे–छोटे सौर संयंत्र घर/भवन आदि में स्थापित कर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 8.50 करोड़ की लागत व्यय पर 2125 किलोवॉट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना जा चुकी है।

6. **<u>ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम</u>**ः ऊर्जा संरक्षण अधिनियम– 2001 के अंतर्गत नामित एजेन्सी के रूप में ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार तथा

शासकीय/निजी भवनो, नगरीय निकायों में, ऊर्जा संरक्षण पर कार्यशाला कार्यक्रम, स्कूल एवं महाविद्यालयों के छात्रों हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, शासकीय अमले हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला ई.सी.बी.सी. कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम वाणिज्यिक, संस्थानों में ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य और ऊर्जा दक्ष लाईटों की स्थापना/प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है।

7. **विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयनः** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम–2001 से वर्ष 2006 के मध्य स्थापित किये गये सौर संयंत्रों के रखरखाव एवं मरम्मत, का कार्य किया जाता है जिसमें बैटरी के बदले/पैनल बदलने का कार्य भी शामिल है। क्रेडा द्वारा वार्षिक रखरखाव, संचालन एव संधारण हेतु क्लस्टर तकनीशियन (मय हेल्पर व प्लांट ऑपरेटर्स) इकाईयों को अनुबंधित किया जाता है तथा सौर संयंत्रों, इन्वटर्स, बैट्रीज, सोलर पम्पस, कन्ट्रोलर्स, सोलर मॉडयूल्स आदि भी लगातार खराब तथा क्षतिग्रस्त होते रहते है। इन क्षतिग्रस्त सौर संयंत्रो को लगातार कार्यशील रखे जाने हेतु रख–रखाव, संचालन एवं संधारण क्रेडा की निगरानी में किया जाता है। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 10.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं प्राप्त की गई राशि का शतप्रतिशत् उपयोग किया जा चुका है।

8. **बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रमः** इस योजना के अंतर्गत घरेलू बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोमास गैसीफायर एवं बायोमास गैसीफायर कुक स्टोव एवं संस्थागत/सामुदायिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 6.00 करोड़ की लागत व्यय पर 2518 नग घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है।

9. **ऊर्जा शिक्षा उद्यानः** क्रेडा द्वारा रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, एवं कोटमीसोनार (जांजगीर –चांपा) में आम जनता एवं बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उददेश्य से 06 ऊर्जा उद्यानों की स्थापना की गई है। इन सभी उद्यानों में पारंपरिक तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के तकनीकी ज्ञान हेतु विभिन्न प्रदर्शन मॉडल्स एवं मनोरंजन हेतु विभिन्न क्रीडा उपकरणों के साथ–साथ सुन्दर झरने, फव्वारे एवं कला विथिकाओं के माध्यम से मनोरंजन एवं शिक्षा दी जा रही है। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 0.80 करोड़ व्यय की जा चुकी है।

4.5 पशु चिकित्सा सेवायें

छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकासखंडों में 85 विकासखंड अनुसूचित विकासखंड एवं 03 विकासखंड बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बाहुल्य हैं। इन आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन्नत जीवन यापन के लिए विभाग द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय जनगणना 2011 प्रदेश में कुल 56.50 लाख परिवार संख्या (House Hold) है, जिसके अंतर्गत कुल 29.72 लाख परिवार (56.60%) पशु पालन का कार्य करते है। इसमें से कुल 6.29 लाख (21.03%) परिवार भेड़, बकरी, पालन एवं 0.92 लाख (3.08%) परिवार सूकर पालन करते है।

उक्त श्रेणी के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा भेड–बकरियों में फैलने वाले रोग पी.पी.आर. के विरूद्ध एवं सूकरो में होने वाले रोग स्वाईन फीवर के विरूद्ध सघन प्रतिबंधात्मक टीकाकरण प्रतिवर्ष निष्पादित किया जा रहा है, भेड़, बकरियों एवं सूकरों की मृत्यू दर में कमी आयी है।

अनुसूचित जन जाति वर्ग के पशुपालकों का निम्नानुसार विभागीय योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2017–18 में लाभान्वित किया गया है–

(1) बैकयार्ड कुक्कुट इकाईः–

योजना अंतर्गत प्रत्येक चयनित आदिवासी परिवार को 28 दिवसीय 45 रंगीन चूजे दाना सहित 90 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। चयनित आदिवासी परिवार को लगभग 31400.00 सालाना आय संभावित है। योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 239.49 लाख का अनुदान दिया जाकर 8870 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया।	

(2) सूकरत्रयी वितरण योजना

योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी परिवारों को 01 नर एवं 02 मादा उन्नत नस्ल के सूकर प्रदाय किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 93.96 लाख अनुदान के रूप में व्यय की जाकर 1033 आदिवासी परिवारो को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को औसतन रू. 24000.00 की सालाना आय होती है।	

(3) शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदायः–

नस्ल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना है। योजनांतर्गत शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों के प्रदाय योजना अंतर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के सांडों को प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 184 सांड वितरित किया गया है एवं राशि रू. 47.82 लाख अनुदान के रूप में व्यय हुई है।	

(4) राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना :–

राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना हेतु राज्य शासन द्वारा 66.6 % अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष में डेयरी की 79 इकाई हेतु राशि रू. 360.40 लाख अनुदान वितरित किया गया है।

(5) नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण अनुदान :–

राज्य पोषित इस योजनांतर्गत अनसूचित जनजाति के बकरी पालक परिवारों को नस्ल सुधार हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर ग्रेडेड जमुनापारी नस्ल का बकरा प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष में इस योजनांर्तगत 1015 बकरा हेतु इकाई हेतु राशि रू. 40.61 लाख अनुदान वितरित किया गया है।

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

4.6 कृषि विभाग

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न राज्य पोषित, एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में कुल 308653.70 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 297006.43 लाख (96%) व्यय किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में कुल 92915.73 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 88373.65 लाख (96%) व्यय किया गया है।

<u>राज्य पोषित योजना :–</u>

जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन :–

इस योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के शिविरार्थियों कृषकों के खेतों में निःशुल्क धान/मक्का बीज वितरण एवं निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई करायी जाती है। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिलों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत 708 क्वि. धान/मक्का बीज वितरण किया जाकर 1874 एकड़ में निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई कर 2036 कृषकों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत राशि रु. 43.75 लाख व्यय किया गया।

<u>कृषक समग्र विकास योजना :–</u>

(अ) अक्ती बीज संवर्धन योजना :–

इस योजनान्तर्गत कृषकों को धान के आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये रु. 500/–प्रति क्विं. एवं वितरण पर रु. 500/– प्रति क्विं. तथा तिलहन फसल के बीज उत्पादन/वितरण पर रु. 1000/– क्विं. अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अंतर्गत निम्नानुसार प्रगति हुई।

क्र.	घटक	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	प्रमाणित बीज वितरण (क्वि. में)	212829	133204	77067	30258
2	बीज उत्पादन (क्वि. में)	218651	7191	79994	1400

(ब) रामतिल विकास योजना :–

राज्य में रामतिल के उत्पादन के वृद्धि के लिये आधार/ब्रीड सीड, उर्वरक, प्रदर्शन एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना आदिवासी बाहुल्य जिलें जगदलपुर, कोंडागॉव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कॉकेर जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत 20396 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार उक्तानुसार कृषक समग्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 2088.89 लाख तथा 744.06 लाख व्यय किया गया।

फसल प्रदर्शन :–

विभिन्न प्रकार के धान फसल के प्रदर्शन हेतु राज्य शासन द्वारा श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन योजना, ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन एवं द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम योजना क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में फसल प्रदर्शन योजना अंतर्गत निम्नानुसार है –

क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन (हेक्ट. में)	928	2389	343	831
2	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन (हेक्ट. में)	7337	11359	2648	3125
3	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम (हेक्ट. में)	2717	4405	1621	1661

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 573.14 लाख तथा 195.09 लाख व्यय किया गया।

जैविक खेती मिशन :–

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना का शुभांरभ वर्ष 2013–14 में किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 5 जिलों रायपुर, बालोद, रायगढ़, कोरिया तथा दंतेवाड़ा के कलस्टरों में चयनित कृषकों द्वारा जैविक खेती की गयी थी। वर्ष 2015–16 से प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जैविक खेती मिशन संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में राज्य के 5 जिलों क्रमशः गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 23 जिलों के एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2018–19 में जैविक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसल प्रदर्शन का आयोजन 19974 एकड़ में किया गया। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7590 कृषक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 2397 कृषकों को लाभान्वित किया जाकर क्रमशः 766.45 लाख तथा 163.67 लाख व्यय किया गया।

सुनिश्चित सिंचाई विस्तार :–

विभाग द्वारा सुनिश्ंचित सिंचाई विस्तार हेतु शाकम्भरी, किसान समृद्धि योजना लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना क्रियान्वित की जा रही है। शाकम्भरी योजना में 0.5 से 5 हार्स पॉवर तक विद्युत तथा ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प एवं डीजल पम्प क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 16875 / – अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थान पर अजजा./अजा. वर्ग के कृषकों को रु. 43000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनान्तर्गत 40 हेक्ट. तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना निम्नानुसार प्रगति हुई।

क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	शाकम्भरी योजना में डीजल एवं विद्युत पम्प एवं कूप निर्माण	2356	2356	379	379
2	किसान समृद्धि योजना	2691	2691	571	571
3	माईक्रोमाईनर सिंचाई योजना	24 पूर्ण 43 निर्माणाधीन	1041	8 पूर्ण 8 निर्माणाधीन	354

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 1674.55 लाख तथा 432.73 लाख व्यय किया गया।

कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना :–

कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों कों अन्य कार्यो की तुलना में श्रम एवं समय देना होता है। जिससे उनके आर्थिक स्थिति सबल नहीं हो पाती है एवं सीमित संख्या में मजदूरों के उपलब्धता के कारण कृषि कार्यो में भी विलम्ब होता है। मजदूरों के कार्य को सरल बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 से लिये कृषि कार्य हेतु उपयोगी कृषि यंत्र किट, जिसकी लगभग कीमत रु. 42000/– कृषि मजदूरों को निःशुल्क प्रदाय की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 381 कृषक समूह एवं अनुसूचित जाति वर्ग 103 कृषक समूह को किट वितरित कर क्रमशः राशि रु. 57.55 लाख तथा राशि रु. 15.27 लाख व्यय किया गया।

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना :–

उन्नत कृषि मशीनों/यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन तथा आर्थिक रुप से पिछड़े कृषक, जो प्रत्येक कार्य हेतु समर्थ नहीं है उन्हें किराये पर उन्नत कृषि मशीनें/यंत्र उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा एवं ग्रामीण स्तर पर कृषकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान है। इस योजना में उपयोजना क्षेत्र के आवेदक को न्यूनतम राशि रु. 25 लाख अथवा 15 लाख के कृषि उपकरण/मशीन क्रय पर राशि रु. 10 लाख अथवा 7.50 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक इंडेन्ड सब्सिडी के रुप में देय है। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 65 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 518.50 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में 20 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 161.75 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित– नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एंड आयलपाम योजना :–

योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये कृषकों को प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, पौध संरक्षण औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, नीदानाशक, सिंचाई पाईप वितरण आदि घटकों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 13783 कृषकों को लाभान्वित कर 94.65 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में 4370 कृषकों को लाभान्वित कर 33.04 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना :–

योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड़ के लिये अनाज फसलो के आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 50 प्रतिशत एवं दलहन/तिलहन तथा चारा फसलों के लिये 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 49343 कृषकों को 11863.80 क्विं. तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 12619 कृषकों को 4448.91 क्विं. आधार/प्रमाणित बीज वितरण किया जाकर क्रमशः राशि रु. 725.02 लाख एवं 84.82 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान :–

राज्य में कृषि यॉत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु तथा कृषकों को यॉत्रकीकरण खेती के लाभ से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन अंतर्गत कम्पोनेट क्रमांक–3 के तहत ट्रेक्टर, पावर टिलर, स्वचलित एवं शक्ति चलित यंत्रों पर 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 11696 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 3509 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः 737.66 लाख तथा 461.96 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताएँ, फसलों एवं जरुरतों को प्राथमिकता, फसलों के उत्पादकता वृद्धि हेतु उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना तथा वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुचाना। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 105758 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 63281 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 1667.93 लाख तथा 819.99 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति):–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अधोसंरचना विकास एवं समग्र विकास हेतु अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुचाना।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 77441 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 24455 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 3496.95 लाख तथा 787.35 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित–स्वायल हेल्थ मेनेजमेंट योजनाः–

स्वायल हेल्थ मेनेजमेंट योजनान्तर्गत राज्य के समस्त कृषकों को उनके खेतों की उर्वरता की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक दो वर्ष में स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया जाना है। जिस हेतु सिंचित रकबे में 2.5 हेक्टेयर का ग्रिड व असिचित रकबे में 10 हेक्टेयर ग्रिड लेकर मृदा नमूना लिया जाता है। वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 160329 नमूना विश्लेषण कर 955762 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में 56586 नमूना विश्लेषित कर 337327 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया।

परम्परागत कृषि विकास योजना :–

राज्य में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये इस योजना के तहत् कलस्टर में जैविक ग्रामों के अंगीकरण एवं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (PGS Certifiaction) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्य किया जा रहा है, इसके अंतर्गत राज्य के छः जिले सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर नगर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में कृषि 113 एवं उद्यानिकी 75 कुल 188 कलस्टर, 9400 एकड़ रकबा में क्रियान्वित की जा रही है, इसका क्रियान्वयन शासन के निर्देशानुसार अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सेवा प्रदायक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 4498 कृषकों को लाभान्वित कर राशि रु. 172.54 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 702 कृषकों को लाभान्वित किया जाकर राशि रु. 65.76 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित –प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–(पर ड्राप मोर क्राप) अंतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से जल प्रबंधन की दक्ष तकनीकी यथा–स्प्रिंकलर (फब्वारा)/ ड्रिप (टपक सिंचाई) एवं रेनगन को प्रोत्साहित किया जाना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 6855 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 2570 कृषकों को लाभान्वित कर क्रमशः 97.66 लाख तथा 56.06 लाख व्यय किया गया।

✵✵✵✵✵

4.7 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा राज्य में उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य पोषित योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे –एकीकृत बागवानी विकास मिशन ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,नेशनल मिशन आन आईलपाम एवं आईलसीड योजना अंतर्गत प्राप्त आबंटन से किया जाता है।

उद्यानिकी हेतु वर्ष 2018–19 में कुल बजट प्रावधान राषि रू. 41578.48 लाख़ हुआ, जिसके विरूद्व राशि रू. 21266.45 लाख व्यय हुए। जिसमें आदिवासी उपयोजना मद में प्रावधान राशि रू. 11707.50 लाख के विरूद्व राशि रू. 4773.19 लाख व्यय हुए तथा अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रावधान राशि रू. 3835.66 लाख के विरूद्व राशि रू. 1658.42 लाख व्यय हुए ।

वर्ष 2018–19 में विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 156743 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें आदिवासी उपयोजना मद में 61812 कृषक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 17049 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2018–19 में उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार विशेष महत्व के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया –

(अ)राज्य पोषित योजनाएं

उद्यानिकी हेतु राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल बजट प्रावधान राशि रू. 6189.00 लाख़ हुआ, जिसके विरूद्व राशि रू. 3353.29 लाख व्यय हुए। जिसमें आदिवासी उपयोजना मद में प्रावधान राशि रू. 2042.00 लाख के विरूद्व राशि रू. 1124.29 लाख व्यय हुए तथा अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रावधान राशि रू. 605.00 लाख के विरूद्व राशि रू. 363.82 लाख व्यय हुए ।

वर्ष 2018–19 में राज्य पोषित उद्यानिकी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 57272 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें आदिवासी उपयोजना मद में 18078 कृषक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 7244 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2018–19 में राज्य पोषित उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार विशेष महत्व के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया –

1. फलोद्यान विकास योजना :–

प्रदेश में आम के क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस योजना के अंतर्गत भू–स्वामी कृषक को आम फलोद्यान रोपण पर प्रति हेक्टेयर लागत राशि रू. 43,750.00 पर 25 प्रतिशत अनुदान राशि रू. 10.938.00 पांच वर्षो में देने का

प्रावधान है, जिसमें प्रति कृषक न्यूनतम 0.25 हे. एवं अधिकतम 2 हे. तक देने का प्रावधान है। इसी प्रकार आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों के द्वारा किये गये टॉप वर्किंग कार्य पर (जब शाखा लगभग 2 फीट की हो जावे) राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में राशि रू. 410.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 4095.00 हे. क्षेत्र में फलोद्यान विकास का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 368.81 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य 4078 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 6361 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 1576 कृषक एवं अजा के 1127 कृषक लाभान्वित हुए।

2. नर्सरी में उन्नत एव प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम –

प्रदेश के कृषकों को उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रूपयें 225.00 लाख के विरूद्ध रूपये 202.87 लाख व्यय हुए। यह कार्यक्रम शासकीय विभागीय रोपणीयों/प्रक्षेत्रों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलु एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंन्तर्गत कुल लक्ष्य 110.20 हेक्टेयर के विरूद्व अद्यतन 102.70 हेक्टयर की पूर्ति की गई जिसमें अ.ज.जा. क्षेत्रों में संचालित रोपणियों में 145.00 लाख वित्तिय प्रावधान के साथ 68.30 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जिसके विरूद्व 61.80 हेक्टेयर भौतिक पूर्ति हुई।

उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना –

प्रदेश में अ.ज.जा. क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है।वर्ष 2018–19 में राशि रूपयें 50.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध रूपयें 36.05 लाख व्यय हुए।

3. नदी के कक्षार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना –

प्रदेश में नदी कक्षार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल एवं लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है। वर्ष 2018–19 में राशि रू. 140.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 1191.20 हे. क्षेत्र में सब्जी विकास का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध राशि रू. 134.01 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य 1187 हे. क्षेत्र में पूर्ति हुई।

योजनांतर्गत कुल 4171 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 1843 कृषक एवं अजा के 526 कृषक लाभान्वित हुए।

4. कम्यूनिटी फेसिंग योजना –

उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से 50 प्रतिशत अनुदान पर लागू की गई है। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को न्यूनतम 0.50 हेक्टेंयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेंयर तक लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में राशि रू. 520.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 953.50 हे. क्षेत्र में कम्यूनिटी फेसिंग का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध राशि रू. 381.57 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य 688.72 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 1015 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अज.जा. के 464 कृषक एवं अ.जा. के 238 कृषक लाभान्वित हुए।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –

यह योजना वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित है एवं योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि से कृषको को सुरक्षा प्रदान करना है। योजनान्तर्गत उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने वाले लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को फसलों से हानि होने पर बीमा कराया जाकर बीमा का लाभ दिया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में 9770.22 हेक्टेयर हेतु कृषकों को बीमा कराया गया एवं राशि रू. 359.76 लाख राज्यांश बीमा अनुदान व्यय हुए तथा कुल 16225 कृषकों की लाभ दिया गया जिसमें अजजा. 5115 कृषक एवं अजा. के 683 कृषक लाभान्वित हुए।

(ब)केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन –

राज्य की जलवायु, भूमि एवं अन्य परिस्थितियां बागवानी के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं। बागवानी फसलों की खेती विविधिकरण, उत्पादकता एवं रोजगार के बेहतर अवसर की संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) प्रारंभ की गई हैं, जो अब एकीकृत बागवानी विकास मिषन अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2013–14 से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में कृषकों को दी जाने वाली अनुदान तथा मानदण्डों को संशोधित कर और अधिक लोकप्रिय तथा सुग्राह्य बनाया गया हैं। यह केन्द्रीय शासन द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों को शामिल किया गया हैं।

योजना का उद्देश्य प्रदेश/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि समूह संपर्क द्वारा–क्लस्टर विधि से किया जाना है। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत राशि रू. 20500.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा प्राप्त आवंटन राषि रू. 15524.93 लाख के विरूद्व राशि रूपयें 9913.24 लाख व्यय हुआ। योजना अन्तर्गत कुल 70614 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 33273 कृषक एवं अजा के 6028 कृषक लाभान्वित हुए। वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अन्तर्गत क्रियान्वित महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास –

वर्ष 2018–19 में पौध उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास किये जाने के उद्देश्य से राशि रू. 980.62 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्व राशि रू. 18.44 लाख व्यय हुई। जिसमें हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में 01 नर्सरी, स्माल नर्सरी निजी क्षेत्र में 02 नर्सरी, ओपन पॉलीनेटेड क्रॉप के अन्तर्गत बीज उत्पादन शासकीय क्षेत्र 24 तथा निजी क्षेत्र में 31 हेक्टेयर, इसी प्रकार हाईब्रीड बीज उत्पादन शासकीय क्षेत्र में 02 हेक्टेयर तथा निजी क्षेत्र में 05 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 81 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 61 कृषक एवं अ.जा. के 6 कृषक लाभान्वित हुए।

2. सब्जी क्षेत्र विस्तार –

वर्ष 2018–19 हेतु सब्जी के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत 9500 हेक्टेयर क्षेत्र में राशि रू. 1900.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्व राशि रू. 1232.75 लाख वित्तीय एवं 7547 हेक्टेयर भौतिक उपलब्धि प्राप्त हुए। योजनांतर्गत कुल 16720 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 8826 कृषक एवं अजा के 1311 कृषक लाभान्वित हुए।

3. फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम –

प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त किस्म के फलदार पौधों यथा– आम, केला, लीची, अमरूद एवं अन्य के फलोद्यानों के 3504 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु राशि रू. 902.11 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध राशि रू. 816.78 लाख वित्तीय एवं 3284 हेक्टेयर भौतिक उपलब्धि रही। योजनांतर्गत कुल 11566 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 5442 कृषक एवं अजा के 834 कृषक लाभान्वित हुए।

पुष्प क्षेत्र विस्तार –

पृथक राज्य के गठन उपरांत प्रदेश में फूलों का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। प्रदेश की आवश्यकताओं एवं आसपास के राज्यों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए, वर्ष 2018–19 में 2312 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के फूल यथा– गुलाब, ग्लेडियोलस, गेंदा एवं रजनीगंधा के क्षेत्र विस्तार हेतु राशि रू. 598.02 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध राशि रू. 476.40 वित्तीय एवं 1998 भौतिक उपलब्धि रही, जिसमें कुल 4562 कृषक लाभान्वित हुए। योजनांतर्गत अजजा के 1661 कृषक और अजा के 339 कृषक लाभान्वित हुए।

4. मसाला विकास योजना –

राज्य को मसाला फसलों के उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 2018–19 में विभिन्न मसाला फसलों यथा – धनिया, मिर्च एवं हल्दी क्षेत्र विस्तार हेतु 4100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार के लिए राशि रू. 492.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया। जिसके विरूद्ध राशि रू. 396.00 लाख वित्तीय एवं 3650 हेक्टेयर क्षेत्र भौतिक उपलब्धि रही। योजनांतर्गत कुल 8506 कृषक लाभान्वित हुए है, जिसमें अजजा के 3652 कृषक एवं अजा के 936 कृषक लाभान्वित हुए।

5. सिंचाई हेतु जल स्त्रोतों का विकास–

उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है। वर्ष 2018–19 में कृषकों के प्रक्षेत्र पर सामुदायिक तालाबों, व्यक्तिगत स्तर पर जल संधारण स्त्रोतों का निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि के माध्यम से सिंचाई साधन विकसित किये जाने के लिए राशि रू. 785.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया तथा राषि रू. 178.13 लाख व्यय हुई तथा 13 कम्यूनिटी टैंक तथा 144 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भौतिक उपलब्धि प्राप्त की गई एवं कुल 172 कृषक लाभान्वित हुए है, जिसमें अजजा के 88 कृषक एवं अजा के 9 कृषक लाभान्वित हुए।

संरक्षित खेती का विकास –

प्रदेश में उद्यानिकी फसलों विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों तथा पुष्पीय फसलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए राशि रू. 4914.29 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध 3447.80 लाख व्यय हुए है। विभिन्न किस्म के ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस हेतु 63.91 हेक्टेयर तथा प्लास्टिक मल्चिंग 10930 हेक्टेयर में भौतिक उपलब्धि प्राप्त हुई। योजनांतर्गत कुल 9506 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 3944 एवं अजा के 925 कृषक लाभान्वित हुए।

6. जैविक खेती –

जैविक खेती संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाये रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। कृषकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए वर्ष 2018–19 में एडॉप्शन ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग, आर्गेनिक सर्टिफिकेट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना आदि के लिए राशि रू. 1885.44 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध में 722.20 लाख व्यय हुए। जैविक खेती एडाप्सन के अन्तर्गत 1875 हेक्टेयर, सर्टिफिकेशन 40 कलस्टर एवं एचडीपीई वर्मीबेड 16062 (संख्या) की पूर्ति की गई। योजनांतर्गत कुल 12242 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 6791 एवं अजा के 984 कृषक लाभान्वित हुए।

2. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री

राज्य के सम्पूर्ण भाग में कृषकों को अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय मदद द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राही कृषक राज्य शासन द्वारा काष्ठ प्रजाति के परिवहन पास एवं कटाई से वन अधिनियम द्वारा मुक्त किये गये 23 प्रजातियों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रजाति के पौधों का रोपण अपने एकजाई खेत में अथवा खेत के मेड़ो पर अनुदान प्राप्त कर रोपण कर सकते है।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से कैजूरिना, सुबबूल, पॉपलर, इजराईली बबूल, विलायती बबूल, मेंजियम, बबूल, नीलगिरी, सिरीस, रिमझा, बांस, रबर, पाईन प्रजाति (शंकू प्रजातियों को छोड़कर), आस्ट्रेलियन बबूल, केसिया साइमियॉ, बैकेन, ग्लेरीसिडिया, खमेर, कदम्ब, सीसू, कपोक, महारूख एवं सिल्वर ओक, कुल 23 प्रजातियों को वन अधिनियम में संशोधन कर काटने एवं परिवहन करने पास से छूट प्रदान की गई है।

वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत राषि रू. 250.00 लाख वर्ष 2017–18 के शेष कार्यों की पूर्ति हेतु आवंटित हुए तथा राषि रूपये 155.95 लाख व्यय हुआ। योजना अन्तर्गत 2018–19 में परिधीय/बाउण्ड्री वानिकी पौध रोपण कार्य 1230 हेक्टेयर एवं सघनवानिकी ब्लाक वृक्षारोपण का कार्य 96.20 हेक्टेयर में संचालित किया गया तथा कुल 1570 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 779 कृषक एवं अजा के 178 कृषक लाभान्वित हुए।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। योजना का उद्देश्य उपलब्ध जल स्त्रोत से अधिक से अधिक सिंचित रकबा को बढ़ाना है। योजनांतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम जोत सीमा 5 हेक्टेयर तक दिये जाने का प्रावधान है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राशि रू. 2481.13 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्व वित्तीय प्रगति निरंक रही तथा भौतिक 2770 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई का कार्य सम्पादित किया गया, तथा कुल 2829 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 948 कृषक एवं अ.जा. के 100 कृषक लाभान्वित हुए।

4. ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना

केन्द्रीय सहायता से संचालित ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा एवं बालोद में संचालित है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राशि रू. 450.03 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्व वित्तीय प्रगति राशि रू. 235.03 लाख रही तथा भौतिक 863.15 हेक्टेयर में आइलपाम क्षेत्र विस्तार तथा आलिव आइल एवं महुआ पौध रोपण 75 हेक्टेयर में कार्य

सम्पादित किया गया, तथा कुल 925 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 287 कृषक एवं अ.जा. के 102 कृषक लाभान्वित हुए।

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाऍ उन्हीं के मापदण्ड के अनुरूप ऐसे जिलों में संचालित किये जाते है, जहॉ राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित नहीं है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में राशि रू. 2055.10 लाख के आबंटन प्राप्त हुए जिसके विरूध्द कुल राशि रू. 1380.89 लाख व्यय हुए, जिसमें अजजा. मद में राशि रू. 278.43 लाख एवं अजा. मद में राशि रू. 168.34 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत कुल 23533 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 8447 एवं अजा के 3397 कृषक लाभान्वित हुए। वर्ष 2018–19 में योजना अन्तर्गत क्रियान्वित महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. फल क्षेत्र विस्तार–

वर्ष 2018–19 में 530 हेक्टयर में क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया जिसमें राशि रू. 130.42 लाख व्यय हुए तथा कुल 1198 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अ.ज.जा. के 469 कृषक तथा अजा. के 125 कृषक लाभान्वित हुए।

2. सब्जी क्षेत्र विस्तार –

वर्ष 2018–19 में 605 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया जिसमें राशि रू. 115.99 लाख व्यय हुए तथा कुल 1514 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा. के 640 कृषक तथा अजा. के 142 कृषक लाभान्वित हुए।

3. **मसाला विकास योजना–**

वर्ष 2018–19 में 952 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला विकास योजना कार्य किया गया जिसमें राशि रू. 84.00 लाख व्यय हुए जिसमें कुल 2103 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 712 कृषक तथा अजा. के 198 कृषक लाभान्वित हुए।

साग–सब्जी प्रदर्शन –

वर्ष 2018–19 में 242 साग–सब्जी प्रदर्षन कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें राशि रू. 48.30 लाख व्यय हुए तथा कुल 218 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा. के 56 कृषक तथा अजा. के 23 कृषक लाभान्वित हुए।

4. सब्जी मिनीकीट –

वर्ष 2018–19 में 9480 मिनीकीट वितरण कार्य किया गया जिसमें 103.50 लाख व्यय हुए जिसमें कुल 8260 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 2748 कृषक एवं अ.जा. के 1060 कृषक लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत फूलों की खेती

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत

प्लास्टिक मल्चिंग के साथ खेती

4.8 सहकारिता
विभाग की गतिविधियो संबंधी प्रस्तावना :–

सहकारिता विभाग शासन के अन्य विभाग से भिन्न होकर एक नियामक एवं सहकारी आन्दोलन मे कार्यरत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाला विकास विभाग है। सहकारिता विभाग सीधे धनराशि व्यय करने वाला विभाग नही है वरन् यह विकास से जुडी सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं नियामक विभाग है, जिसका दायित्व संस्थाओं का गठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, परिसमापन एवं सुदृढ़ीकरण का है। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, ताकि वे सामान्यजन, विशेष रूप से कमजोर वर्गो के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का माध्यम बन सके। प्रदेश के किसानो, कारीगरो, बुनकरो, मछुवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गो के व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में निभाता है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की जा सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं एवं सहकारिताएं है। वर्तमान में इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य किये जा रहे है। प्रदेश में सहकारिता के सहकारी आंदोलन ने समाज में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गो के सर्वांगीण विकास के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांव–गांव में सहकारी साख सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास,मत्स्य,डेयरी बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयो के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है।

2–विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय सामान्य जानकारी :–

प्रदेश में कुल 8910 सहकारी संस्थाएं पंजीकृत है। जिसमें से मुख्यतः अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। दीर्घकालीन साख संरचना के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य विकास बैंक एवं 12 जिला सहकारी कृषि विकास बैकों का विलय राज्य सहकारी बैंक एवं

जिला सहकारी बैंको में किया गया है। 13 शीर्ष स्तरीय, 41 राज्य स्तरीय संस्थाएं ,14 नागरिक सहकारी बैंके तथा 04 सहकारी शक्कर कारखाना कार्यरत है।

3–विभाग संबंधी ''मानिटरेबल इण्डीकेटर्स '' की राज्य संबंधी जानकारी, राष्ट्र में राज्य की स्थिति (स्थापित इण्डीकेटर्स की अनुपस्थिति में) विभाग जिन बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर विकास को दर्शाता है, उसका उल्लेख निम्नानुसार है :–

1– राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के कृषको को ब्याज मुक्त सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त प्राप्त हो रही है। जिससे प्रदेश के कृषि की आर्थिक स्थिति मे सुधार हो रही है।

2– प्रदेश में 02 साख संरचना अर्थात अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन थी, जिसके कृषको के हितो को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन साख संरचना को समाप्त कर अल्पकालीन साख संरचना में संविलय किया गया है।

3– प्रदेश के कृषको के उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो को ध्यान में रख कर 04 विभिन्न क्षेत्रो में सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता से किया गया है। जिससे कृषको द्वारा उत्पादित गन्नो को क्रय कर शक्कर उत्पादन किया जा सके। इससे कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है एवं नगद फसलो की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो रही है। सहकारी शक्कर कारखानो को प्रति वर्ष गन्ना खरीदी एवं पेराई हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोन्टा क्षेत्र में लाल मिर्च का उत्पादन अधिक होने के कारण से लाल मिर्च विपणन का कार्य तथा टोरा, मुंगफल्ली, तिल, सरसो एवं नारियल की पेराई हेतु तेल मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रो में सहकारी विपणन संस्थाओ को प्राथमिक प्रदान करने हेतु विपणन सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।

4– प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखकर उनकी सहकारी संस्थाओं में अधिकाधित भागीदारी बढ़ाने हेतु सहकारी संस्थाओ में सदस्यता ग्रहण कराने हेतु राज्य शासन से अंशक्रय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

5– राज्य शासन प्रतिवर्ष सहकारी बैंको एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अंशपूंजी में निवेश कर रही है, जिससे उनकी उधार ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो एवं अपने कृषक सदस्यो में अधिक ऋण उपलब्ध करा सकें। प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं कें अंशपूंजी में निवेश करने से उनको कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जिससे कार्य व्यवसाय हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रो के लिए संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **(5628)–कृषक ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान :–** इस योजनान्तर्गत प्रदेष के सहकारी अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल राशि रू. 184.26 करोड़ प्रावधानित राशि मे से राशि रू. 21.42 करोड़ अनुसूचित क्षेत्रो के 472 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषक सदस्यो को ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2. **(7781)–सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय अनुदान :–** इस योजना से प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी समितियों में बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे राशि रू. 36.00 लाख आबंटन था । वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि स्वीकृत नही होने के कारण नये सदस्य नही बनाये गये ।

3. **(7678)–सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूंजी :–** इस योजना से सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं, सहकारी शक्कर कारखाना एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के अंशपूंजी में निवेश किया जाता है, जिससे उनकी उधार क्षमता में वृद्धि हो/कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रावधानित राशि रू. 1.18 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण किसी भी संस्था में निवेश नही किया जा सका।

4. **(8970)–प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान/ऋण) :–** इस योजनान्तर्गत विपणन सहकारी संस्थाओ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। प्रदेश के कुछ विपणन सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही है, तथा विपणन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, किन्तु पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होने के कारण नया व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम नही है एवं भूमि का सही उपयोग नही हो पा रही है, ऐसी समितियों को नया कार्य/व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19

में प्रावधानित राशि रू. 30.00 लाख स्वीकृति के अभाव में किसी भी संस्था को राशि उपलब्ध नही कराया गया है।

5. **(5055)–सहकारी शक्कर कारखाना :–** इस योजनान्तर्गत सहकारी शक्कर कारखानो को गन्ना खरीदी कर पेराई हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित राशि रू. 35.00 करोड़ में से राशि रू. 20. 00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

6. **(8641)– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन :–** इस योजनान्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वर्तमान कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रू. 10.00 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे राशि रू. 50.00 लाख 5 समितियों को उज्जवला योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाना था किन्तु स्वीकृति के अभाव में उपलध नही कराया गया।

7. **(5006)–जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान** :–इस योजनान्तर्गत अनुसचित जनजाति क्षेत्र में पंजीकृत आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय वित्तीय भार कम करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

8. **(8930)– प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान** :–इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 जशपुर को कार्य व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।

9. **(7889)– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण :–** इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल राशि रू. 1.52 करोड़ प्रावधानित था। किन्तु राज्य शासन के स्वीकृति के अभाव में राशि में उपलब्ध नही कराया जा सका।

10. **(7942)– अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना** :– इस योजनान्तर्गत प्रदेश के सहकारी कृषको की दिनांक 30.11.2018 तक का प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी किया जाना है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र केहेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल राशि रू. 1140.00 करोड़ प्रावधानित था । जिसे 333894 कृषकों का ऋण माफ किया गया।

✵✵✵✵✵

4.9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती है। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती है। इसके अतिरिक्त पी.आई.पी. में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में हाट बाजारों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.आर.एम.सी. की सुविधा बढाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

<u>बुनियादी सुविधाओं का विकास :–</u>

आदिवासी क्षेत्र के जिलों के लिए गरीब परिवारों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत् 11628.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क पैथोलॉजी सुविधा हेतु रू 270.00 लाख तथा रेडियोलॉजी सुविधा हेतु रू 405.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के सासुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क पैथोलॉजी सुविधा हेतु रू 550.00 लाख तथा रेडियोलॉजी सुविधा हेतु रू 91.00 लाख का प्रावधान किया गया है। समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।

आदिवासी जिलों के 147 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24 घटें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु 1813.90 लाख का प्रावधान किया गया था।

आदिवासी जिलों के 07 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 39.91 लाख का प्रावधान किया गया था।

आदिवासी जिलों के 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 24.78 लाख का प्रावधान किया गया था।

आदिवासी जिलों के 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 97.48 लाख का प्रावधान किया गया था।

पोषण पुनर्वास केन्द्र :–

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र संस्थानों को मापन किया जा रहा है, जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदमः–

- आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छरदानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
- आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकित्सा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम :–

राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चें एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया गया है।

कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया गया है।

108 संजीवनी एक्सप्रेस इमरजेंसी सर्विसेज योजना के अंतर्गत 36 एम्बुलेंस की शुरूआत की गई। जिसमें गंभीर मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।

सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे– ब्लैंकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं।

समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, ए.एन.एम. एवं एम.पी. डब्ल्यू. की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।

मुख स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम :–

राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अंतर्गत कुओं, हैंण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन–रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 27 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों में इन बीमारियें की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजनाः–

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना अंतर्गत जिला नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित है। जिसे राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य मितानिन योजनाः–राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में है कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 5186 उप स्वास्थ्य केन्द्र है, स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे, बुढ़े, महिला, पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस

योजना अंतर्गत 69,900 से भी अधिक मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

विभाग अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं :–

क	संस्था (संख्या)	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

✵✵✵✵✵

4.10 नगरीय प्रशासन एवं विकास

1. स्वच्छ भारत मिषन

02 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मिशन के निम्नानुसार तीन मुख्य घटक हैंः–**अ.** निजी शौचालय (Individual Household Latrine) **ब.** सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (Community Toilet/ Public Toilet) **स.** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)

दिनांक 02.10.2017 को प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के उपरान्त विधिवत खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। यह प्रमाणन प्रत्येक छः माह में किया जाता है, जिसमें राज्य के निकाय निरंतर ओडीएफ घोषित किये जा रहे हैं। निजी शौचालय अंतर्गत कुल लक्षित 325050 मे से 321974 शौचालयों का निर्माण पूर्ण एवं 3076 शौचालयों का निर्माण प्रगतिरत् है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथा संभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु तालाब की पार, अथवा निकाय की योजना से प्रभावित होने पर अपवाद–स्वरूप अंतिम विकल्प के रूप में सामुदायिक, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु योजना **''सुविधा–24''** लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत रू.1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रू.39200, राज्यांश की राशि रू.13067.00 एवं शेष राशि अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत जर्जर/अनुपयोगी सामुदायिक शौचालयों को तोड़कर नवीन शौचालयों के निर्माण तथा सभी वर्गों महिलाओं, पुरूषों, बच्चों तथा विकलांगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया गया है। महिला शौचालय में सेनेटरी नेपकिन इनसिनेरेटर तथा रात्रि में शौचालय बन्द होने पर चौबीस घण्टे एक महिला एवं एक पुरूष सीट प्रारंभ रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों में एकरूपता के प्रयोजन से विभिन्न सीटों की संख्या के शौचालयों के मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए है। अद्यतन

लक्षित 17796 शौचालय सीट में से 16944 सीटों का निर्माण पूर्ण एवं 852 शौचालय सीटों का निर्माण प्रगतिरत् है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु **स्वच्छता श्रृंगार योजना** लागू की गई है। योजनांतर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव (लघु टूटफूट) के लिए निकायों को शत् प्रतिशत मासिक अनुदान–सामुदायिक शौचालय (20 सीटर) रू.15000, सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक रू.18000 तथा सामुदायिक शौचालय (जिसमें केयर टेकर न हो) हेतु राषि रू.1200 प्रतिसीट प्रतिमाह किंतु अधिकतम रू.15000 उपलब्ध कराई जाती है।

योजनांतर्गत शौचालयों में उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य सुविधाएं–सामुदायिक शौचालय में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार इत्यादि समस्त सुविधाएं निःशुल्क, केयर टेकर, प्रतिदिन न्यूनतम 02 एवं आवश्यकतानुसार सफाई, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाईपर, आईना, नीले/हरे डस्टबीन, पेपर, नेपकीन, फिनाईल, झाडू, ब्रश, प्रकाश हेतु एलईडी लाईट, सभी दरवाजों की कुण्डी आदि की व्यवस्था। साथ ही सेनिटरी पैड वेडिंग मशीन (पे–एण्ड यूज के आधार पर), अनिवार्यतः उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी लाईट) का उपयोग, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईसीटी फिडबैक सिस्टम), नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100, स्वच्छता ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

<u>मिशन क्लीन सिटी</u>

भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई है। उक्त योजनांतर्गत प्रतिदिन लगभग 950 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। योजना में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा, डोर टू डोर कलेक्शन, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन–संधारण, आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है। अंतिम शेष अपशिष्ट के लिए लैण्डफिल निर्माण किया गया है। एसएलआरएम सेन्टर्स तथा कम्पोस्टिंग शेड, आवश्यक वाहन, उपकरण तथा आनुषांगिक सामग्री क्रय हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को प्रदान की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है तथा

महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 9000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए है।

नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार किया जावेगा। इस हेतु बिलासपुर में संयंत्र स्थापित किया गया है एवं रायपुर में संयंत्र स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

2. मिशन अमृत

मिशन अमृत के तहत प्रदेश की सरकार द्वारा 09 नगर पालिक निगमों (रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर एवं अंबिकापुर) में 03 लाख 20 हजार परिवारों को उनके आवास में ही पाईप लाईन के माध्यम से शुध्द पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस हेतु राशि रू.1700 करोड़ की लागत से 09 वृहद जल प्रदाय परियोजनाओं का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है। इन 09 नगर निगमों में वायु प्रदूषण को रोकने एवं हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग राशि रू.36.00करोड़ की लागत से 30 से अधिक उद्यानों का विकास कराया जा रहा है।

रायपुर शहर की जीवनदायनी खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रतिदिन 20 करोड़ लीटर गंदे पानी को उपचार के बाद खारून नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे शहर के वातावरण एवं भूमिगत जल स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राशि रू.235.00 करोड़ की लागत से चंदनडीह, निमोरा एवं कारा में 03 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर जगदलपुर में इंद्रावती नदी और रायगढ़ में केलो नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दोनो शहरों में राशि रू.112.00 करोड़ की लागत से 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शीघ्र प्रारंभ कराया जावेगा। दोनो योजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन 5 करोड 70 लाख लीटर गंदे पानी का उपचार कर साफ पानी नदियों में छोड़ा जावेगा।

3. सबके लिए आवास – प्रधानमंत्री आवास योजना

मोर जमीन मोर मकान

इस घटक अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो 31 अगस्त 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र में निवासरत है, तथा जिनकी आय 3.00 लाख से कम एवं जिनका देश में अन्यत्र कहीं पक्का मकान नहीं है, ऐसे

हितग्राही के पास स्वयं की भूमि/पट्टा उपलब्ध होने पर स्वतः आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। घटक अंतर्गत प्रति आवास लागत 3.21 लाख है, जिसमें कुल राशि रू. 2.29 लाख अधिकतम शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जाती है। तथा हितग्राही द्वारा 0.86 लाख रूपये अंशदान के रूप में स्वयं दिया जाता है। अद्यतन स्थिति में कुल 1,30,055 आवास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 23965 आवास पूर्ण, 24795 आवास निर्माणाधीन है।

एएचपी (किफायती आवास योजना)

इस घटक अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो 31 अगस्त 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र में निवासरत है तथा जिनकी आय 3.00 लाख से कम एवं जिनका देश में अन्यत्र कहीं पक्का मकान नहीं है। इस घटक अंतर्गत आवास/स्लम जो कि तालाब के मेड पर, डूबान या अन्य ऐसी स्थिति में है, जहां पर कि आवास निर्माण किया जाना अनुज्ञेय नहीं है, ऐसे क्षेत्र के हितग्राहियों को अन्यत्र निकाय/शासन/नजूल की भूमि पर निकाय द्वारा निर्माण कराकर आवास आबंटित किये जाते है। प्रति आवास लागत 4.75 लाख रू. है, जिसमें शासन का अंशदान 4.00 लाख तथा हितग्राही अंशदान 0.75 लाख रू. है। इस योजना के अंतर्गत अद्यतन कुल लागत राशि रू. 3,125, करोड़ की 65,783 आवासगृहों निर्माण की स्वीकृति, प्रदान की गई है, जिसमें से 4,602 आवास पूर्ण, 39507 आवास प्रगति पर तथा शेष आवास हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।

सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम)

इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3.00 लाख) तथा एलआईजी (वार्षिक आय 6.00 लाख तक) को उनके स्वामित्व के भूखण्ड पर बैंक से ऋण लेने पर 6 प्रतिशत (अधिकतम ब्याज अनुदान राषि 2.67 लाख) तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अद्यतन भारत सरकार द्वारा 5946 हितग्राहियों को ब्याज सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास की आवश्यकता के आधार पर योजना अंतर्गत समस्त 168 शहरों को शामिल किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों कि गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है। योजना अंतर्गत शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण, और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाना भी है।

- कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार – मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।
- सामजिक एकजुटता और संस्था विकास – इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। पंजीकृत क्षेत्रों के महासंघों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- शहरी गरीबों को सब्सिडी – सूक्ष्मउद्यमों (माइक्रो इंटरप्राइजेज) और समूहउद्यमों (ग्रुप इंटरप्राइजेज) की स्थापना के जरिए स्व–रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- शहरी बेघरों के लिए आश्रय – इस घटक अंतर्गत शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय निर्माण किया जाता है।

बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा और कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं भी संचालित है।

4.11लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में कुल 74,619 बसाहटें हैं जिनमें से 50,687 बसाहटें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं 3185 बसाहटें अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं (संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार)। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 31.03.2019 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था निम्नानुसार हैः– (संलग्न परिशिष्ट–2 अनुसार)

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कुल बसाहटें	50,687	–
2	पेयजल व्यवस्था पूर्ण बसाहटें	49,604	97.86%
3	आंशिक पूर्ण बसाहटें	711	1.40%
4	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटें	372	0.73.%

31.03.2019 की स्थिति में 97.86% बसाहटों में आवश्यकता के अनुरुप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 1.40% बसाहटों में आंशिक रुप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 0.73% बसाहटों में गुणवत्ता की समस्या है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं जैसे आई.आर. पी, एफ.आर.पी., आर. ओ. इत्यादि बसाहटों में स्थापित कराये जा रहे हैं।

पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए सभी पंचायतों को FTK उपलब्ध कराया गया है तथा ग्राम के कुछ लोगों को नमूना जांच का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 मोबाईल वेन से भी जल नमूना का जांच किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला संचालित है। इस प्रकार जल नमूनों की जांच की पर्याप्त व्यवस्था है एवं गुणवत्ता जांच सतत किया जा रहा है।

❋❋❋❋❋

4.12 उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी

1. वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 226373 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 22675 सामान्य वर्ग, 29555 **अनुसूचित जाति,** 45439 **अनुसूचित जनजाति** एवं 98232 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्यनरत् थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4277 समान्य वर्ग, 5536 **अनुसूचित जाति,** 6096 **अनुसूचित जनजाति** तथा 14563 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्ययनरत् थे।
2. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुनर्प्रत्यायन की प्रक्रिया सुनिष्चित करने हेतु प्रयास निरंतर जारी है। परिणामतः आज प्रदेश में। Grade प्राप्त 02 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 06 महाविद्यालयों सहित लगभग 58 शासकीय महाविद्यालय, 08 अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, 02 अशासकीय विश्वविद्यालय एवं 23 अशासकीय महाविद्यालय नैक द्वारा प्रत्यायित/पुनर्प्रत्यायित है।
3. राज्य–गठन के समय लगभग 3.5 सकल नामांकन अनुपात (GER) वाला छत्तीसगढ़ राज्य आज लगभग 18.4 सकल नामांकन अनुपात तक पहुँच गया है।
4. सत्र 2018–19 में 31 नवीन शासकीय महाविद्यालयों (भाटागांव, गुढ़ियारी, समोदा (जिला–रायपुर), सोनाखान, मोपका–निपनिया, वटगन (जिला–बलौदाबाजार, भाटापारा), गोहरापदर (जिला–गरियाबंद), सिलौटी, आमदी (जिला–धमतरी), चिरको, पिरदा, तेन्दुकोना (जिला–महासमुंद), मचांदुर, जामुल, (जिला–दुर्ग), परपोड़ी, (जिला–बेमेतरा), माहूद बी (जिला–बालोद), ठेलकाडीह, औंधी (जिला–राजनांदगांव), झलमला, कुई–कुकदुर (जिला–कबीरधाम–कर्वधा), नरहरपुर (जिला–कांकेर), अमोरा (जिला–मुंगेली), नगरदा, बिर्रा (जिला–जांजगीर–चांपा), जटगा (जिला–कोरबा), मनोरा, बागबहार (जिला–जशपुर), कमलेश्वर, लखनपुर (जिला–सरगुजा)) की स्थापना की गई तथा कुल 625 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये।
5. सत्र 2018–19 में 10 अशासकीय महाविद्यालय (त्रिवेणी संगम कला एवं वाणिज्य महा विद्यालय, धमधा, चाणक्य कॉम्युनिटी कॉलेज, टाटीबंध रायपुर, सृष्टि महाविद्यालय अभनपुर, सिद्धार्थ महाविद्यालय बिलासपुर, आर.डी.एस. महा. बिलासपुर, कॉलेज ऑफ एजुकेषन मेड़ुका, बिलासपुर, चौकसे कॉलेज ऑफ सादंस एण्ड कॉमर्स, बिलासपुर, ओ.पी. शर्मा महाविद्यालय जांजगीर चांपा, सी.के.डी. महिला महाविद्यालय जशपुर, जानकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रायगढ़) प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

6. सत्र 2018–19 में 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इस हेतु प्राध्यापक के 70 पद स्वीकृत किये गये।
7. सत्र 2018–19 में 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इस हेतु 70 सहायक प्राध्यापक, 26 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 26 प्रयोगशला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये हैं।
8. वर्ष 2018–19 में प्रदेष के 11 स्नातक स्तर के महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नयन किया गया है।
9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के 14 शासकीय महाविद्यालयों में 08 कन्या एवं 06 बालक छात्रावास के संचालन हेतु 70 पद स्वीकृत करते हुए राशि रूपये 160 लाख का प्रावधान किया गया है।
10. 05 शासकीय महाविद्यालयों –शासकीय नवीन महाविद्यालय सरिया, शासकीय नवीन महाविद्यालय चंद्रपुर, शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव, शासकीय नवीन महाविद्यालय खरोरा एवं शासकीय महाविद्यालय नंदनीनगर के भवन निर्माण हेतु रूपये 200 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
11. दीनदयाल आदर्श महाविद्यालय उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 11 शासकीय महाविद्यालयों को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास हेतु राशि रूपये 2100 लाख का प्रावधान किया गया है।
12. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) परियोजना अन्तर्गत कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, महासमुंद, बीजापुर एवं कोरबा में 07 नवीन आदर्श महाविद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
13. रूसा परियोजना अन्तर्गत 07 विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय एवं 59 महाविद्यालयों को 2 करोड़ प्रति महाविद्यालय अनुदान प्राप्त होगा।
14. शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग को उन्नयन हेतु रूपये 5 करोड़ अनुदान प्रदान किया जायेगा।
15. 100 शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैम्प निर्माण हेतु राशि रूपये 500 लाख का प्रावधान किया गया है।
16. बालिका शिक्षा को लगातार प्रोत्साहन देने की कोशिशें अब सकारात्मक परिणाम के रूप में दिखाई दे रही हैं। शासकीय महाविद्यालयों में आज लैंगिग अनुपात वर्ष 2004 के 1:0.7 से बढ़कर 1:1.46 है।
17. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 'राज्य उच्च शिक्षा परिषद्' का गठन किया जाकर राज्य परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया तथा राज्य की नवीन कार्य–योजना तैयार की गई है।

18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के अंतर्गत पंजीयन के लिए सभी पात्र विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रस्ताव का प्रेषण किया गया है।
19. आगामी परीक्षा सत्र से प्रदेश के छात्र–छात्राओं के हित में पुनर्मूल्यांकन में यदि 5 प्रतिशत अंकों का अंतर आता है, तो भी मान्य करने हुए तदनुसार इसका लाभ छात्र–छात्राओं को दिए जाने हेतु समस्त विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है।
20. प्रदेश के कुल 13 निजी महाविद्यालयों को शासन द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
21. सत्र 2018–19 में शासकीय महाविद्यालयों में 91982 छात्र एवं 134391 छात्राएँ (कुल 226373) अध्ययनरत हैं, जो पिछले साल की संख्या से 24250 अधिक है।
22. सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संवाद हेतु ग्रुप ई–मेल, व्हाट्सएप एवं एस.एम.एस. का उपयोग प्रारंभ किया गया है।
23. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति 10:30 से 05:30 बजे तक अनिवार्य की गई है एवं बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति हेतु निर्देश जारी किया गया है।
24. सभी महाविद्यालयों एवं विष्वविद्यालयों को स्वयं का वेबसाईट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट से जोड़ा जा रहा है।
25. शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न विषयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध 1943 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।
26. **राज्य के महाविद्यालयों का ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)'' द्वारा मूल्यांकन**–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (NAAC) से मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है ताकि नैक द्वारा दिये गये ग्रेड के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान को निर्धारित कर सके। वर्तमान में राज्य में 08 शासकीय विश्वविद्यालय, 13 निजी विश्वविद्यालय, 252 शासकीय महाविद्यालय एवं 239 अशासकीय महाविद्यालय (226 अनुदान अप्राप्त एवं 13 अनुदान प्राप्त) संचालित हैं।

    प्रदेश के **58** शासकीय महाविद्यालय, **02** निजी विश्वविद्यालय, **02** शासकीय विश्वविद्यालय, **08** अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, तथा **23** अशासकीय महाविद्यालयों का मूल्यांकन हो चुका है।
27. **राष्ट्रीय सेवा योजना** –भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पूर्णरूपेण केन्द्रीय योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य एन.एस.एस. सेल का गठन किया गया है । राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य ''सामुदायिक कार्यों द्वारा छात्र के व्यक्तित्व का विकास'' निर्धारित किया गया। वर्ष 2018–19 में केन्द्र शासन द्वारा छात्र संख्या 98500 का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियाँ– ''नियमित गतिविधियाँ'' तथा ''विशेष शिविर गतिविधियाँ'' होती हैं। दोनो प्रकार की गतिविधियों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना का 50 वर्ष 2018–19 में पूर्ण होने से यह स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

28. **बी.पी.एल. बुक बैक योजनाः–** बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रू. **50 लाख** का बजट प्रावधान किया गया है।

29. **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना** :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस हेतु बजट में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 110.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 78.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से स्नातक स्तर पर कुल–67037 (अनुसूचित जाति के 26711 एवं अनुसूचित जनजाति के 40326) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल–10269 (अनुसूचित जाति के 4719 एवं अनुसूचित जनजाति के 5550) इस प्रकार कुल–77306 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

30. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेत बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। सत्र 2017–18 में बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत 18931/– विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 58885600 वितरित की गई है।

❋❋❋❋❋

4.13 रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पक्ष

छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 हेतु जानकारी।

राज्य में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार स्थापित करने की दृष्टि से छ.ग. शासन, कौशल विकास विभाग के अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। विभाग द्वारा राज्य के सभी विकास खण्ड में कम से कम एक–एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की योजना है। जिसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में राज्य के 146 मे से कुल 142 विकास खण्ड में शासकीय आई.टी.आई. स्थापित हैं। शेष 04 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड में से 03 विकासखण्ड क्रमशः मनोरा एवं दुलदुला, जिला–जशपुर तथा बतौली, जिला–सरगुजा में नवीन आई.टी.आई. स्थापना के लिये वर्ष 2019–20 के बजट में स्वीकृत है। वर्तमान में एक मात्र विकासखण्ड मनोरा, जिला–नारायणपुर में आई.टी.आई. की स्थापना किया जाना शेष है।

अनुसूचित क्षेत्र –

वर्तमान में राज्य के 85 विकास खण्ड, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित हैं, जिसमें से 81 विकास खण्ड में आई.टी.आई. संचालित हैं। तद्नुसार वर्तमान में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड का 95% क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में 03 अतिरिक्त विकासखण्ड को कवर किया है। जिससे कुल 84 विकासखण्ड में शासकीय आई.टी.आई. संचालित होंगे।

राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य 12 विकास खण्ड में कुल 13 आई.टी.आई. संचालित हैं। तद्नुसार अनुसूचित जाति बाहुल्य का 100% क्षेत्र में शासकीय आई.टी.आई. संचालित है।

आई.टी.आई. –

राज्य में संचालित कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. में से 75 आई.टी.आई. (42.13%) अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) तथा 13 आई.टी.आई.(7.30%) अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) अंतर्गत संचालित है। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थायें विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संचालित हैं। वर्तमान में अनेक संस्थाऐं ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित हैं किन्तु सामान्य योजना अंतर्गत संचालित हैं। जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रानुसार संस्थाओं का वितरण

असमान है। अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित ऐसे संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित करने की योजना है। जिससे कि शासन द्वारा निर्धारित योजनानुपात लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

क्र.	वर्ष	संचालित ITI			प्रारंभ किये गये नवीन ITI		
		कुल	TSP	SCSP	कुल	TSP	SCSP
1	2018—19	178	75	13	—	—	—

संस्थाओं में स्वीकृत सीट –

वर्ष 2018—19 में प्रदेश में संचालित कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. में कुल प्रशिक्षण क्षमता 28177 सीट्स (फ्री सीट्स 21326, पेमेंट सीट्स 6851) थी, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 2588 सीट्स अधिक है। इस प्रकार लगभग 10.12% की वृद्धि हुई। शासन के नियमानुसार स्वीकृत फ्री सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 8048(38 %) तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 2309(12 %) सीट्स आरक्षित हैं। स्वीकृत सीटों के 30% अधिसंख्य सीटों पर पेमेंट सीट के रूप में प्रवेश दी जाती है। जिसमें अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं हैं। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थायें विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित हैं जहॉ स्वीकृत 1890 सीट्स, कुल प्रशिक्षण क्षमता में शामिल होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत में आधिक्य विद्यमान है।

क्र.	वर्ष	संचालित ITI	प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	कुल प्रशिक्षणार्थी	ST प्रशिक्षणार्थी	SC प्रशिक्षणार्थी
1	2018—19	178	28177	24907	9149	3332

बजट – विभाग के अंतर्गत संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के ''प्रशिक्षण पक्ष'' के लिए वित्तीय वर्ष 2018—19 में राशि रू. 30922.57 लाख का बजट प्रावधान था। जिसमें से कुल राशि रू. 15559.11 लाख (50.32%) व्यय हुआ। व्यय में कमी का मुख्य कारण विभाग में स्वीकृत पदों

का रिक्त होना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है–

क्र	योजना	प्रावधान	प्रावधान का %	व्यय	व्यय का %
1	सामान्य	18426.85	59.59	9794.16	53.15
2	अनुसूचित जनजाति	10510.32	33.99	5157.89	49.07
3	अनुसूचित जाति	1985.40	6.42	607.06	30.58
योग –		30922.57	**100.00**	**15559.11**	**50.32**

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित कुछ आई.टी.आई. सामान्य योजना के अंतर्गत संचालित होने के कारण योजनावार बजट प्रावधान में अंतर उत्पन्न हुई है। इन संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित कर बजट समावेशन किये जाने की योजना है।

TURNER
CNC LAB

TRACTOR MECHANIC

TURNER

ELECTRICIAN

DRAUGHTSMAN
CIVIL

कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थीगण

रोजगार पक्ष

(1) युवा क्षमता विकास योजना

प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्वि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में युवा क्षमता विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा पर होने वाले व्यय में छूट के प्रावधान के अतंर्गत 1,37,346 आवेदकों को लाभांवित कर राशि रूपये 1,44,53,000/– व्यय किया गया।

(2) रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजनः–

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए

प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु 414 रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट केम्प के माध्यम से 8967 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(3) भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षणः–

छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सैन्य बलों में छ0ग0 के युवाओं की भगीदारी सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य से राज्य में सैन्य भर्ती रैलियों का आयोजन कर थल सेना में 354 एवं वायु सेना में 135 एवं जल सेना के अतंर्गत 13 युवाओं का चयन किया गया ।

(4) व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श

रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार सहायता के लिए संपर्क करने वाले आवेदकों को सतत् व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदकों को व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पंजीयन मार्गदर्शन, सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से रोजगार बाजार की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ये जानकारियां कार्यालय में सामूहिक परिचर्चा, कैरियर वार्ता, कैरियर सम्मेलन और प्रदर्शनी के माध्यम से सतत् रूप से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कैरियर परिचर्चा, कैरियर वार्ता और कैरियर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के 135032 आवदकों को पंजीयन मार्गदर्शन, 34746 आवेदकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं 239 शैक्षणिक संस्थाओं हायर सेकेण्डरी स्कूल / कालेजों में कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

<u>रोजगार पक्ष, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभागीय योजनाऐं / गतिविधियां</u>

(1) युवा क्षमता विकास योजना

प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा. / अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000 / – प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(2) रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजनः–

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है।

(3) भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षणः–

छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

4.14महिला एवं बाल विकास विभाग

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवाएं, आरंभ कर आंगनवाड़ी केन्द्रों की शुरूआत की गई थी। इस योजना को बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में 06 वर्ष तक मानसिक बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया था। योजना अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए है :–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती हैः–

क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	गर्भवती महिलायें एवं 0–6 आयु वर्ष तक के बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	गर्भवती महिलायें, धात्री माताऍ एवं 0–6 वर्ष तक आयु के बच्चे ।
3	संदर्भ सेवाऍ	0–6 वर्ष तक आयु के गम्भीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताऍ।
4	पूरक पोषाहार	गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक आयु के बच्चे,
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	03–06 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चे

समेकित बाल विकास योजना में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था

प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जानी वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार का विवरण निम्नानुसार है :-

3-6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार :-

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गम्भीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। प्रत्येक बुधवार को मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत 100 मि.ली. मीठा सुगन्धित दूध भी दिया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन मे रोटी, चांवल, मिक्स दाल, दो प्रकार की सब्जी (एक सूखी व एक रसेदार), अचार, पापड़, सलाद व गुड़ तथा नाश्ते में रेडी-टू-ईट फूड का हलवा एवं पोहा का प्रदाय किया जा रहा है।

नाश्ता एवं चांवल आधारित गर्म पके हुए भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिये पूरक पोषण आहार :-

टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूँ आधारित रेडी-टू-ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें रागी व मूंगफल्ली का समावेश भी किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जा रहा है। शिशुवती महिलाओं को 150 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) रेडी-टू-ईट

फूड प्रदाय किया जा रहा है। रेडी–टू–ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में लगभग 23.88 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है जिनमें 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती एवं शिशुवती मातायें शामिल हैं। वर्ष 2018–19 में इस हेतु 677.34 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

महतारी जतन योजना :–

इस योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोग के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए योजना का शुभारंभ **मई 2016** मे किया गया था। योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक–पृथक मेन्यू अनुसार प्रदाय की जा रही है, जिसमें चांवल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़ सलाद आदि दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जाने का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 1.64 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभांवित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में इस हेतु 24.89 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री अमृत योजना :–

अभिनव प्रयोग के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिए योजना का शुभारंभ **अप्रैल 2016** में किया गया था। योजना अंतर्गत बच्चों को 100 मि.ली. मीठा सुगंधित दूध प्रत्येक बुधवार को दिया जा रहा है। योजनांतर्गत लगभग 7.89 लाख बच्चों को लाभांवित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में इस हेतु 32.88 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पोषण अभियान

भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में **पोषण अभियान** का शुभारंभ किया गया है। यह शुभारंभ 08 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झुंझूनू, राजस्थान में किया गया है। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जावेगी। प्रथम चरण में राज्य के 12 जिलों को लिया गया था तथा वर्ष 2018–19 से शेष 15 जिलों को लिया गया है। पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटको का विवरण निम्नानुसार है :–

अभियान के लक्ष्य :–

पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में विद्यमान कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 02 प्रतिशत की कमी लाते हुए 03 वर्षों में 06 प्रतिशत की कमी लाना लक्षित किया गया है।

पोषण अभियान के घटको का विवरण :–

1. **आईसीटी–आरटीएम के माध्यम से डाटा का संप्रेषण (ICT-RTM)** :–सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पर्यवेक्षकों को मोबाईल प्रदाय करते हुए एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंगनबाड़ी के समस्त सूचकांको का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। 07 आईसीटी–आरटीएम जिलों की 90 प्रतिशत से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाईल के माध्यम से भारत सरकार के सर्वर पर डाटा प्रेषण किया जा रहा है।

2. **सतत् सीख प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का उन्नयन (ILA)** :– सतत् सीख प्रक्रिया के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान के स्तर को प्रत्येक 15 दिवस में एक विशिष्ट विषय पर उन्नत किया जाता है। राज्य स्तर के अधिकारियों से प्रारंभ करते हुए मैदानी अमले को विषय विशेष पर प्रशिक्षित किया जाता है। उक्त

हेतु 21 विषय चिन्हांकित कर मॉड्यूल उपलब्ध कराये गए हैं। वर्तमान में राज्य स्तर से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर तक 07 मॉड्यूल में प्रशिक्षण संपादित हो चुका है।

3. **समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन (CBE)** :– समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामवासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूक करते हुए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश दिये जाते है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए गोदभराई, 06 माह पूर्ण किए बच्चों का अन्नप्राशन, पुरूषो की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सुपोषण दिवस, शाला पूर्व शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य संबंधी संदेश जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

4. **विभिन्न विभागो के मध्य अभिसरण (Convergence)** :– पोषण अभियान के लक्ष्य प्राप्ति अर्थात् कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु विभिन्न सहयोगी विभागो से अभिसरण किया जा रहा है। इस हेतु राज्य, जिला व विकासखण्ड स्तर तक अभिसरण की कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही है व तद्नुसार समेकित रूप से कार्य करने की योजना है।
5. **प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था (Incentives)** :–पोषणअभियान के आईसीटी–आरटीएम घटक अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्तकिए जाने पर प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि रू. 500 तथा सहायिकाओं को राशि रू. 250 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
6. **नवाचार को प्रोत्साहन (Innovation)** :–पोषण अभियान के इस घटक अंतर्गत कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा के लिए जनभागीदारी एवं परिणाम मूलक नवाचार गतिविधियों का चिन्हांकित करते हुए राज्य की आवश्यकतानुरूप क्रियान्वयन किया जाना है।
7. **जन आंदोलन (Public Movement - BCC - IEC)** :– पोषण अभियान के घटक जनआंदोलन के अंतर्गत हर त्यौहार को पोषण त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है एवं

समुदाय की सहभागिता से कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा को जन आंदोलन का रूप दिया गया है।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

- प्रत्येक विकासखंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास।
- बच्चों के संक्रमण की पहचान ।
- निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300/– रूपये सीमा तक स्वास्थ्य जॉच की व्यवस्था।
- एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500/–रूपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएँ भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1000/– रूपये का मानदेय एवं 500/रुपये तक यात्रा व्यय का प्रावधान।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 से आवश्यकता पड़ने पर कुपोषित बच्चों के परिवहन के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई गई है।
- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	लाभान्वित वर्ष	लाभान्वित किये गये बच्चों की संख्या
1	वर्ष 2012–13	125755
2	वर्ष 2013–14	62054
3	वर्ष 2014–15	126751
4	वर्ष 2015–16	130425
5	वर्ष 2016–17	124926
6	वर्ष 2017–18	138380

वर्ष 2017–18 में तृतीय त्रैमास की स्थिति में 108019 बच्चों को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण की स्थिति एवं रोकथाम हेतु प्रयास

विभाग द्वारा प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में जागरूकता के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ–साथ सामुदायिक सहभागिता से पोषण अभियान, वजन त्यौहार से वजन का आकलन तथा गंभीर कुपोषित व संक्रमित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रमुख है। इनके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना विकास के माध्यम से भी सेवाओं को उन्नत करने की ठोस पहल राज्य में की गई है।

राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के अलावा वजन त्यौहार के माध्यम से राज्य के सभी 05 वर्ष तक आयु की आयु के बच्चों का वजन लिया जाकर ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोषण स्तर आंकलन वर्ष 2012 से किया जा रहा है। प्रदेश के 5 वर्ष तक आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं कुपोषण मुक्ति अभियान के फलस्वरूप कुपोषण के स्तर में लगातार आ रही गिरावट की स्थिति विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार–

विभाग द्वारा किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005–06) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2005–06 में कुपोषण की दर 47.1 प्रतिशत थी जो 2015–16 में घटकर 37.7 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार 10 वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत् की कमी हुई है।

2. वजन त्यौहार के अनुसार–

विभाग द्वारा आयोजित वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण के स्तर में 2012 में 40.05 प्रतिशत से 2017 में 26.33 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार 6 वर्षों में कुपोषण में 10 प्रतिशत कमी।

- वजन त्यौहार– (2012) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–40.05%
- वजन त्यौहार– (2013) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–36.89%
- वजन त्यौहार– (2014) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–32.16%
- वजन त्यौहार– (2015) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–29.87%
- वजन त्यौहार– (2016) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–30.13%
- वजन त्यौहार– (2017) के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत–26.33%

इस प्रकार वजन त्यौहार के अनुसार बच्चों के कुपोषण में गत 6 वर्षों में 13.72 प्रतिशत् की कमी आई है।

संस्कार अभियान

संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 06 वर्ष की आयु तक बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का आकर्षक रंग रोगन, बच्चों के बैठने की जगह, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का चिन्हांकन, बच्चों की सुविधा के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक सामग्री का प्रदर्शन, आकर्षक वातावरण का निर्माण, प्रत्येक वस्तु हेतु निर्धारित स्थान एवं सुव्यवस्थित कक्ष जैसी बातों पर ध्यान दिया गया है।

संस्कार अभियान के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यचर्या, आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय के लिए 52 सप्ताह के समय–सारिणी, लगभग 360 गतिविधि युक्त गतिविधि कोष, थीम पुस्तिका, बच्चों के लिए आयु अनुसार गतिविधि पुस्तिका एवं बाल आकलन पत्रक शामिल है।

- अभियान अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदाय हेतु विभागीय अमले का क्षमता संवर्धन किया गया है। राज्य स्तर पर 1600 से अधिक प्रतिभागियों तथा जिला स्तर पर लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सघन जीवंत प्रशिक्षण दिया गया।
- संस्कार अभियान के तहत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित समयसारिणी अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- इस वर्ष के अंत में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें विभागीय अमले को विशिष्ट विकास क्षेत्र आधारित चार–चार दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।
- प्रथम चरण में लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्कार अभियान को सुप्रसिद्ध ''स्कॉच अवार्ड'' प्राप्त हुआ है। इसके तहत संस्कार अभियान को देश के प्रथम 200 स्मार्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।

आंगनबाड़ी भवन निर्माण

राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवता में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के समन्वय से विभागीय बजट व अन्य निधियों से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कुल स्वीकृत 52474 आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कुल 44313 आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत हो चुके है। स्थानीय तथा राज्य स्तर से अधिकाधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पक्कें भवनों की स्वीकृति के प्रयास निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है ।
- **योजना अंतर्गत देय लाभ :–**
- योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को 11500 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1000.00 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाते है तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि रूपये 2500.00 तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- योजना प्रारंभ से अब तक 77124 कन्याओं के विवाह संपन्न कराया गया जिस पर 82.03 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 874 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 13.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

महिलाओं को आज भी अल्पपोषण प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है, देश में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती है, जब कुपोषण गर्भाशय में भी शुरू हो जाता है, तो यह पूरे चक्र में चलता रहता है और ज्यादातर अपरिवर्तनीय होता है।

आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका अर्जित करना जारी रखती है, इसके अलावा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है और पहले छः माह में अपने नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने की अपने सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती है।

उपरोक्त परिदृश्य की ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है, तथा प्रथम जीवित संतान हेतु ही योजना का लाभ देय है।

<u>लक्षित लाभार्थी</u>

ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजानिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्रता रखती हैं।

योजना अंतर्गत लाभ

योजना अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये तीन किश्तो में 5000/– रूपये राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

उपलब्धि :-

- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अंतर्गत अब तक 1,99,879 हितग्राहियों का आनलाईन संचालित सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जा चुकी है।
- योजनांतर्गत 1,65,463 हितग्राहियों की कुल राशि 48.46/- करोड़ रूपये का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा चुका है।

महिला जागृति शिविर

- महिला जागृति शिविर का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है।
- विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय-समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- योजना प्रारम्भ से अब तक 23095 से अधिक शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। आयोजित शिविरों के द्वारा 4.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किये गए है। इस वर्ष अब तक 938 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।
- विभिन्न स्तरों पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किये जाने हेतु जिलों को आबंटन प्रदाय किया जा चुका है

दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम

- योजनांतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाता है ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर/इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। दिशा दर्शन कार्यक्रम वर्ष 2012-13 से संचालित किया जा रहा है।
- महिला स्व-सहायता समूहों को अन्य समूहों/संगठनों के कार्यो का अवलोकन कराये जाने हेतु विभाग अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 150.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

1.

2.

4.15 ग्रामोद्योग :–छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी

उद्देश्य–बोर्ड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर, शोषण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना का व्यापक उद्देश्य है। अर्थात् ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कराना है। खादी तथा ग्रामोद्योग के विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करना, जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कर व्यक्तियों, संस्थाओं को वितरित करना।

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजना एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) की यह प्रायोजित योजना है । इस योजनांतर्गत सेवा क्षेत्र हेतु रू. 10.00 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को 25% तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35% मार्जिन मनी (अनुदान) बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष को परियोजना लागत का 10% तथा अन्य को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। उक्त योजना को आयोग द्वारा ऑनलाईन किया गया है।

इस योजनांतर्गत **ईंट निर्माण, फलाई एश ब्रिक्स, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, सेन्ट्रिंग कार्य, फेब्रिकेशन, अगरबत्ती निर्माण, मोटर सायकल रिपेरिंग, कम्प्यूटर रिपेरिंग, मसाला उद्योग, आटा चक्की, वनोपज संग्रहण, स्टोन केशर, राईस मिल, फर्नीचर निर्माण, ऑटो रिपेयरिंग** इत्यादि उद्योगों की स्थापना हेतु लाभान्वित किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 761 इकाई की स्थापना हेतु राशि रू. 1901.73 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 1982.00 लाख का विनियोजन कर 906 इकाईयों की स्थापना कराकर 7248 लोगों को रोजगार से लगाया गया है ।

वर्ष 2018–19 में लाभान्वित अजा एवं अजजा की भौतिक एंव वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है –

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य			पूर्ति			
		इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	रिमार्क
1.	ST	233	582.26	1864	233	582.26	1864	खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त राशि अनुसार
2.	SC	98	244.90	784	98	244.90	784	
	Total-	331	827.16	2648	331	827.16	2648	

(2) मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–यह राज्य शासन की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रूपये 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु राशि रू. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5% है। अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे–छोटे ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामोद्योग का विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है।

इस योजनांतर्गत **ब्यूटी पार्लर, सिलाई, वनोपज संग्रहण, सायकल मरम्मत, दोना पत्तल, फोटो कापी, ईंट निर्माण, मसाला उद्योग, होटल, कम्प्यूटर कार्य, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक, साउण्ड सिस्टम, टेन्ट हाउस** इत्यादि उद्योगों की स्थापना के लिए लाभान्वित किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राशि रू. 612.50 लाख के विनियोजन से 583 इकाई स्थापित कर 3498 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध शासन द्वारा राशि रू. 397.89 लाख प्रदाय किया गया जिससे 643 इकाई की स्थापना कर 3848 लोगों को रोजगार देकर लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति किया गया ।

वर्ष 2018–19 में लाभान्वित अजा एवं अजजा की भौतिक एंव वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है –

(राशि रू.लाख में)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य			पूर्ति			
		इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	इकाई संख्या	अनुदान राशि	रोजगार	रिमार्क
1.	ST	200	210.300	1200	130	136.57	780	शासन से प्राप्त राशि अनुसार शात–प्रतिशत पूर्ति की गयी है ।
2.	SC	200	210.300	1200	130	136.58	780	
	Total-	400	420.600	2400	260	273.150	1560	

(3) कारीगर प्रशिक्षण :– इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक–युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सके।

इस योजनांतर्गत **मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर सायकल मरम्मत, टेली यूजिंग, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, बुनाई, बेसिक बी कीपिंग, रिपेयरिंग एण्ड ओव्हरॉलिंग ऑफ टू व्हीलर एण्ड थ्री व्हीलर ट्रेड, फ्रीज एवं ए.सी. रिपेयर, गारमेंट मेकिंग, बांस फर्नीचर निर्माण, प्लम्बर** इत्यादि ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राशि रू. 48.53 लाख के विनियोजन से 203 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध शासन द्वारा राशि रू. 31.58 लाख प्रदाय किया गया जिससे 203 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया है, उपलब्धि शत–प्रतिशत है ।

वर्ष 2018–19 में लाभान्वित अजा एवं अजजा की भौतिक एंव वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है –

(राशि रू.लाख में)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य		पूर्ति		
		प्रशिक्षार्थी संख्या	राशि	प्रशिक्षार्थी संख्या	राशि	रिमार्क
1.	ST	67	16.173	67	10.530	शासन से प्राप्त राशि अनुसार शत–प्रतिशत पूर्ति की गयी है ।
2.	SC	65	16.165	65	10.530	
	Total-	132	32.3380	132	21.060	

उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही हेतु जानकारी प्रेषित है ।

❋❋❋❋❋

4.16 रेशम उद्योग

ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग ,

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (योजना कमांक 2731)

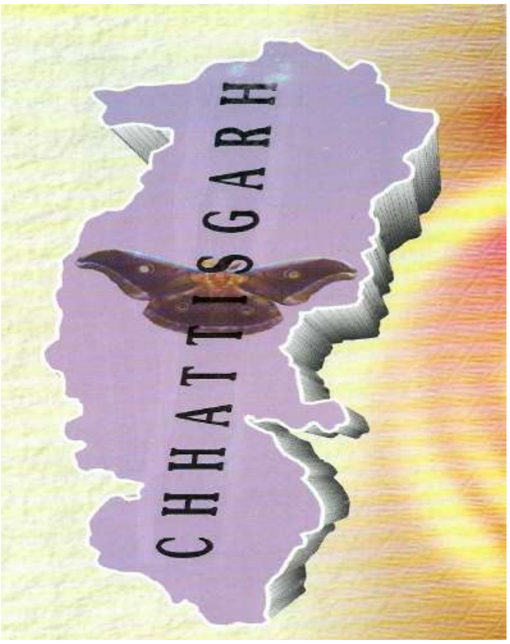

उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, एवं मलबरी के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक कोसा उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रषिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर,मलबरी, स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर,मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधियॉ संपादित की जाती है।

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 27 विभागीय कर्मचारियों को एवं 991 कृमिपालक हितग्राहिय/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है विवरण निम्नानुसार है।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना कमांक 2731 अन्तर्गत प्रावधानित एवं आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
5	**2013–14**	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	32.00	31.98
6	**2014–15**		35.55	32.58
7	**2015–16**		33.50	33.47
8	**2016–17**		36.85	31.75
9	**2017–18**		40.80	40.80
10	**2018–19**		45.40	41.66

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 से 2018–19 तक कुल लाभावित हितग्राही एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों की संख्या का विवरण :–

क्र0	वर्ष	विवरण	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.
5	**2013–14**	मलबरी एवं टसर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नर्सरी एवं पौधरोपण पद्धति तथा संधारण प्रक्रिया,कृमिपालन भवन का निरोगीकरण, चॉकी कृमिपालन, नवीनतम तकनीक, संस्थागत गतिशीलन, जागरूकता एवं पौधों पर होने वाली बीमारियों के संबंध में रोकथाम के उपाय, टसर ग्रेनेज की उन्नत तकनीक (निजी ग्रेन्यूर) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर रेषम रोजगार हेतु परिपक्व बनाना।	1075	123	793
6	**2014–15**		1405	265	1140
7	**2015–16**	**विभा.कर्म 51+949 हित.**	1000	.	.
8	**2016–17**	**विभा.कर्म 19+965 हित.**	984	.	.
9	**2017–18**	**विभा.कर्म 27+198 हित प्रशि. 642 अन्य**	867	23	112
10	**2018–19**	**विभा.कर्म हित लक्ष्य 1290**	991		

<u>पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना (योजना कमांक 5662)</u>

प्रदेश के व्यवसायिक पालित टसर कृमिपालकों को विभाग द्वारा कृमिपालक हितग्राहियों को मात्र रू0 2/– प्रति स्वस्थ समूह की दर पर स्व.समूह (अण्डे) प्रदाय किया जाता है। तथ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय फसल में इस वर्ष रू0 10/– प्रति स्वस्थ समूह की दर सहायता राषि प्रदान की जाती है, एवं उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेष में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 292 केन्द्रों (विभागीय 82 केन्द्रो/52 मलबरी से ट.परि./नये विस्तार–158 स्थलों में 6755 हेक्टेयर एवं 132 परियोजना केन्द्रों पर 2005 हेक्टेयर तथा प्राकृतिक वन खण्डों पर 5273 हेक्टेयर कुल उपलब्ध क्षेत्र 14033 हेक्टेयर है, जिसमें ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों को अण्डे देकर कृमिपालन कार्य कराया जाता है। तथा उनसे उत्पादित ककून शासकीय दर से विभाग द्वारा गठित ककून बैकों द्वारा क्रय कर लिया जाता है।

टसर

टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना कमांक 5662 अन्तर्गत आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

कं.	वर्ष	योजना का नाम / कमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2013–14	टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना / योजना कमांक 5662	155.00	121.54
2	2014–15		155.00	145.14
3	2015–16		155.00	144.51
4	2016–17		593.00	541.25
5	2017–18		1241.71	645.37
6	2018–19		1261.75	877.25

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के उपयोगित टसर स्वस्थ समूह एवं कृमिपालक हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	विवरण	इकाई	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19
1	पालित टसर ककून उत्पादन हेतु स्व.समूह प्रदाय	लाख नग में	22.25	22.56	28.12	28.29	26.86	29.68
2	टसर स्वस्थ समूह से कुल लाभांवित हितग्राही	संख्या में	10093	9323	13837	12234	12156	11923
	अ.जा.		1149	939	1327	1522	1362	1612
	अ.ज.जा.		6907	6117	7914	8029	7996	7346

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 5146)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 14033 हेक्टेयर साजा, अर्जुना का टसर खाद्य पौधरोपण कुल क्षेत्र है, जिसका उपयोग टसर योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 5146 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2013—14	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम/ योजना क्रमांक 5146	1351.60	1278.71
2	2014—15		1332.60	1322.62
3	2015—16		1706.85	1690.80
4	2016—17		1794.95	1692.47
5	2017—18		2109.50	2017.57
6	2018—19		2450.50	2115.23

विगत 6 वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0	विवरण	इकाई	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
1	पालित टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	583.026	634.026	769.367	874.00	851.549	948.30
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	18493	22525	32599	31710	31117	33095
	अ.जा.		2092	2713	3181	4160	3625	3639
	अ.ज.जा.		12017	13380	18110	16542	18523	18049

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 3777)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग के अंतर्गत मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत विभाग द्वारा हितग्राहीयों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनांतर्गत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय बोल्टाइन) **रू. 168/**—एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी बोल्टाईन) **रू. 144/**—प्रति किलोग्राम है। विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2013–14	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777,3394,5106	307.50	306.68
2	2014–15		320.00	316.82
3	2015–16		383.65	350.21
4	2016–17		420.15	403.29
5	2017–18		474.50	446.24
6	2018–19		501.90	411.21

विगत 6 वर्षों की मलबरी ककून उत्पादन केउपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	विवरण	ईकाई	**13.14**	**14.15**	**15.16**	**16.17**	**17.18**	**2018.19**
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	64911	66278	68918	60501	68639	68914
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	2596	3457	3242	2675	2936	3137
	अ.जा.		285	361	349	199	147	467
	अ.ज.जा.		1559	2144	2242	1849	2211	2190

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164)

छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जगदलपुर, (बस्तर), उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, कोरिया जिलें में हरितिमा का परिधान ओढ़े वनों से अच्छादित क्षेत्र है। उक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के

परिवार निवास करते है जोकि समाज के मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नही है। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहे है। इसी क्रम में उक्त जिले में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नैसर्गिक बीज का प्रगुणन किया जाकर, उसे सघन वन क्षेत्रों में फैलाया जाता है जिससे वनवासी हितग्राही द्वारा नैसर्गिक कोसा संग्रहण किया जाकर आय का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सके। इस क्षेत्र में निवास करने वाले उक्त परिवार मूलतः वनों पर आधारित उपज का विपणन कर अपना जीविकोपार्जन करते है। उक्त जिले वन खण्डों में प्राकृतिक रूप से साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते है। इन वृक्षों में टसर कोसा की रैली, लरिया एवं बरफ प्रजाति के कोसाफल नैसर्गिक रूप से उत्पादित होते है।

नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं सघन विकास कार्यक्रम–केम्प की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिताः–

प्राकृतिक वन खण्डों से ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा नैसर्गिक कोसाफल के लगातार दोहन से वनों में बीज हेतु कोसाफलों की संख्या न्यून हो जाने के कारण नैसर्गिक प्रगुणन की प्रक्रिया धीमी होने से नैसर्गिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होने लगाता है तथा उत्पादन कम होते जाता है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने हेतु ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन खण्डों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कार्यक्रम (इंटेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बीज कोसाफल की मालाएॅ सघन वन क्षेत्रों के मध्य लगाई जाकर उनसे प्राप्त नर–मादा तितलियॉ एवं निषेचित अण्डे प्राकृतिक वन खण्डों में छोड़ा जाता है। मादा तितलियों के द्वारा उत्सर्जित अण्डो में हेंचिग उपरांत साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर की पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन चक्र 45 दिवस में पूर्ण कर कोसाफल बनाते है। नर–मादा तितलियॉ एवं युग्मित अण्डे छोडे जाने से उत्पादन में आषाजनक परिणाम प्राप्त हुए है।

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164) अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2013—14	नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम योजना क्रमांक 164	534.75	521.56
2	2014—15		534.75	152.38
3	2015—16		530.75	301.28
4	2016—17		632.45	568.21
5	2017—18		754.60	701.50
6	2018—19		796.50	478.04

नैसर्गिक कोसा का उत्पादनः—

सामान्यतः इस प्रजाति के टसर कोसा का उत्पादन वर्ष में दो बार प्राप्त होते है। जिसे स्थानीय संग्रहक हितग्राही भादवीं एवं चैती फसल कहते गत छः वर्षो में अनुमानित नैसर्गिक ककून संग्रहण एवं अनुमानित संग्राहक हितग्राही की जानकारी निम्नानुसार है :—

क	विवरण	इकाई	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	2048.40	657.85	693.818	1110.157	1975.802	990.817
2	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	83866	21469	29042	44009	46386	32765
	अ.जा.		12271	3187	3905	5056	4579	4567
	अ.ज.जा.		53409	12221	19083	24552	29678	19540

✵✵✵✵✵

4.17 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

1. हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदानः–

योजनांतर्गत जॉबवर्क/संग्रहण, अध्ययन प्रवास, नई डिजाईनों का क्रय एवं नये डिजाईनों का उत्पादन, शिल्पी विचार संगोष्ठी, समर कैम्प का आयोजन, स्वः सहायता समूह का गठन, समूह सशक्तिकरण आदि योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन हस्तशिल्प विकास बोर्ड के जिला कार्यालय/विकास केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जावेगा। वर्तमान में हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रदेश में 12 कार्यालय एवं विकास केन्द्रों के माध्यम से आश्रित जिलों में योजनाएं संचालित की जाती है।

वर्ष 2018–19 में इस मदांतर्गत प्रावधानित राशि रू. 30.40 लाख के विरूद्ध कुल 270 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें से शासन द्वारा राशि रू. 19.76 लाख विमुक्त किया गया तथा विमुक्त राशि के विरूद्ध कुल 175 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

02. हस्तशिल्पियों को औजार एवं कर्मशाला निर्माण अनुदान :–

राज्य के हस्तशिल्पियों को कर्मशाला एवं औजार उपकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें सामान्य वर्ग के शिल्पियों को कर्मशाला निर्माण हेतु राशि रू. 7,500/– एवं अनु. जाति/अनु. जनजाति के शिल्पियों को राशि रू. 10,000/– तथा औजार उपकरण क्रय करने हेतु अधिकतम रू. 5,000/– अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष2018–19 में योजनांतर्गत राशि रू. 7.60 लाख का बजट प्रावधान है। प्रदेश के शिल्पियों को वर्कशॉप निर्माण एवं औजार उपकरण क्रय करने तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राशि रू. 5000/– प्रति के मान से लगभग 85 शिल्पियों को औजार उपकरण एवं 33 शिल्पियों को कर्मशाला निर्माण अनुदान स्वीकृत करने का लक्ष्य है। शासन द्वारा विमुक्त राशि रू. 4.90 लाख के विरूद्ध लगभग 80 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान :–

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड प्रदेश के प्रचिलित हस्तशिल्प को संरक्षण, संवर्धन एवं विकास विस्तार कर परम्परागत षिल्पियों का कौशल विकास एवं नये युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रचलित शिल्पों में प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जाती हैं। जैस– काष्ठ, लौह, मिट्टी, पत्थर, गोदना, भित्तीचित्र, बांस, षीसल, कौड़ी, तुम्बा, पारंपरिक वस्त्र, कसीदाकारी आदि षिल्प मेंप्रशिक्षण दिया जाता है। एक प्रशिक्षण में कुल 20 प्रषिक्षणार्थी को लाभांवित किया जाता है एवं एक प्रशिक्षण का कुल व्यय राशि रू. 1.71 लाख होता है।

वर्श 2018–19 में योजनांतर्गत राशि रू. 22.10 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें 260 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा विमुक्त राशि रू. 14.34 लाख के विरूद्ध लगभग 170 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

वर्ष 2018–19 में अनुसूचित क्षेत्र हेतु बजट प्रावधान की जानकारी

मांग संख्या–64			लक्ष्य		उपलब्धि	
15	4748	हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनु.	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
	A	हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान	30.40	270	19.76	175
	B	हस्तशिल्पियों को औजार, कर्मशाला अनुदान	7.60	118	4.90	80
	C	हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान	22.10	260	14.34	170
		(योग A+B+C)	**60.10**	**648**	**39.00**	**425**
16	5020	विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास निगम/बोर्ड को अनुदान	117.20	स्था.	76.18	स्था.
		योग : –	**177.30**	**648**	**115.18**	**425**

01. हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान :

विकास योजना कार्यक्रमों का निष्पादन कर संग्रहण एवं जॉबवर्क की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही शिल्पियों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प सामग्री का संग्रहण कर रोजगार एवं उत्पादन को बढ़ावा देना है। उक्त कार्यक्रम में कच्चामाल का क्रय जॉब वर्क एवं सीधे तैयार किये गये शिल्पों के विपणन की गति अन्य कारणों से संतोषप्रद न होने के कारण उपयोग की जाने वाली राशि का वर्ष में न्यूनतम दो बार रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपयोग करना सुनिश्चित किया जावेगा। इसके साथ ही समूह सशक्तिकरण, अध्ययन प्रवास, मोबलाईजेशन तथा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का संचालन किया जावेगा

उद्देश्यः–

01. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के शिल्पियों को बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराना एवं अन्य रचनात्मक सहयोग सुनिश्चित करना है ।

02. यथा–संभव हस्तशिल्प सामग्री की उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ।

03. विकास केन्द्रों के माध्यम से सामग्री संग्रहण कर विपणन सुविधा उपलब्ध कराना

04. सुदूर क्षेत्रों के गरीब शिल्पियों के जीवन स्तर में सुधार लाना ।

05. ग्रामीण युवा/युवतियों को रोजगार से जोड़ना ।

विकास योजना कार्यक्रमों का निष्पादन कर संग्रहण, जॉबवर्क, अध्ययन प्रवास, नई डिजाइनों का क्रय, नई डिजाइनों का उत्पादन, डिजाईन कार्यशाला का आयोजन, स्वःसहायता समूह का गठन, सशक्तिकरण आदि विभिन्न विकास योजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जाती है।

02. हस्तशिल्प में राज्य स्तरीय पुरस्कार :

प्रदेश में हस्तशिल्पियों के उत्साहवर्धन हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख शिल्प बेलमेटल, टेराकोटा, आयरन, काष्ठ, बांस, पत्थर, कौड़ी, शीशल आदि है । राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।प्रत्येक शिल्पियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में राशि रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) एवं शाल, श्रीफल प्रदान की जाती है।

उद्‌देश्यः–

1.प्रदेश के शिल्पियों के कलाकृतियों का मूल्यांकन करना ।

2.शिल्पियों में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैली जागृत करना ।

3.प्रदेश की संस्कृति सम्पदा में निरन्तरता वृद्धि करना ।

4.सुदूर पिछड़े इलाकों में निवासरत शिल्पियों को प्रोत्साहन करना ।

2. शिल्प क्षेत्र में अधिक से अधिक शिल्पियों को जोड़ना ।

03. विकास केन्द्रों के संचालन हेतु स्थापना अनुदानः

राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण, जॉब वर्क, संग्रहण, औजार उपकरण अनुदान, कर्मशाला निर्माण अनुदान, डिजाईन तकनीकी मार्गदर्शन, अध्ययन प्रवास आदि कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है उक्त कार्यो के साथ–साथ विपणन व्यवस्थाओं को सक्षम बनाया जाता है ।

संचालित विकास केन्द्रों का कार्य व्यवसायिक न होकर विशुद्ध रूप से विकासात्मक है । अतः केन्द्रों में पदस्थ अमलों का वेतन भत्ते, स्टेशनरी, बिजली, पानी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भवन किराया, फर्नीचर, यात्रा व्यय आदि की प्रतिपूर्ति उक्त मद से की जाती है। राज्य में बोर्ड द्वारा संचालित योजना/गतिविधियों में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होने के कारण जिला कार्यालय एवं एम्पोरियमों में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी के मानदेय भुगतान एवं अन्य व्ययों का भुगतान किया गया।

04. सहकारी समिति/संस्थाओं को आर्थिक सहायता :

इस योजनांतर्गत राज्य की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठन, सोसायटियों जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत हैं, को राशि रू. 25000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नियमानुसार 03 वर्ष पश्चात् संस्थाओं को इस योजना में लाभलेने की पात्रता आती है।

05. हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान :

परम्परागत एवं प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों के कला कौशल एवं गुणवत्ता में सुधार लाने एवं शिल्पकला में विकसित नवीन तकनीकी एवं डिजाईन प्रक्रियां का व्यवहारिक ज्ञान कराने हेतु हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा निम्न उद्देश्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाता है।

उद्देश्यः–

1. शिल्पियों के शिल्प में गुणात्मक सुधार लाना ।
2. नये शिल्प का सृजन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करना ।
3. शिल्प के माध्यम से बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना
4. लुप्त हुये शिल्पों की खोज एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नजीवित करना ।
5. अल्पकारिक सेक्टर में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण से अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराना।
6. हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से चहुमुखी विकास करना ।

एक प्रशिक्षण में कुल 20 प्रशिक्षणार्थी को लाभांवित किया जाता है एवं एक प्रशिक्षण का कुल व्यय राशि रू. 1.71 लाख होता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	छात्रवृत्ति प्रतिमाह राशि	माह	कुल राशि
1	छात्रवृत्ति	1500	3	90000
2	कच्चामाल	.	.	27000
3	प्रशिक्षक मानदेय	9000	3	27000
4	भवन किराया	.	.	6000
5	औजार उपकरण	.	.	15000
6	अन्य विविध व्यय	.	.	6000
योग			.	**171000**

06. बस्तर हस्तशिल्प विकास योजना :

बस्तर में हस्तशिल्पियों के विकास के लिये राशि रू. 319.25 लाख की पंचवर्षीय योजना संचालित है। इस योजना में बस्तर जिले के कोण्डागांव, भानपुरी क्षेत्र के लगभग 14 ग्रामों के विभिन्न शिल्पों के 1500 शिल्पी लाभान्वित होंगे। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण स्व सहायता समूह का गठन, अध्ययन प्रवास, डिजाईन विकास कार्यशाला, प्रदर्शनी प्रचार–प्रसार आदि कार्यक्रमों हेतु राज्य शासन से प्रतिवर्ष राशि प्राप्त होती है।

07. औजार–उपकरण एवं कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान :

प्रशिक्षित शिल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि रू. 3000/– से 5000/– तक की सीमा में औजार–उपकरण अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं तथा कर्मशाला निर्माण हेतु राशि रू. 7500/– से राशि रू. 10000/– तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उपरोक्त दोनों योजनाओं में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के शिल्पियों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जनजाति/अनु. जाति के शिल्पियों के लिये शत प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

08. कोण्डागांव में शिल्प सिटी की स्थापना :

राज्य के परम्परागत हस्तशिल्प जैसे–बेलमेटल, काष्ठ, बांस, मिटटी, लौह शिल्प आदि को देश एवं विदेश के बाजार में अपनी पहचान बनाने एवं परम्परागत हस्तशिल्प उत्पादन तथा तकनीकि डिजाईन के माध्यम से हस्तशिल्पियों को अधिकाधिक रोजगार मे संलग्न करने/डिजाईनिंग, प्रोसेसिंग, प्रकलन सुविधाओं का विस्तार करना तथा राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को वित्त, बाजार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को महसूस करते हुए कोण्डागांव में एक सुविकसित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना किया जाना है।

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

4.18 चिकित्सा शिक्षा

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के विभागीय दायित्वः–

क. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण।

ख. परिचर्या शिक्षा, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण ।

ग. शासकीय कर्मचारियों को राज्य के बाहर चिकित्सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय।

घ. निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने के संबंध में कार्यवाही ।

च. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) ।

विभागीय संरचनाः–

राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास,विस्तार एवं प्रशासनिक नियंत्राण हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा की पृथक से स्थापना की गयी है

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

शैक्षणिक :–

क/ छत्तीसगढ राज्य में वर्तमान में छः शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अध्ययनरत चिकित्सा छात्रों को सम्बद्ध चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

ख/ एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 150 सीट्स छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 150 सीट, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में 100 सीट, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 50 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालाय, राजनांदगांव में 100 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में 100 एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की 100 सीट हैं । चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 97 सीट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 21 सीट्स कुल 118 सीट है। सिम्स बिलासपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 06 सीट उपलब्ध है तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के स्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में 04 सीट उपलब्ध है।

ग/ प्रदेश में 01 शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीट का है तथा 08 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, जिसमें रायपुर में 50 सीट, बिलासपुर में 60 सीट, जगदलपुर में 60 सीट, अंबिकापुर में 40 सीट, कबीरधाम में 40 सीट, रायगढ़ में 40 सीट, दुर्ग में 50 सीट तथा राजनांदगांव में 30 सीट है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमएससी नर्सिंग कोर्स संचालित किये जा रहें हैं। इस हेतु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर में 25 सीट उपलब्ध है। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014–15 से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की 20 सीट उपलब्ध है एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग की 10 सीटे उपलब्ध है।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय

चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (150) / रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईसेस, रायपुर (150) / श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, भिलाई (150) में उपलब्ध है।

ग/ चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में 1240 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर में 640 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 550 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 500 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 530 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में 450 बिस्तर तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, रायपुर में 64 शैय्याओं के चिकित्सालयों की व्यवस्था है।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धियां

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर–

- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर के नवीन भवन निर्माण कार्य किया जाना है, इस हेतु शासन से कुल राशि रूपये 374.83 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माण कार्य हेतु रूपये 66.53 करोड़, उपकरण हेतु रू 7.00 करोड़ बजट प्रावधानित है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर हेतु 282 पद तथा सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु 616 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय रायपुर –

- पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कैंसर मरीजों के समुचित ईलाज के लिए सीटी सीमुलेटर, आईसीयू यूनिट की स्थापना, लीनियर एक्सीलरेटर, रैपिड आर्क तथा आईजीआरटी मशीन स्थापित एवं कार्यरत् हैं।
- डॉ0 भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड एवं पेंसेंट केयर हेतु नवीन उच्च तकनीकी उपकरण डी.एस.ए. मशीन, मेमोग्राफी

मशीन, 128 स्लाईस सीटी स्केन, 3 टेसला एमआरआई, नेवीगेशन सिस्टम स्थापित एवं कार्यरत् है।

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 से सिम्स बिलासपुर की छात्र प्रवेश संख्या 100 से बढ़ाकर 150 छात्र प्रवेश क्षमता कर दी गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पीएसएम विभाग में 01 सीट, फारेंसिक मेडिसीन विभाग मे 02 तथा वर्ष 2016–17 मे एनाटॉमी विभाग मे स्नातकोत्तर की 03 सीटों की अनुमति भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सतत् प्रयास जारी है।
- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत बिलासपुर में **''मल्टी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय''** की स्थापना हेतु केन्द्र शासन से राशि रू 200.00 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें राज्यांश 40% (80 करोड़) वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जगदलपुर में **''मल्टी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय''** की स्थापना हेतु केन्द्र शासन से राशि रू 200.00 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें राज्यांश 40% (80 करोड़) वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित है।
- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जगदलपुर में ''ट्रॉमा सेंटर'' की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू. 7.50 करोड़ प्रस्तावित है।
- ❖ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.10.2013 को किया गया था, वर्तमान मे महाविद्यालय नवीन भवन मे संचालित है एवं संबद्ध चिकित्सालय का भवन निर्माण पूर्णता की ओर है। स्त्रीरोग विभाग में डीएनबी कोर्स प्रारंभ किया गया है। **(06 Seats** की मान्यता **Diplomat National Board, New Delhi** द्वारा प्राप्त हुए हैं।)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, रायगढ़ अंतर्गत नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है तथा बालक/बालिका छात्रावास भवन, नर्सिंग हॉस्टल, स्टॉफ क्वार्टर एवं आधुनिक उपकरणों सहित जिम भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित है। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों मे नवीन उपकरण स्थापना एवं सुविधा जिसमे Special Newborn Care Unit, X-ray Machine, Blood Bank equipments आदि संचालन मे है।

डी.के.एस.पी.जी.आई एण्ड रिसर्च सेंटर (सुपरस्पेशियेलिटी हास्पीटल)–

- ❖ सुपरस्पेशियेलिटी हास्पीटल पुराने डी.के.एस. भवन में दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ है। हास्पीटल मे नेफ्रोलॉजी, न्यूरालॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, थोरेसिक सर्जरी एवं यूरालॉजी जैसे विषयों के सुपरस्पेशलिस्ट प्रशिक्षित चिकित्सको द्वारा राज्य की जनता को किडनी, न्यूरो एवं हार्ट तथा अन्य बीमारियों के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2018–19 मे रू. 31.83 करोड़ का बजट प्रावधानित है।

- **शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर –**
- शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर मे आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2018–19 से 06 विषयों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु शासन द्वारा 20 शैक्षणिक पद सृजित किये गये हैं।
- महाविद्यालय में 250 अत्याधुनिक डेंटल चेयर, व्ही.आई.पी. क्लिनिक एवं अन्य दंत चिकित्सा से संबंधित समस्त सुविधाएं उपलब्ध है।

वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित योजनायें –

- **ट्रामा युनिट–** केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 05 हास्पीटल मे ट्रामा यूनिट का उन्नयन किया जाना है इस हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरण क्रय के लिये स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार तथा शेष 40 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, जिसमे चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट हेतु केन्द्रीय भाग प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2018–19 मे रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट के प्रत्येक इकाई के लिये रू. 5.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017–18 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जगदलपुर तथा रायगढ़ में ट्रामा यूनिट की स्थापना हेतु पदों की सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। केन्द्र शासन से तीनों संस्थाओं हेतु राशि जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के लिये रूपये 3.40 करोड़ तथा जगदलपुर के लिये रूपये 7.50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- **राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर–** राज्य कैंसर संस्थान, बिलासपुर केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत् स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राशि रू. 10.00 करोड़ प्रावधानित है। वर्ष 2019–20 में भी रू. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है।
- **मनेन्द्रगढ़ मे टर्शरी कैंसर संस्थान की स्थापना–** इस हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रू. 10.00 करोड़ प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी राशि रू. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है।

❋❋❋❋❋

4.19 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के कार्य वर्ष 2018–19

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 36 सड़क कार्य पूर्ण और 98 सडक कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो के अंतर्गत 422.04 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। 27 पुल पूर्ण एवं 74 पुल कार्य प्रगति पर थे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 71 कार्य पूर्ण एवं 76 कार्य प्रगति पर थे। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहॉ आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासियों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या –42)

(अ). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :–इस योजना में 16 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 34 सड़क कार्य प्रगति पर रहे इस योजना के अंतर्गत 43.27 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू 76.63 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ब). राज्य मार्ग :–इस योजना के अंतर्गत 01 सड़क पूर्ण 03 सड़क कार्य प्रगति पर थे। जिसमें रू. 58.68 करोड़ का व्यय हुआ एवं 57.20 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(स). मुख्य जिला मार्ग :–इस योजना के अंतर्गत 09 सड़क कार्य पूर्ण एवं 13 सड़क कार्य प्रगति पर थे, जिसमें रू. 145.65 करोड़ का व्यय हुआ है तथा 170.89 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(द). वृहत पुलों का निर्माण :–इस योजना के अंतर्गत 27 पुल कार्य पूर्ण तथा 64 पुल के कार्य प्रगति पर रहे है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 01 कार्य प्रगति पर है, जिसमें रू. 107.92 करोड़ का व्यय किया गया है।

(य). हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार :—इस योजना के अंतर्गत 1 पूर्ण, (हेलीपैड), 03 कार्य प्रगति पर थे। इन पर रू. 2.16 करोड़ का व्यय किया गया है।

(र) नाबार्ड :—इस योजना में 9 सड़क पूर्ण तथा 9 सड़क कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2018—19 में रू. 19.68 करोड़ व्यय हुआ है जिसमें 39.69 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है।

(ल) आर.आर.पी.—2 :—इस योजना में 36 सड़क कार्य तथा 10 पुल कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2018—19 में रू. 126.80 करोड़ केन्द्र सरकार के नियमानुसार आर.आर.पी. 2 के खाते में जमा किया गया है।

मांग संख्या —76 :—

(अ). ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत):—इस योजना के अंतर्गत ए.डी. बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाना है। इसमें द्वितीय फेस में 3 कार्य लिये गये है, जिसमें से 01 सड़क पूर्ण तथा 01 कार्य प्रगति पर थे। 01 कार्य सी.जी.आर.डी.सी. के द्वारा निर्माण किया जाना है। इसमें वर्ष 2018—19 में रू. 107.09 करोड़ का व्यय हुआ है।

2. भवन कार्य (मांग संख्या — 68)

(अ). मांग संख्या—68 :—मांग संख्या—68 में भवन कार्यो के तहत 71 नग भवन पूर्ण किये तथा 76 कार्य प्रगति पर रहे, इन कार्यो पर वर्ष 2018—19 में रू. 88.13 करोड़ व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन निम्नानुसार है :—

- 01 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन
- 06 शैक्षणिक संस्थान
- 02 माध्यमिक शाला भवन
- 13 महाविद्यालय भवन
- 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन
- 05 पॉलीटेक्निक भवन

- 01 लाईवलीहुड कॉलेज
- 01 शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत
- 12 भूराजस्व कार्यालय भवन
- 12 मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम
- 01 लोक निर्माण विभाग अंतर्गत
- 02 कोषालय भवन
- 01 छात्रावास आश्रम भवन

<u>*प्रपत्र – एक "अ"*</u>

लोक निर्माण विभाग
आदिवासी उपयोजना (TSP) वर्ष 2018–19

विभाग :– लोक निर्माण विभाग (रू. लाख में)

क्र.	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्राप्त आंबटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	42	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	1000.00	216.74
2	42	वृहद पुलों का निर्माण	11000.00	10549.20
3	42	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	125.00	91.69
4	42	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	0.00	0.00
5	42	राज्यों के राज्य मार्ग	7904.00	5868.55
6	42	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	260.00	242.45
7	42	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	9885.00	7663.14
8	42	भू–अर्जन मुआवजा भारित	842.00	793.14
9	42	मुख्य जिला सड़कें	20000.00	14565.41
10	42	सर्वेक्षण	205.00	126.32
11	42	सड़क एवं पुलों का निर्माण	0.00	0.00
12	42	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	2000.00	1968.46
13	42	आर.आर.पी. फेस–2 (पुल)	2040.00	618.08

14	42	आर.आर.पी. फेस–2 (सड़क)	12100.00	12062.01
योग मांग संख्या – 42			**67361.00**	**54765.19**
1	76	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–II	13555.00	10708.49
योग मांग संख्या – 76			**13555.00**	**10708.49**
1	68	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	5.00	0.00
2	68	लोक निर्माण कार्य–भवन	400.00	17.31
3	68	कोषालय/उपकोषालय वित्त विभाग से संबंधित भवनों का निर्माण	27.00	21.35
4	68	भू–राजस्व कार्यालय भवन राज्य	145.00	78.93
5	68	खनिज प्रशासन	10.00	0.00
6	68	जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के भवन निर्माण हेतु	40.00	5.68
7	68	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	46.00	14.96
8	68	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	1815.00	1765.31
9	68	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	2700.00	320.28
10	68	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	20.00	5.89
11	68	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	1800.00	1199.06
12	68	स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन	1.00	0.00
13	68	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	1200.00	714.39
14	68	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	1228.00	417.52
15	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	100.00	6.00
16	68	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	44.00	0.00
17	68	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति.के.सहा.)	40.00	35.86
18	68	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	50.00	0.00
19	68	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	0.00	0.00
20	68	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	38.00	20.71

21	68	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	0.00	0.00
22	68	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	140.00	0.00
23	68	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	5.00	0.00
24	68	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	15.00	0.00
25	68	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	1900.00	1430.63
26	68	पुलिस प्रशासन	900.00	325.84
27	68	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	40.00	0.00
28	68	न्याय प्रशासन	0.00	0.00
29	68	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	10.00	0.00
30	68	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	10.00	0.00
31	68	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	0.00	0.00
32	68	सामान्य प्रशासन विभाग	1600.00	495.81
33		भूराजस्व कार्यालय भवन	30.00	0.00
34	68	छात्रावास तथा आश्रम भवन	105.00	4.28
35	68	शिक्षक आवासगृह	15.00	0.00
36	68	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00
37	68	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	5.00	0.00
38	68	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	1000.00	252.85
39	68	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	2000.00	1308.76
40	68	रोजगार कार्यालय	13.00	6.11
41	68	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	30.00	16.94
42	68	लाईवलीहुड कॉलेज	743.00	348.62
43	68	पशुपालन विभाग	33.30	0.00
योग मांग संख्या – 68			**18303.30**	**8813.09**

लोक निर्माण विभाग
आदिवासी उपयोजना (TSP) वर्ष 2018–19

विभाग :– लोक निर्माण (रू. लाख में)

क्र.	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि				अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)	टीप
			इकाई	भौतिक लक्ष्य (कार्यो की संख्या)	उपलब्धि			
					पूर्ण	प्रगति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	संख्या	5	1	3	0.26	1 अप्रारंभ
2	42	वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	255	26	63	12.51	150 प्रशा.स्वी. अपेक्षित 15 निविदा, 1 बंद,
3	42	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.11	
4	42	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	1	1	0	0.00	
5	42	राज्यों के राज्य मार्ग	संख्या	12	1	3	6.96	5 प्रशा. स्वी. अपेक्षित, 1 भू–अर्जन, 1 निविदा स्तर 1 फॉरेस्ट क्लीयरेंस
6	42	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	संख्या	1	0	1	0.29	
7	42	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	संख्या	337	16	34	9.09	246 प्रशा.स्वी. अपेक्षित 7 निवदा स्तर पर, 1 निविदा स्वीकृत 3 निविदा प्राप्त 5 बंद, 2 अप्रारंभ, 17 तक. स्वी. अपेक्षित 2 वन विभाग द्वारा, 2 वापस 2 डी.पी.आर. स्तर पर

8	42	भू–अर्जन मुआवजा भारित	संख्या	0	0	0	0.94	.
9	42	मुख्य जिला सड़कें	संख्या	44	9	13	17.28	15 प्रशा. स्वी. अपेक्षित 3 निविदा स्तर पर 1 बंद, 1 भू–अर्जन 1 अनुबंध निरस्त 1 प्रशा. स्वी. विवादित
10	42	सर्वेक्षण	संख्या	0	0	0	0.15	
11	42	सड़क एवं पुलों का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.00	
12	42	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	संख्या	29	9	9	2.34	5 प्रशा. स्वी. अपेक्षित, 2 निविदा स्तर पर, 1 निविदा प्राप्त 1 बंद, 2 फॉरेस्ट क्लीयरेंस
13	42	आर.आर.पी. फेस–2 (पुल)	संख्या	14	0	10	0.73	3 निविदा स्तर पर 1 प्रशा. स्वी. अपेक्षित
14	42	आर.आर.पी. फेस–2 (सड़क)	संख्या	84	0	36	14.31	16 प्रशा. स्वी. अपेक्षित 5 निविदा स्तर पर, 3 दर अप्राप्त, 5 कार्यादेश जारी, 19 डी.पी.आर. स्तर
योग मांग संख्या – 42			**संख्या**	**782**	**63**	**172**	**64.96**	**440 प्रशा.स्वी. अपे. 36 निविदा स्तर पर1 निविदा स्वीकृत,5 निविदा प्राप्त8 बंद, 3 अप्रारंभ,17 तक.स्वी. अपेक्षित5 कार्यादेश जारी,3 फॉरेस्ट क्लीयरेंस,3 दर अप्राप्त,3 भू–अर्जन1 प्रशा. स्वी. विवा.1 अनुबंध निरस्त21 डी.पी.आर स्तर**
1	76	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–।।	संख्या	2	1	1	12.70	
योग मांग संख्या – 76			**संख्या**	**2**	**0**	**2**	**12.70**	
1	68	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	0	0	0	0.00	–
2	68	लोक निर्माण कार्य–भवन	संख्या	1	1	0	0.02	–
3	68	`कोषालय / उपकोषालय वित्त विभाग से	संख्या	2	2	0	0.03	–

		संबंधित भवनों का निर्माण						
4	68	भू–राजस्व कार्यालय भवन राज्य	संख्या	0	0	0	0.09	–
5	68	खनिज प्रशासन	संख्या	0	0	0	0.00	–
6	68	जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के भवन निर्माण हेतु	संख्या	6	0	2	0.01	04 प्रशा. स्वी. अपे.
7	68	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	0	0	0	0.02	–
8	68	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	19	10	3	2.09	03 निविदा स्तर पर 01 कार्यादेश जारी 01 अप्रारंभ 01 तक. स्वी. प्रक्रियाधीन
9	68	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	संख्या	95	2	5	0.38	58 प्रशा. स्वी. अपे. 16 निविदा स्तर पर 02 कार्यादेश जारी 12 तक.स्वी. प्रक्रियाधीन
10	68	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	1	1	0	0.01	–
11	68	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	संख्या	28	13	12	1.42	01 प्रशा. स्वी. अपे. 01 पुनरी.प्रशा.स्वी.अपे. 01 कार्यादेश जारी
12	68	स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन	संख्या	0	0	0	0.00	–
13	68	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	संख्या	13	5	6	0.85	01 निविदा स्तर पर 01 कार्यादेश जारी
14	68	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	संख्या	71	12	13	0.50	12 प्रशा. स्वी. अपे. 01 कार्यादेश जारी 04 निविदा स्तर पर 01 पुनः निविदा स्तर पर 10 तक.स्वी. प्रक्रियाधीन 13 स्थल अप्राप्त 02 अनुबंध निरस्त 03 वित्त विभाग से अनुमति अपेक्षित
15	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.01	–

16	68	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	संख्या	3	1	0	0.00	01 स्थल अप्राप्त 01 बंद
17	68	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति. के.सहा.)	संख्या	0	0	0	0.04	–
18	68	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	संख्या	0	0	0	0.00	–
19	68	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	0	0	0	0.00	–
20	68	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.02	–
21	68	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	संख्या	0	0	0	0.00	–
22	68	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	संख्या	1	0	0	0.00	01 बंद
23	68	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	संख्या	1	0	0	0.00	01 प्रशा. स्वी. अपे.
24	68	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य काएकीकरण	संख्या	0	0	0	0.00	–
25	68	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	संख्या	1	1	0	1.70	
26	68	पुलिस प्रशासन	संख्या	1	0	1	0.39	
27	68	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	संख्या	1	0	1	0.00	
28	68	न्याय प्रशासन	संख्या	0	0	0	0.00	–
29	68	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	संख्या	0	0	0	0.00	–
30	68	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	0	0	0	0.00	–
31	68	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	संख्या	0	0	0	0.00	–
32	68	सामान्य प्रशासन विभाग	संख्या	5	0	3	0.59	01 प्रशा. स्वी. अपे. 01 निविदा स्तर पर
33		भूराजस्व कार्यालय भवन	संख्या	10	2	5	0.00	01 प्रशा. स्वी. अपे. 02 निविदा स्तर पर

34	68	छात्रावास तथा आश्रम भवन	संख्या	2	0	1	0.01	01 बंद
35	68	शिक्षक आवासगृह	संख्या	0	0	0	0.00	–
36	68	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	संख्या	0	0	0	0.00	–
37	68	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	संख्या	1	0	0	0.00	01 अप्रारंभ
38	68	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	संख्या	9	6	2	0.30	01 बंद
39	68	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	संख्या	30	14	14	1.55	02 प्रशा. स्वी. अपे.
40	68	रोजगार कार्यालय	संख्या	0	0	0	0.01	–
41	68	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	संख्या	1	0	0	0.02	01 प्रशा. स्वी. अपे.
42	68	लाईवलीहुड कॉलेज	संख्या	16	1	8	0.41	04 प्रशा. स्वी. अपे. 02 निविदा स्तर पर 01 तक.स्वी. प्रक्रियाधीन
43	68	पशुपालन विभाग	संख्या	0	0	0	0.00	–
योग मांग संख्या – 68			**संख्या**	**318**	**71**	**76**	**13.57**	**85 प्रशा. स्वी. अपे.01 पुनरी.प्रशा.स्वी.अपे.29 निविदा स्तर पर06 कार्यादेश जारी01 पुनः निविदा स्तर पर24 तक. स्वी.प्रक्रियाधीन02 अप्रारंभ14 स्थल अप्राप्त04 बंद02 अनुबंध निरस्त 03 वित्त विभाग से अनुमति अपेक्षित**

4.20 भौमिकी तथा खनिकर्म

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु खनिज नियमों में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है–

(1) गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का 95 प्रतिशत राशि, आदिवासी अधिसूचित जिलों के विकास हेतु संबंधित पंचायतों/जनपद पंचायतो/संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ को आबंटित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में रूपये 3015.38 लाख की राशि अधिसूचित जिलों को आबंटित की गई है।

(2) टिन खनिज एक सामरिक महत्व का खनिज है, जिसके पर्याप्त दोहन हेतु शासन कटिबध्द है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर, सम्पूर्ण बस्तर क्षेत्र में निवास कर रहें स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को टिन खनिज के कलेक्शन के अधिकार दिये गये है, जिसे राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जाता है। इसमें लगभग एक हजार अनुसूचित जनजाति के सदस्य लाभान्वित हो रहे है। इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि रूपये 1,31,18,706 (एक करोड़ इक्तीस लाख अठ्ारह हजार सात सौ छः) का भुगतान छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा स्थानीय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/सहकारी समितियों को किया गया है।

(3) राज्य के आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत खनिज रियायतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समथा निर्णय के अनुपालन में क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त राजस्व प्रावधानित है। साथ ही खनन क्षेत्रों के तहत निवासरत् आदिवासी वर्ग को रोजगार में प्राथमिकता प्रावधानित है।

(4) अनुसूचित जिलों में गौण खनिजों के खनि रियायतों के आबंटन के पूर्व ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों का अभिमत प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है।

❋❋❋❋❋

4.21 समाज कल्याण विभाग

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाएं वर्ष 2018–19

––::0::––

निःशक्तजन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां :–

अनुसूचित जनजाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/– प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक रूपये 60/– प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक रूपये 70/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नानुसार दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है :–

कक्षा	दैनिक छात्र (प्रतिमाह रूपये)
प्राथमिक स्तर	150/–
पूर्व माध्यमिक स्तर	170/–
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	190/–

वितीय वर्ष 2018–19 की वित्तीय भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
62.00	34.31	2549

2. मांग संख्या –64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
35.00	19.72	1536

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :–

निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 6 हजार तक मूल्य के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
50.00	18.99	421

2. मांग संख्या –64– विशेष घटक योजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
38.00	26.92	630

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान:–

निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृति किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– (2235) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
80.00	37.45	236

2. मांग संख्या –64– (2235) उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
45.00	30.34	174

निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा–1 ली से कक्षा 05 वीं तक शिक्षा दी जा रही है।

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि वर्ष 2018–19

(राशि लाख में)

मांग संख्या	आबंटन	व्यय	हितग्राही संख्या
41 / 2235.79	410.02	277.67	211
64 / 2235.79	196.30	101.08	146

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्व व्यक्तियों को राशि रू. 350 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को राशि रू. 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू. 150 राज्य शासन का अंशदान है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को राशि रू. 350 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू.50 राज्य शासन का अंशदान है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :–

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुनिःशक्त को राशि रू. 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू. 200 राज्य शासन का अंशदान है।

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रू.20,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन सामाजिक सहायता कार्यक्रम

माह—मार्च—2019

मांग संख्या	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	हितग्राही
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	5172.00	4843.91	191632
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	1854.00	1734.17	51321
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	396.00	320.25	8829
82	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	460.00	290.20	1451
	योग मांग संख्या — 82 —	**7882**	**7188.53**	**253233**
83—191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	228.00	226.28	8171
83—191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	129.60	96.41	2881
83—191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	14.40	9.77	424
83—191	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	60.00	14.40	72
	योग मांग संख्या 83 —191—	**432.00**	**346.86**	**11548**
83—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	120.00	82.97	4095.00
83—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	90.00	69.05	2371
83—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	19.00	10.00	453
83—192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	60.00	25.00	125
	योग मांग संख्या 83 —192—	**289.00**	**187.02**	**7044**
83—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	250.00	169.85	5772
83—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	75.60	66.63	2099
83—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	27.00	18.38	508
83—193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	50.00	20.40	102
	योग मांग संख्या 83 —193—	**402.60**	**275.26**	**8481**
	योग मांग संख्या 83	**1123.60**	**809.14**	**27073**
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	2715.00	2472.80	101987
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	756.00	704.95	22686
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	219.60	190.77	4794
15	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	100.00	80.40	402
	योग मांग संख्या — 15 —	**3790.60**	**3448.92**	**129869**

मांग संख्या	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	हितग्राही
53—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	270.00	208.74	8544
53—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	80.00	59.32	2188
53—192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	36.00	19.02	556
53—192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	50.00	20.60	103
	योग मांग संख्या 53 — 192	**436.00**	**307.68**	**11391**
53—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	162.00	134.49	5396
53—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	108.00	86.12	2179
53—193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	27.00	18.66	498
53—193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	30.00	14.40	72
	योग मांग संख्या 53 — 193	**327.00**	**253.67**	**8145**
	योग मांग संख्या — 53 —	**763.00**	**561.35**	**19536**
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	**8917.00**	**8139.04**	**325597**
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	**3093.20**	**2816.65**	**85725**
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (7340)	**739.00**	**586.85**	**16062**
	योग राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	**810.00**	**465.40**	**2327**
	महायोग	**13559.20**	**12007.94**	**429711**

❋❋❋❋❋

4.22 मछली पालन
(अ) आदिवासी उपयोजना

I. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है । राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रग्रहण मात्स्यिकी (केप्चर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यो के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 142.50 लाख प्रावधानित राशि में से रू. 140.98 लाख का व्यय कर उन्नत किस्म के 196.75 लाख स्टे.फ्राई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों में संचयन, नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है । लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है ।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है । उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 205.00 लाख प्रावधानित राशि के विरूद्ध रू. 186.63 लाख का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 4552 लाख स्टे. फ्राई का उत्पादन कर 6418 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

मत्स्य बीज उत्पादन

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 12.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 6.00 केन्द्रांश तथा रू. 6.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 6.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''फिशकोपफेड'' नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 6.00 प्रति हितग्राही राज्याशं राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है । अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 8.04 लाख के विरूद्ध राशि रू. 5.21 लाख व्यय कर 67000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

IV. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

आदिवासी जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर भेजा जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 8.00 लाख के विपक्ष में रूपये 8.00 लाख का व्यय कर 320 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1– मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना–सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि उपकरण कय हेतु प्रति इकाई रू. 6000/– की लागत पर सभी वर्गके लिए 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

2– संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं। प्रति इकाई रू. 10,000/– की सहायता प्रदान की जाती है।

3– मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता– कृषकों की भूमि पर मत्स्य बीज संवर्धन जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण करने हेतु इकाई लागत रू. 6.00 लाख/हे. पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है।

4– मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण कय हेतु आर्थिक सहायता– सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल कय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट कय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5– मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन– 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख/इकाई लागत पर रू. 0.30 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6– तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यकम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए प्रति इकाई रू 0.02 लाख की सहायता दी जाती है।

7– तालाबों में सीफेक्स का प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु सीफेक्स का उपयोंग हेतु रू 0.034 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

8– विस्तार सेवाएं–जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रूपये 208.00 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध 183.71 लाख व्यय कर 430 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

VI. नीलक्रांति योजना :–यह योजना वर्ष 2016–17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

1— **मत्स्य बीज संवर्धन पोखर का निर्माण** – इस हेतु रूपये 6.00 लाख/इकाई लागत पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचति जाति वर्ग/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2— **स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण** – नवीन तालाब निर्माण के लिये रू. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। इसके तहत् सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत का अनुदान है। स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनो स्थितियों में अनुदान देय है।

स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण

3— **तालाबों/टैंकों का पुनरूद्धार एवं एक्वाकल्चर** – तालाबों एवं टैंकों के पुनरूद्धार/इनपुट्स के लिये रू. 3.50 लाख/हे. पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है।

4— **मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना** – नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रू. 25.00 लाख/इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान है।

5— **बर्फ संयंत्र की स्थापना**– बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रू. 11.00 लाख प्रति ईकाइ लागत पर सभी वर्ग को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

6— **आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स** – आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स के लिये रू. 2.00 लाख प्रति ईकाइ लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

7— **मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स** – मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.60 लाख प्रति इकाई लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

8– **साइकिल के साथ आइस बाक्स** –साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.03 लाख प्रति ईकाइ लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

9– **फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना** – फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख प्रति इकाई लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

10– **बचत सह राहत** – बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रू. 1500/– प्रति माह की सहायता दी जाती है। इसके तहत हितग्राही से 9 माह अंशदान से रूपये 1500/– एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रू. 3000/– कुल 4500/– रू. बैंक में जमाकर हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जाती है।

नीलक्रांति योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में रू. 425.59 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 377.40 लाख का व्यय कर 874 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत</u>

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) **झींगा पालन**–झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) **नाव जाल आबंटन**– प्रति मछुआ एक बार रू 10000/–का नाव जाल प्रदाय किया जाता है ।

(स) **फिंगरलिंग संचयन**– हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से प्रति वर्ष रू. 2000/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज पांच वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(द) **नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन**– नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्यबीज संचयन किया जाता है ।

(इ) **मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(फ) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना**–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम के तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 407.02 लाख में से रू. 406.28 लाख का व्यय कर 8205 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

आदिवासी जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू.1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिश्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 76.25 लाख में से 76.21 लाख व्यय कर 6100 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत आदिवासी मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 82.17 लाख में से राशि रू. 79.51 लाख व्यय कर 78 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

<u>ब) अनुसूचित जाति उपयोजना</u>

I. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि

रू. 12.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 6.00 केन्द्रांश तथा रू. 6.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 6.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "फिशकोपफेड" नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 6.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 1.01 लाख के आंवटन के विपक्ष में रूपये 1.01 लाख व्यय कर 13000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

II. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500 की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू.750 शिष्यवृत्ति, रू. 1500 आवागमन व्यय तथा रू. 250 विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 4.50 लाख के आंवटन के विपक्ष में राशि रूपये 4.50 लाख व्यय कर 180 उन्नत मछली पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत</u>

I. मत्स्य पालन प्रसार अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) **झींगा पालन**–झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000 की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) **फिंगरलिंग संचयन**– हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से प्रति वर्ष रू. 2000 का बड़े आकार का मत्स्य बीज पांच वर्षों में प्रदाय किय जाता है ।

(स) **मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000 की सहायता दी जाती है ।

(द) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना**–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 66.20 लाख में से रू. 65.59 लाख का व्यय कर 1325 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू.1250 स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75 प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रू. 400 की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100 विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 18.75 लाख के विपक्ष में रू. 18.75 लाख व्यय कर 1500 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

अनुसूचित जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000 तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 38.25 लाख के विपक्ष में रू. 33.62 लाख व्यय कर 36 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1– मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना–सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि उपकरण क्रय हेतु प्रति इकाई रू. 6000 की लागत पर सभी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

2– संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय

पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं। प्रति इकाई रू. 10,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

3– **मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता**– कृषकों की भूमि पर मत्स्य बीज संवर्धन जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण करने हेतु इकाई लागत रू. 6.00 लाख/हे. पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है।

4– **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता**– सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5– **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन**– 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख/इकाई लागत पर रू. 0.30 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6– **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम**– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए प्रति इकाई रू 0.02 लाख की सहायता दी जाती है ।

तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम

7– **तालाबों में सीफेक्स का प्रयोग**– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु सीफेक्स का उपयोंग हेतु रू 0.034 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

8– **विस्तार सेवाएं**–जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रूपये 128.10 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 100.37 लाख व्यय कर 743 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

VI. नीलक्रांति योजना :–यह योजना वर्ष 2016–17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

1– **मत्स्य बीज संवर्धन पोखर का निर्माण** – इस हेतु रूपये 6.00 लाख/इकाई लागत पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचति जाति वर्ग/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2– **स्वयं कि भूमि पर तालाब निर्माण** – नवीन तालाब निर्माण के लिये रू. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। इसके तहत् सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत का अनुदान है। स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनो स्थितियों में अनुदान देय है।

3– **तालाबों/टैंकों का पुनरूद्धार एवं एक्वाकल्चर** – तालाबों एवं टैंकों के पुनरूद्धार/इनपुट्स के लिये रू. 3.50 लाख/हे. पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है।

4– **मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना** – नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रू. 25.00 लाख/इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान है।

5– **बर्फ संयंत्र की स्थापना**– बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रू. 11.00 लाख प्रति इकाई लागत पर सभी वर्ग को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

6– **आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स** – आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स के लिये रू. 2.00 लाख प्रति इकाई लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

7– **मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स** – मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.60 लाख प्रति इकाई लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

8– **साइकिल के साथ आइस बाक्स** –साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.03 लाख प्रति ईकाइ लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

9– **फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना** – फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख प्रति ईकाइ लागत पर सभी वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

10– **बचत सह राहत** – बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रू. 1500/– प्रति माह की सहायता दी जाती है। इसके तहत हितग्राही से 9 माह अंशदान से रूपये 1500/– एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रू. 3000/– कुल 4500/– रू. बैंक में जमाकर हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जाती है।

नीलक्रांति योजना के तहत वर्ष 2018–19 में रू. 30.69 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 30.69 लाख का व्यय कर 227 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

4.23 जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ एक आदिवासी एवं अनुसूचित जन जातियों की बाहुल्यता भरा हुआ राज्य है यहॉ का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 44 % घने जंगलों से आच्छादित है एवं विभिन्न खनिज संपदाओं से भरपूर है। इन्ही घने जंगलों के बीच छत्तीसगढ़ के आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोग आदिम युग से निवासरत है जो जंगलों में उत्पन्न वन संपदा व खेती–कार्य में काम करके अपनी आजीविका चलाते है। जिन आदिवासी या जनजातियों के पास खेती–योग्य भूमि है, वे शासन द्वारा निर्मित जल संसाधनों में उपलब्ध जल से सिंचाई कर कम समय में उगने वाले फसलों को उगाते है।इन आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन–स्तर को बेहतर बनाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा हर वर्ष सिंचाई विभाग के लिए प्रावधानित वार्षिक बजट में से एक बड़ा हिस्सा इस मद में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में जल संसाधन विभाग हेतु आबंटित कुल बजट रू. 2467.92 करोड़ के विरूद्ध कुल व्यय रू. 1592.10 करोड़ (64.51%) किया गया। आबंटित बजट में से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए क्रमशः रू. 737.56 करोड (29.88%) एवं रू. 267.65 करोड (10.84%) का प्रावधान रखा गया था।

उक्त दोनों उपयोजनाओं की वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों पर टीप निम्नानुसार हैः–

(अ) आदिवासी क्षेत्र उपयोजनाः– आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति परिवारों को एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके। इस मद में आबंटित राशि 737.56 करोड में से रू. 483.28 करोड व्यय कर वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया जिससे भौतिक लक्ष्य 15000 हे. के विरूद्ध 5945 हे. में सिंचाई–सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार आबंटित राशि रू. 737.56 करोड में व्यय की गई राशि रू. 483.28 करोड लगभग 65.52% आता है जो कि संतोषप्रद है। देखे परिशिष्ट एक अ एवं ब।

(ब) अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजनाः– अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों का कम से कम 50% को लाभ हो सके। इस मद में आबंटित राशि रू. 267.65 करोड़ में रू. 89.83 करोड़ व्यय कर वृहद, मध्यम व लघु योजनाओं को पूरा किया जिससे भौतिक लक्ष्य 5000 हेक्टेयर में से 1881 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इस मद में व्यय की गई राशि आबंटित राशि का 33.56 % आता है जो कि संतोषप्रद है।

❋❋❋❋❋

4.24 पुलिस विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष **2016, 2017** एवं वर्ष **2018** में पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों के निराकरण की स्थिति ।

1– दर्ज प्रकरणों की स्थिति :–

क्र	अपराध शीर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
		2016	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
1.	हत्या	4	5	5	7	8	14	11	13	19
2.	गंभीर चोट	5	7	5	12	16	5	17	23	10
3.	बलात्कार	99	91	106	167	176	169	266	267	275
4.	अपहरण	3	1	4	9	10	8	12	11	12
5.	डकैती	0	0	0	5	1	0	5	1	0
6.	लूट	0	2	1	0	0	0	0	2	1
7.	आगजनी	0	1	1	1	1	0	1	2	1
8.	चोट	25	44	36	32	46	55	57	90	91
9.	अन्य भा.द.वि.	110	136	120	180	176	151	290	312	271
योग		**246**	**287**	**278**	**413**	**434**	**402**	**659**	**721**	**680**
1.	पी.ओ.ए. एक्ट	0	0	0	0	2	1	0	2	1
2.	पी.सी. आर.एक्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	2	1	0	2	1
महायोग		**246**	**287**	**278**	**413**	**436**	**403**	**659**	**723**	**681**

2— निराकरण की स्थिति :—

(अ) अनुसूचित जाति

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिग अदालत	पेंडिग पुलिस	ट्रांसफर/फाईल
1.	2016	246	246	2	1	229	37	85	107	13	1
2.	2017	287	287	1	3	266	27	61	278	17	0
3.	2018	278	278	0	1	241	10	17	214	33	3
योग		**811**	**811**	**3**	**5**	**736**	**74**	**163**	**599**	**63**	**4**

(ब) अनुसूचित जनजाति

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिग अदालत	पेंडिग पुलिस	ट्रांसफर/फाईल
1.	2016	413	413	4	5	396	91	152	153	7	1
2.	2017	436	436	2	2	409	47	129	233	19	4
3.	2018	403	403	1	0	382	11	46	324	20	1
योग		**1252**	**1252**	**7**	**7**	**1187**	**149**	**327**	**710**	**46**	**6**

कुल (अनुसूचित जाति/जनजाति) पंजीबद्ध अपराध के निराकरण का विवरण

क्रं.	वर्ष	रिपोर्ट	विवेचना	खात्मा	खारजी	चालान	सजा	रिहा	पेंडिग अदालत	पेंडिग पुलिस	ट्रांसफर/फाईल
1.	2016	659	659	6	6	625	128	237	260	20	2
2.	2017	723	723	3	5	675	74	190	511	36	4
3.	2018	681	681	1	1	623	21	63	538	53	4
योग		**2063**	**2063**	**10**	**12**	**1923**	**223**	**490**	**1309**	**109**	**10**

टोलफ्री हेल्पलाईन नं. 1036 के तहत लाभान्वितों की समीक्षा

क्र.	वर्ग	दर्ज शिकायत	निराकरण	लंबित
2016	अनु0 जाति	10	10	0
	अनु0 जनजाति	8	8	0
2017	अनु0 जाति	9	9	0
	अनु0 जनजाति	2	2	0
2018	अनु0 जाति	3	3	0
	अनु0 जनजाति	2	2	0

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के अंतर्गत वर्ष 2016,2017 एवं 2018 में स्वीकृत राहत राशि का विवरण।

क.	वर्ष	प्रावधानित बजट राशि	व्यय राशि	कुल लाभांवितों की संख्या	लाभांवित संख्या	
					अनु.जाति	अनु. जनजाति
1	2016	29964500	80017250	498	220	278
2	2017	80654000	125292000	722	308	414
3	2018	35107000	89278500	553	222	331
योग		**145725500**	**294587750**	**1773**	**750**	**1023**

4.25 संस्कृति विभाग–

<u>पुरखौती मुक्तांगन</u>

पुरखौती मुक्तांगन को मूर्त रूप में जीवन्त करने की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के मूलभूत घटक– परंपराएं, जीवनशैली, पर्यावरण, पुरासंपदा और मानव तथा प्रकृति के मध्य चिरंतन संबंध को आकारित करना है। यह परिकल्पना छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के विषय–विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय सुविज्ञ और संपोषक जनजातीय अंचल में निवास करने वाले शिल्पियों के प्रत्यक्ष सहयोग से संस्कृति एंव पुरातत्व विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विविध चरणों में आकारित करवाया जा रहा है।

पुरखौती मुक्तांगन के दर्शनीय प्रादर्शों में भव्य प्रवेश द्वार, बैगा चौक, माड़िया पथ, छत्तीसगढ़ चौक, जलीय रंगमंच, छत्तीसगढ़ की विभूतियां, नृत्य–संगीत (गौर नृत्य, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, सैला नृत्य, राउत नृत्य) मुखौटा परिसर आदि के प्रादर्शों से इसकी शुरूआत की गई थी। पुरखौती मुक्तांगन के क्रमिक विकास के चरण में बस्तर अंचल के संस्कृति को रूपायित करने के लिए ''आमचो बस्तर'' (हमारा बस्तर) को आकारित किया गया है। जिसके अंतर्गत–जगदलपुर (बस्तर) का रियासतकालीन राजमहल का सिंहद्वार, दशहरा का रथ, बारसूर का छिंदकनाग युगीन विशालकाय गणेश की पाषाण प्रतिमाएं, नारायणपाल का प्राचीन मंदिर, ढोलकल गणेश की पहाड़ी और प्रतिमा, कोलंगमट्टा पहाड़ी, विभिन्न जनजातीय (मुरिया, माड़िया, धुरवा, घोटुल) आवास, माता गुड़ी, जातरा घर, घानासार (लौह अयस्क गलाने की प्रक्रिया तथा औजार निर्माण), उर्सकल (काष्ठ स्तंभ शवाधान), दशहरा पर्व के रीति–रिवाज और रस्मों का अंकन, भूदृष्यीकरण आदि निर्माण कार्य दर्शनीय हैं। यहां निर्मित कृत्रिम पहाड़ से समूचे मुक्तांगन के विहंगम दृश्य का नयनाभिराम दृश्य दिखाई पड़ता है।

पुरखौती मुक्तांगन के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भू–भाग में निवासरत विभिन्न जनजातियों (उरांव, पंडो, कवंर, रजवार, गोंड़, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकू, बिरहोर) के पारंपरिक आवासगृह तदयुगीन पुरात्तवीय वैभव, आस्था स्थल आदि मुख्य रूप से निर्मित करवाये गये हैं। क्षेत्रीय जनजातीय शिल्पियों के द्वारा घरों की दीवारों को परंपरागत तरीके से सजाया गया है तथा जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है।

सरगुजा अंचल के विख्यात पुरास्थल शिवमंदिर डीपाडीह, विष्णु मंदिर महेशपुर, प्राचीन मंदिर घघरा, रामगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध शैलोत्खनित रंगमंच सीता बेंगरा की प्रतिकृति का निर्माण करवाया गया है। सरगुजा अंचल का रियासतयुगीन स्थापत्य वैभव का भव्य प्रतीक– कोरिया राजमहल का तिमंजिला प्रादर्श, रामगढ़ की पहाड़ियां एवं मैनपाट की पहाड़ी को प्रदर्शित किया गया है। सरगुजा प्रखण्ड में कृत्रिम पहाड़ी के उपर निर्मित तिब्बती शरणार्थियों का आराधना स्थल– बौद्ध मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। पुरखौती मुक्तांगन में विकसित सरगुजा प्रखण्ड में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से छायादार स्थानीय पेड़ आम, कटहल, नीम, करंज, मौलश्री आदि लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के विचरण और चिन्हित परिसर में आसानी से पहुंचने के लिये उन्नत पथ निर्माण करवाये गये हैं। सरगुजा प्रखण्ड का कार्य क्रमशः प्रगति पर है तथा पर्यटक विशेष रूप से यहां अवलोकन भ्रमण करते हैं।

इस प्रखण्ड में छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भू–भाग में निवास करने वाले जनजातियों के पारंपरिक संस्कृति के साथ आठवीं सदी के ऐतिहासिक गौरव की अनुभूति कराने वाले धरोहर और प्रकृति के साथ सहज जीवनशैली का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

पुरखौती मुक्तांगन परिसर में पर्यटकों के सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय तथा स्वल्पाहार के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत किशोरों के लिए सायकिल तथा व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर नगर से लगभग 18 कि.मी. की दूरी पर (नया रायपुर उपरवारा) में स्थित है। इस मार्ग में नियमित रूप से सार्वजनिक एंव नगरीय बस सुविधा उपलब्ध है।

पुरखौती मुक्तांगन परिसर के वृत्त में वन विभाग द्वारा संचालित जंगल सफारी, सेन्ट्रल पार्क, तारामंडल एंव कैपिटल काम्पलेक्स स्थित है। उपरोक्त स्थलों के केन्द्र में होने के करण पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पुरखौती मुक्तांगन में निरंतर विकास की आवश्यकता है। अवकाश दिवसों में यहां अधिक संख्या में पर्यटक अवलोकन करने आते हैं। पुरखौती मुक्तांगन में शासन के अन्य विभागों के सहयोग से अन्य पर्यटनात्मक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ की विविध संस्कृति से परिचित होने के लिए एक जीवंत संग्रहालय है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय संस्कृति प्राचीन काल की समृद्धि और समसामायिक कला विविधताओं का प्रस्तुतिकरण दर्शकों को यहां आकर्षित करता है।

सरगुजा दर्शन

सरगुजा क्षेत्र की जनजातियों की पारंपरिक जीवन शैली की झलक दिखाने के लिए विकसित किया जा रहा है, जो अपने नृत्य और संगीत, उच्च भूमि श्रृंखला, वन, वन्य जीवन और शानदार पुरातात्विक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। सरगुजा दर्शन नाम के उपरोक्त प्रदर्शनी खंड को छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक–सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य का एक सीमावर्ती जिला है जो झारखंड, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश को छूता है। सरगुजा की बोली को सरगुजी या सदरी के नाम से जाना जाता है जो भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी से प्रभावित है। सरगुजा क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय जनजातियों में उरांव, कंवर, कोरवा, पंडो, बिरहोर, मंझवार, कुडुख आदि गोंडा, चिकवा और तुरी और अन्य अनुसूचित जाति की आबादी लंबे समय से सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र में बसती है और अपनी पहचान बनाती है। अन्य ओबीसी वर्ग जैसे रजवार, महतो, लोहार, कुम्हार सरगुजा क्षेत्र के कृषक समुदाय हैं।

सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी और लोक कलाकारों की मदद से सरगुजा दर्शन को विकसित किया गया है। लगभग सोलह प्रदर्शन बनाए गए हैं जिनमें पुरातात्विक विरासत, पारंपरिक आदिवासी आवास, तिब्बती मठ और कोरिया के राज्य काल शाही महल शामिल हैं, इन प्रदर्शनों में सरगुजा के इतिहास और संस्कृति को शामिल किया गया है जो 8 वीं शताब्दी के है।

सभी प्रदर्शनी खुदाई, महाकाव्यों, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, मिथकों के आधार पर तैयार की गई है, जो संबंधित लोक और जनजातीय कारीगरों द्वारा ज्ञात और व्यक्त की गई हैं जिन्होंने इन संरचनाओं और वस्तुओं का निर्माण किया है।

सरगुजा दर्शन का संक्षिप्त विवरण सरगुजा के मूल कलाकार द्वारा प्रदान किया गया है जो कि स्मृति और शिल्प पर आधारित हैं। इसके अलावा ये सरगुजा के इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में उपलब्ध सीमित विवरणों पर भी आधारित हैं।

प्रदर्शनी हैंः –

1. पंडो गृह
2. कंवर गृह
3. रजवार गृह
4. गोंड गृह
5. पहाड़ी कोरवा गृह
6. कोडकु गृह
7. बिरहोर गृह
8. धुमकुरिया गृह
9. शिव मंदिर डीपाडीह
10. शिव मंदिर घघरा
11. शिव मंदिर महेशपुर
12. कोरिया महल
13. मैनपाट पहाड़ी
14. बुद्ध मंदिर मैनपाट
15. रामगढ़ गुफाएँ
16. वाटर फॉल
17. उद्यान विकास
18. जन सुविधा केन्द्र

संस्कृति और पुरातत्व का विकास योजनाओं और उनकी विरासत और पारंपरिक संस्कृति के लिए समन्वय भी करता है। संस्कृति विभाग विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधि समय–समय पर

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल करता है। जैसे कि पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित विभिन्न कार्यशाला।

अब संस्कृति और पुरातत्व विभाग एक पारंपरिक संस्कृति और छत्तीसगढ़ के एक नॉर्टन भाग के शिल्प को बढ़ावा देने और निर्मित करने की स्थिति में है, जिसे सरगुजा कमीशन कहा जाता है। सरगुजा में 5 जिले शामिल हैं – सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर।

संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने संस्कृति धरोहर, धार्मिक केंद्र की रक्षा और उसे बनाए रखने की योजना को लगातार जारी रखा है। सांस्कृतिक संस्थान और उनके ज्ञान का उन्नयन, ज्ञान और शैक्षिक हस्तक्षेप के सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, पुरखौती मुक्तांगन आदिवासी अवधारणा और मॉडल के लिए स्थापित है। उपरोक्त योजना की लागत बजट के भीतर है। परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य के लोग और देश के अन्य पर्यटक इस राज्य की विशाल यात्रा और साइट की यात्रा के बिना एक ही यात्रा में पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। विकास की गतिविधि और प्रयास विभाग के विशेषज्ञ, गांव के पारंपरिक आदिवासी कलाकार और विभाग की पुरातत्व टीम द्वारा निर्देशित होते है।

सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते विकास कार्यों की झलकियां

Pando house

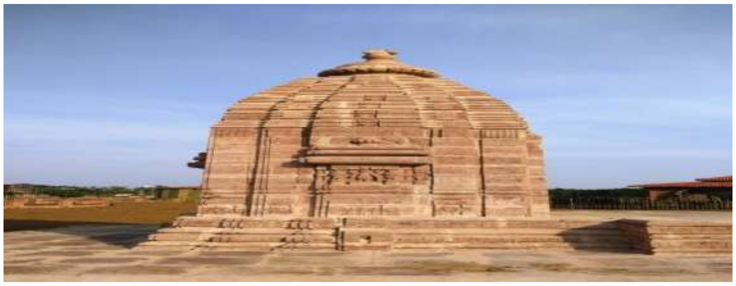

Shiv Temple, Maheshpur

✵✵✵✵✵

4.26 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

योजनाएं एवं उपलब्धियाँ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयान कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्यपर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप–तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है ।

1. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** :–राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 130 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12 हजार 309 उचित मूल्य दुकानों के जरिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह 58.34 लाख राशनकार्ड धारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

2. **खाद्य अधिकार पुस्तिका (राशनकार्ड)** –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 58.34 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इनमें से 14 लाख 66 हजार 842 अन्त्योदय गुलाबी राशनकार्ड, 42 लाख, 94 हजार 813 प्राथमिकता राशनकार्ड, 54 हजार 943 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 7 हजार 241 अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड तथा 10 हजार 941 निःशक्तजन हरा राशनकार्ड कुल 58 लाख 34 हजार 780 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डो में पात्रता अनुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है।

3. **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन**

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.34 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है।

4. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में अप्रैल 2007 से किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रतिमाह 1.15 लाख टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है जबकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह 1.71 लाख टन चावल का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिमाह 56 हजार टन चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

5. अन्त्योदय अन्न योजना :–

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य के 7.47 लाख अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.66 लाख राशनकार्ड प्रचलित है।

6. रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना :–

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.34 लाख परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किया जा रहा है तथा इसके वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

7. अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय :–

जनवरी, 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 01 फरवरी, 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। चना वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को किया जाता है ।

8. अन्नपूर्णा योजना :–

भारत सरकार की यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनांतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों को स्पेशल अन्नपूर्णा

राशनकार्ड जारी किया गया है । स्पेशल अन्नपूर्णा राशनकार्ड में हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क तथा 25 किलो चावल 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्राप्त करने की पात्रता है। प्रदेश में इस योजना से लाभाविन्त होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 7,241 है ।

9. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :—

राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए ग्रामीण और सुदूर अंचल में घरेलू गैस जैसे स्वच्छ और प्रदूषणरहित ईधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना लागू है। घरेलू गैस सस्ता और प्रदूषणमुक्त ईधन है और भोजन पकाने में सुगम होने के साथ—साथ महिलाओं के भोजन पकाने में समय की भी बचत हो रही है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर लगभग 1,600/— रूपए की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। राज्य शासन द्वारा हितग्राही के 200/— रूपए के अंशदान पर डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल की सब्सिडी प्रदाय की गई है, जिसकी अनुमानित सब्सिडी 1,500/— रूपए प्रति हितग्राही है। इस वित्तीय वर्ष 2016—17 में 10 लाख, वित्तीय वर्ष 2017—18 में 9.34 लाख, वित्तीय वर्ष 2018—19 में 7.49 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है।

10. पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का भंडारण—

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में 233 पहुंचविहीन क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं।

✵✵✵✵✵

4.27 ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे हैं। निर्धारित बिन्दुवार जाकारी निम्नानुसार हैः–

(I) A detailed note on implementation of the constitutional safeguards for Pramotion of educational and socio-economic development of STs/SCs.

(1)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पतियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस रोजगार के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार 150 दिवस रोजगार दिया जा रहा है।

(2)प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :– ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची अनुसार पात्र आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2016 से सामान्य जिलों के लिये राशि रु. 1.20 लाख महात्मा गांधी, नरेगा अंतर्गत (90 दिन) रोजगार से लाभ राशि रु. 15,030 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12,000 इस तरह कुल राशि रु. 1.47 लाख तथा आई.ए.पी. जिलों के लिये राशि रु. 1.30 लाख महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत (95 दिन) रोजगार से लाभ राशि रु. 15,865 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12,000 इस तरह कुल राशि रु. 1.57 लाख प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। आवास निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर है।

(3)राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्‌देश्य विभिन्न प्रकार के स्व–रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्‌देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य शामिल है।

मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिये समर्पित संरचना की व्यवस्था है।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है, ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो सके।

(5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं आती है। (गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी की बसाहटों) को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा एक तरफ से जुड़ी बसाहटों को दूसरे तरफ से भी जोड़े जाने का प्रावधान है।

(6) राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :–02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौचमुक्त किया जाना है। प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

An assessment of overall evaluation of working of Acts/regulations relating to land alienation, money-lending, trade and exice policy, bounded labour, displacement of tribals, atrocities ect.

(III) The Complete sketch of the development programmes undertaken, financial allocation used and physical targets achieved.

1. योजनाओं के 2018–19 के उपलब्धि की जानकारी :–

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** :–वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु. 3304.35 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, जिसके विरूद्ध रु. 3290.98 करोड़ व्यय किये गये। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध 99.59 प्रतिशत व्यय किया गया। योजनांतर्गत कुल 1386.07 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये गये। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 508.33 लाख (37%) एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 133.71 लाख (10%) मानव दिवस रोजगार प्राप्त हुआ।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** :–योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 के लिये TSP वर्ग के लिये 131105 स्वीकृत आवास में से 54468 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं एवं SCSP वर्ग के लिये 79084 स्वीकृत आवास में से 41727 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** :–प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन दिनांक 01.06.2011 को कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में मिशन अंतर्गत परियोजना के सघन क्रियान्वयन हेतु 27 जिलों के कुल 113 विकासखंडों कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में कुल 113 विकासखंडों में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु 33695 महिला समूहों को कुल 350.30 करोड़ का ऋण प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध मार्च तक 31604 स्व–सहायता समूह को 330.71 करोड़ की आर्थिक सहायता (बैंक ऋण) प्रदान की गयी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 15121 स्व–सहायता समूहों को 133.37 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य 4775 स्व–सहायता समूह को रु. 42.82 करोड़ वितरण किया गया।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** :–योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 अवधि में कुल 1638 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य कराया गया है। इस अवधि में 32 कि. मी. सड़क, 13 अ.जा. बाहुल्य क्षेत्र में तथा 1606 किलोमीटर सड़क, 409 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नवीन बसाहट क्षेत्र में निर्मित किये गये।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना** :–योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अंतर्गत कुल 65.03 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना** :–योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अंतर्गत कुल 27.28 कि.मी. लंबाई के सड़कों का निर्माण किया गया है।

- **राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** :–प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार 02 अक्टूबर 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य को खुले में शौचमुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित किये जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत परिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के सर्वेक्षणों में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों

को सम्मिलित करते हुए कुल 32,23,585 व्यक्तिगत परिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ। उक्त शौचालयों में से 20,87,629 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से 10,27,917 मनरेगा अंतर्गत, 2,08,039 शौचालयों का निर्माण 14वें वित्त, डी.एम.एफ., सी.एस.आर. आदि मदों से निर्मित हुए हैं। प्रदेश के 10,971 ग्राम पंचायतों में से LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़ कर प्रदेश 04 जनवरी 2018 को खुले में शौचमुक्त हो चुका है।

2- **The existing level of the administration of Scheduled Areas and measures to be adopted or proposed to be adopted by the State Govt.**
शासन की नीति अनुसार

3- **A brief on problems relating to law and order, naxal movement and tribal unrest.**

4- **Central and State Laws enacted in the state during the report period and their extention/adaption to Scheduled Area by the Governor.**

5- **Working of PESA Act and empowerment of Local Bodies in the state.**

6- **The District/ITDP/ITDA-Wise analysis of results.**
--

4.28 स्कूल शिक्षा

योजनाओं/भौतिक उपलब्धियों की जानकारी

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 28 है, यह कार्यालय समस्त 27 राजस्व जिलों में संचालित है। वर्तमान वर्ष में जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है।

प्रदेश में 146 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, सभी विकासखण्डो में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से विभाग की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन होता है।

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जाता है इसके साथ ही विभाग में 146 वि0ख0 में से 61 वि0खण्डों में सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के 03–03 पद स्वीकृत है एवं 85 आदिवासी विकासखण्डों में 01 सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है। इन 85 विकास खण्डों में 02 अतिरिक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृति की कार्यवाही भी की जा रही है। एस0सी0ई0आर0टी0 अन्तर्गत 2 शिक्षा महाविद्यालय, 01 अनुदान प्राप्त तथा 240 निजी शिक्षा महाविद्यालय, 19 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं 03 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान है। जिसमें से 02 शिक्षा विभाग के एवं 01 अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान है। 68 अशासकीय महाविद्यालयों में डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है। 07 ऑग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान संचालित है।

एस.सी.ई.आर.टी. को निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य हेतु अकादमिक प्राधिकारी घोषित किया गया है, एवं विभाग के समस्त प्रशिक्षण तथा अकादमिक कार्य के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण पुनरीक्षण नवाचार का कार्य भी किया जाता है।

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 एफ–1–2/2015/1/एक दि. 10/03/2015 के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में शिक्षा की पृथक–पृथक प्रबंधन व्यवस्था को समाप्त कर स्कूल शिक्षा एकरूपता की दृष्टि से समस्त शालाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरण (समग्र रूप से शिक्षा की व्यवस्था) का कार्य दिनांक 01 मई 2015 एवं वर्तमान में जारी आदेश दिनांक 05 मार्च 2019 से अस्तित्व में आ गया है। प्रदेश स्तर पर समस्त संचालित विद्यालय मय अमले सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन हो गये है।

–:: महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ ::–

छ0ग0 राज्य में अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह राज्य देश में अग्रणी राज्यों में है। शासन द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है। राज्य स्तर से छात्रों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु दिशाबोध जारी करते हुऐ मॉनीटरिंग सुनिश्चित किया गया है। छात्र अभिव्यक्ति के अभाव में अपने निहित क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते है अतः प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता का सही ढंग से प्रदर्शन कर सके इस हेतु अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास हेतु प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करने हेतु कार्यवाही की गई है।

शिक्षण अधिगम के प्रतिफल उनके परीक्षा परिणामों के आधार पर दर्शित होते है। अतः विद्यार्थी, पालक, समाज यह जान सके कि उनके पालको को विद्यालयों में कितना ज्ञान अर्जित करना है इस हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी शाला परिसर की दीवालों पर लिखवाने की कार्यवाही की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजना एवं उपलब्धियॉ

1. **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम** :–मध्यान भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य शा. विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को कार्यक्रम अन्तर्गत पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना, इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर मे ंकमी आई है एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है।

146 विकासखण्डों के 31,384 प्राथमिक एवं 13,579 माध्यमिक विद्यालयों के शास, अनुदान एवं स्थानीय निकायों में अध्ययनरत् 30,51,245 छात्र–छात्राएं हितग्राही है।

क्रं	वर्ष	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	564.24 करोड़	498.98 करोड़	31.28 लाख छात्र
2	2018–19	599.22 करोड़	290.39 करोड़	30.51 लाख छात्र्ााएं संभावित

2. **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय** :–भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। प्रदेश के 23 जिलों में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर)संचालित है। उक्त विद्यालयों में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी/अप्रवेशी, पालक/अभिभावक से वंचित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित विशेष आवश्यकता वाली मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कठिन भौगोलिक कारण से पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

दर्ज संख्या वर्ष 2018–19

के.जी.बी.व्ही.		छात्राओं की दर्ज संख्या					
स्वीकृत	संचालित	अनु.जाति	अनु जनजाति	पिछड़ा वर्ग	मुस्लिम	अन्य बी. पी.एल.	योग
93	93	2102	5344	1752	362	83	9281

3. **राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्तिः**–यह योजना केन्द्र प्रवृर्तित योजना है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता होती है। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता आती है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

4. **निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय** :–कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्र–छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए समस्त शा0 अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक–बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

क्रं	वर्ष	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हिग्राहियों की संख्या
1	2017–18	147.03 करोड	88.14 करोड़	56.53 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	186.75 करोड़	84.87 करोड़	57.63 लाख छात्र–छात्राएं

5. **निःशुल्क गणवेश वितरण योजना** :–शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अर्न्तगत प्रति बालक–बालिका का राशि रू. 271/– के मान से दो सेट निःशुल्क गणवेश प्रदाय किये जा रहे हैं उन्हे पूर्ववत राज्य शासन के बजट से ही गणवेश प्रदाय किये जाते रहेगें। वर्तमान में एकरूपता हेतु राशि रूपये 540.26 पैसा प्रति गणवेश की दर निर्धारित की गई है।

क्रं	वर्ष	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	20.167.00 लाख	14.460.00 लाख	32.20 लाख छात्र–छात्राएं

6. **निःशुल्क सरस्वती सायकल योजनाः**–कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना।

क्रं	वर्ष	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राऐं लाभान्वित
2	2018–19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित

7. **छात्र दुर्घटना बीमाः**– विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना जिसमें मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/– की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर

50,000/–रूपये क्षतिपूर्ति एवं भैषेजिक उपचार हेतु 25,000/– की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती थी।

अब योजना के तहत वर्ष 2017–18 एवं 2018–2019 मृत्यु पर बीमा राशि की दर मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/–की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 50,000/– एवं भैषेजिक उपचार हेतु 25,000/– की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती थी।

क्र	वर्ष	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	368.00 लाख	340.25 लाख	341
2	2018–19	368.00 लाख	147.20 लाख	148

8. **कन्या छात्रावास** :– शैक्षणिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में बालिकाओं की दर्ज संख्या एवं शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने तथा सामाजिक उत्थान में बालिकाओं के सहयोग की दृष्टि से सर्व सुविधायुक्त कन्या छात्रावासों की (100 सीटर) स्थापना की गई है। जिसमें कक्षा 9वीं से 12 तक अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जन जाति/अ0पि0वर्ग/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को कन्या छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
प्रत्येक छात्रा को भोजन, आवास, दैनिक उपयोग की वस्तुएं शैक्षणिक सहायता एवं क्रीड़ा सामग्री निःशुल्क प्रदाय करने हेतु छात्रावासों को प्रति छात्रा 1050/–प्रतिमाह राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य में कुल 74 कन्या छात्रावास संचालित है जिसमें लगभग 7046 छात्राऍ दर्ज है। प्रत्येक कन्या छात्रावास के लिये रूपये 107.00 लाख रूपये की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 69 भवन पूर्ण हो चुके है, 5 प्रगति पर है।

9. **बालिका प्रोत्साहन योजना** :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बी0पी0एल0 परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना की समस्त छात्राएंयोजना की हितग्राही है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रू0 3000/–छात्रवृत्ति सीधे छात्राओं के पास बुक में हस्तान्तरित कर दी जाती है।

10. **सर्व शिक्षा अभियान** :– इस योजना के तहत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ स्कूल न जा सकने वाले बच्चो के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है सभी बच्चों को कक्षा आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराई जाती है साथ ही छात्र–छात्राओं को असमानता एवं सामाजिक वर्ण भेद को दूर करना।

डॉरमेट्री युक्त विद्यालय–आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने की नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके है। वहॉ के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, कोरबा, नारायणपुर, सुकमा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरीयुक्त शालाएं प्रारम्भ की जाकर 1200 बच्चों को तथा पलायन प्रभावित जिले बलौदा बाजार, बेमेतरा, जांजगीर, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, एवं रायगढ़ जिले में कुल 16 विद्यालयों में 50 सीटर डारमे युक्त शालाऐं प्रारम्भ की जाकर पलायन प्रभावित बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

11. **राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)** :– इस योजना में कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते है तथा परीक्षाएं एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा संचालित की जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता दी जाती है। यहा यह भी स्पष्ट है कि गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने के साथ साथ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न होने पर ही परीक्षा में शामिल होने की पात्रता आती है।

12. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना** :– कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु शा. शालाओं में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत छात्राओं के लिए है इसमें 500/– प्रति दस माह हेतु देय है। वर्ष 2018–19 में राशि रू. 848.00 लाख का प्रावधान किया गया है। विद्यायलों में संभावित लाभान्वित छात्राओं की संख्या 1,20,000 है।

14. **अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना** :–इस योजना मेंअस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत् अस्वच्छ धंधो में लगे हुए परिवार के बच्चों को रू. 1850/– प्रति दस माह हेतु कलेक्टर द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2017–18 में राशि रू. 405 लाख का प्रावधान किया गया, जिसमें से 75 हजार रू. किया जा चुका है, इस योजना से लगभग 20,000 बच्चे लाभान्वित हुए है, एवं 2018–19 में विद्यालयों में संभावित लाभान्वित बच्चों की संख्या 12,000 लाभान्वित हुए है।

15. **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना** :–इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, इसके तहत वर्ष 2017–18 में राशि रू. 150 लाख प्रावधान किया गया जिसमें 1000 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017–18 में राशि रू. 150 लाख में से 122.40 लाख रूपये का व्यय हैं। योजना के तहत वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 150.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें अब तक 122.40 लाख रूपये का व्यय है। हितग्राहियों की संख्या 10000 है।

16. **राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री–मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक)** :–इस योजना कक्षा 11वीं एवं 12वी में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए है

    1. प्री–मेट्रिक अन्तर्गत नियमित रूप से कक्षा 3रीं से 10वी में अध्यनरत् अन.जाति, अनु. ज.जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके पालक आयकर की सीमा में नहीं आते अथवा 10 एकड़ से अधिक की जमीन न हो पात्रताधारी होते है।
    2. पोस्ट मेट्रिक के लिए कक्षा 11वीं एवं 12 में अध्ययनरत् (अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के) छात्र छात्राऐं जिनके अभिभावकों की आय राशि रू. 1,00,000/– से अधिक न हो, एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की आय

राशि रू. 9000/– होने पर पूर्ण एवं राशि य. 9000/–से 25000/–के बीच में होने से आधी छात्रवृत्ति की पात्रता आती है।

3. कक्षा 3 से 5 तक अध्यनरत् बालिका को 25/–प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक अध्यनरत् बालक को 30/–एवं बालिका को 40/–को प्रतिमाह, कक्षा 9 से 10 में अध्यनरत् बालक को 40/–एवं बालिका का 50/–देय है।

वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान राशि रू. 191 करोड़ 70 लाख है। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक अन्तर्गत व्यय 49 करोड़ तथा हिग्राहियों की संख्या 24 लाख है।

17. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** :–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रांरभ की गई एक महत्वकांक्षी योजना है। योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य शासन का योगदान 25 प्रतिशत् है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदण्डों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्षा एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008–09 से संचालित है। भारत सरकार द्वारा सत्र 2009–10 में राज्यों को RMSA में अनुदान देना प्रारम्भ किया गया।

18. **मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल**– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा 74 मॉडल स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। छ0ग0 शासन एवं डी.ए.व्ही. मेनेजिंग कमेटी से 19 मार्च 2016 को अनुबंध अनुसार 72 मॉडल स्कूलों को पी.पी. मोड पर डी.ए.व्ही. मैनेजिंग कमेटी को 30 वर्षो के लिए संचालित करने हेतु उत्तरदायित्व सौपा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्गो के छात्र–छात्राऐं नियमानुसार हितग्राही होते है।

❋❋❋❋❋

4.29 तकनीकी शिक्षा

1. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को संध्याकालिन विशेष कोचिंग का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है।

3. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को ड्राईंग सामग्री का लाभ प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थाओं में योजनांतर्गत प्रगति संतोषजनक है।

4. केन्द्र क्षेत्रीय योजना एवं राज्य बजट के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य यथा– मशीन उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकें हेतु बजट में राशि प्रावधानित किया जाता है।

5. केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित 11 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि प्रदाय की जाती है। जिसमें से बिलासपुर के नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से संस्था का संचालन किया जा रहा है। शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर के नवीन भवन के आंशिक निर्माण होने से संस्था संचालित किया जा रहा है। इसी तरह नारायणपुर, कोरिया, रामानुजगंज, जशपुर, बीजापुर के आंशिक निर्माण होने पर शीघ्र संचालित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। शासकीय पॉलीटेक्निक सूरजपुर, रायपुर, कोण्डागांव और बस्तर सहशिक्षा का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अधोसंरचना के उन्नयन एवं भौतिक संसाधनों के विकास हेतु योजनाओं के प्रावधानों के अनुरुप सतत् प्रयास किया जा रहा है।

✵✵✵✵✵

4.30 छ.ग. माटीकला बोर्ड

छ.ग. माटीकला बोर्ड का गठन छ.ग. शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2012 में किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य शिल्पियों के कलात्मक सृजनता को संरक्षण एवं संवर्धन करने सतत् प्रयत्नशील है। शिल्पकारों को स्वाभाविक रचनात्मक अभिव्यक्ति शिल्पकला के रूप में होती है, जो दैनिक जन–जीवन एवं प्रकृति से प्रेरित होती है। शिल्पियों को उचित अवसर एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना एवं उनकी भावी पीढ़ी को इन कलाओं से परिचित कराकर योग्य शिल्पी बनाना है। माटीशिल्प, टेराकोटा की गुणवत्ता सुधार तथा मूल्य वृद्धि हेतु उन्नत प्रशिक्षण, तकनीकी डिजाइन, कार्यशाला, इन्टीग्रेटेड डिजाइन कार्यशाला के माध्यम से शिल्पकारो के उत्पादन में आवश्यकता के अनुरूप विकास करना है।

1. कुंभकार टेराकोटा योजना :–विद्युत चाक (माटीशिल्पियों की समय, मेहनत, कलात्मक सामग्री तैयार करने के लिए) निः शुल्क वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 2400 नग विद्युत चाक Gem के माध्यम से क्रय किया जाकर वितरण किया गया है।

2. प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शनी योजना :–माटीशिल्पियों द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कलात्मक सामग्रियों को विपणन व्यवस्था हेतु राज्य के बड़े शहरों में प्रदर्शनियो राज्योत्सव, जगार, नेशनल हेण्डलुम एक्सपों इत्यादि के माध्यम से विक्रय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 150 से 200 माटीशिल्पियों द्वारा अनुमानित 38 लाख रूपये का माटीशिल्प सामग्रीयों का माटीशिल्पियों द्वारा विक्रय किया गया है।

प्रदेश के माटीशिल्प से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करती डाक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा प्रदेश के माटीशिल्प का प्रचार – प्रसार हेतु 10 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। जिसका उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है।

3. आवासीय प्रशिक्षण/डिजाईन विकास योजना :–ग्लेजिंग युनिट गढ़फुलझर में माटीशिल्पकला के नये–नये डिजाईनों की सामाग्री तैयार करने प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण, डिजाईन विकास कार्यशाला इत्यादि के माध्यम से माटीशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे अच्छी कलाकृति बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 129 माटीशिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्लेजिंग यूनिट गढ़फुलझर में कप, प्लेट, कुल्हड़, थाली, गिलास, कटोरी इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। सेरेमिक संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया है जिसमें माटीशिल्पियों द्वारा निर्मित माटीशिल्प कला को संरक्षित किया जाकर उनके कलात्मक सामग्रीयो को ज्यादा से ज्यादा कीमत में विक्रय करवाकर उनके जीवन स्तर को और भी बेहतर बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. सर्वे चिन्हांकन एवं पंजीयन योजना :– माटी शिल्पियों के सर्वे चिन्हाकन एवं पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 6970 माटीशिल्पियों का पंजीयन किया गया है, एवं आज दिनांक तक पंजीकृत माटीशिल्पियो की संख्या 30867 हो गई है।

5. कच्चे माल की व्यवस्था :– कच्चा माल की व्यवस्था माटीशिल्पियों के लिए (मिट्टी खदान) भूमि की व्यवस्था किया जाना है। बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त जिलो के कलेक्टरो को माटीशिल्पियों के कार्य हेतु 5.00 एकड़ भूमि आरक्षित करने आग्रह किया गया है। इस आशय का पत्र छ.ग. शासन राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक 2764/सचिव/राजस्व विभाग/ 2006 रायपुर दिनांक 26.09.2006 द्वारा जारी किया गया है के तारतम्य में आज तक लगभग 3710 एकड़ भूमि 27 जिलो में माटीशिल्पियो के लिए आरक्षित/सुरक्षित जिला कलेक्टरो द्वारा करवाई गई है।

✵✵✵✵✵

4.31 जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर

जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को राज्य के अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखंडों के ग्रामों तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित कार्य योजना के तहत संपादित किया जाएगा, ताकि अनुसूचित जनजाति बहुल जन–समुदाय को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। इसके लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मांग संख्या के तहत अनुसूचित जनजाति विकास योजना के तहत लगभग 05 करोड रुपए बजट आबंटन प्राप्त है।

01. सूचना शिविर :– राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण अंचलों के लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना शिविरों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए आवश्यक बजट अनुसूचित जनजाति उपयोजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यह सूचना शिविर अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखंड के हाट–बाजारों, बड़े ग्रामों में लगाए जाते हैं। सूचना शिविर त्रैमासिक कार्य योजना के अनुसार लगाए जाते हैं और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय–समय पर की जाती है। शिविर के अनुसार स्थानों का चयन व अनुमोदन कलेक्टर से कराए जाते हैं।

02. नाचा दल :– शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक स्थानीय चैनलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखंडो के हाट–बाजारों और ग्रामों में दी जाती है, इसके लिए अच्छे नाचा दलो का चयनकर विकासखंडों के हाट–बाजारों और ग्रामों में दी जाती हैं, इसके लिए अच्छे नाचा दलों का चयन संस्कृति विभाग के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है गांव गरीब किसानों के हित में शासन के महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी को स्क्रिप्ट में शामिल कर स्क्रिप्ट की जांच विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। नाचे दलों की सूची और कार्यक्रमों के स्थानों का अनुमोदन कलेक्टर से कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित बजट में से राज्य के अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखंडों में हाट–बाजारों में कला जत्था एवं होर्डिंग्स के माध्यम से योजनाओं के प्रचार– प्रसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय सीमा में कराई जाएगी।

03. चलित छायाचित्र प्रदर्शनी:– संचालनालय द्वारा चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन (व्हीकल माउण्टेड मोबाईल एलईडी वैन) तैयार कराकर जिलों में तहसीलवार एवं विधानसभावार भेजे जाते हैं। इन वाहनों की अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में हाट–बाजारों और बड़े गांव में घुमाया जाता है। वाहन के साथ एक कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाती है साथ ही इन वाहनों पर समय–समय पर चल रहे मेला–मड़ई में भी घुमाया जाता है।

04. फिल्म प्रदर्शन एवं लाइट एण्ड साउण्डः– जिलों में लगने वाले बड़े ग्रामों और मेलों में एलईडी के माध्यम से शासन की योजनाओं पर आधारित फिल्म एवं लाइट एंड साउंडप्रदर्शन किया जाना है, जिसके लिए स्थान एवं दिनांक सहित जानकारी तैयार कर क्षेत्र प्रचार शाखा से उपलब्ध कराए जाते हैं।

05. योजनाओं की फोटो प्रदर्शनीः– शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी विभिन्न अवसरों पर लगाई जाती है, इसमें राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश में हुए विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक छायाचित्र और तालिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रदर्शनी को हजारों लोगों ने उत्सुकता से अवलोकन किया तथा इसे ज्ञानवर्धक भी बताया स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन किया इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन एलईडी के माध्यम से किया गया तथा ब्रोशर वितरित किए जाते हैं।

06. लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजनाः– अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में सूचना शिविर, दीवार लेखन, होर्डिंग फिल्म प्रदर्शन, रेडियो कार्यक्रम, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं गीत–संगीत के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना है, जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आएंगे। वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासन की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए फोल्डर, ब्रोशर, पाम्पलेट का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

07. होर्डिंग्स :– शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मूलभूत योजनाओं को प्रचारित करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों, तहसीलों व विकासखण्डों में होर्डिंग्स लगाए जाना प्रस्तावित है।

08. हितग्राही मूलक योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का विशेष रुप से उल्लेख किया जाएः– इस विभाग द्वारा आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना संचालित नहीं की जाती, बल्कि शासन द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं का प्रचार साहित्य के माध्यमों जैसे सूचना शिविर नाचा दलो चलित छायाचित्र प्रदर्शनी फिल्म प्रदर्शन एवं लाईट एवं साउण्ड और प्रचार साहित्य के माध्यम से शासन द्वारा संचालित जन–कल्याणकारी कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजाति बहुल दूरदराज के ग्रामों में प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आ सके।

09. दीवार लेखन :– शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार– प्रचार करने हेतु प्रदेश सभी ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार लेखन कराया जाना प्रस्तावित है। दीवार लेखन के माध्यम से आम जनता को महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने व जागरूकता लाने के लिए नारा लेखन, चित्र प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना प्रस्तावित है।

❋❋❋❋❋

4.32 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 100.00 लाख तक के जनोपयोगी कार्यों की स्वीकृति हेतु राशि जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई गई थी। योजनान्तर्गत राशि रू. 73.50 लाख तक के कार्यों की अनुशंसा मान विधायकों द्वारा एवं राशि रू. 24.50 लाख तक के कार्यों की अनुशंसा मान. प्रभारी मंत्री जी द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विधायक निधि के अंतर्गत जिलों को मांग संख्या–41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSS) में राशि रू. 2900.00 लाख तथा मांग संख्या– 64 अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSS) में राशि रू. 1000.00 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया था। जिसमें से अनु. जनजाति उपयोजना के अंतर्गत रूपये 2752.97 लाख के कुल 1137 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा अनु. जाति उपयोजना अंतर्गत रूपये 920.92 लाख के कुल 422 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च 2019 तक क्रमशः 266 एवं 50 कार्यों को पूर्ण कराया लिये गये है।

4.33 आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

अनुसूचित क्षेत्र एवं जन जाति अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी वर्ष 2018–19

मांग संख्या 41–2210–02,04–101,102,103–0102–5683 जिला एलोपैथी चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 3942.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 3241.73 लाख व्यय किया गया। उपरोक्त योजना अंतर्गत 422 औषधालय संचालित है।

मांग संख्या 41–2210–04–101–0102–5392 आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापनाअंतर्गत चिकित्सकीय उपकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 30.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध 31 मार्च 2019 तक राशि रू 12.00 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 41–4210–03–101–0102–460 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय अंतर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 60.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 24.00 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 41–2210–02–101–0702–7730 राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विविध गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 720.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 503.78 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–5683 जिला एलोपैथी चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 284.90 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 238.03 लाख व्यय किया गया। उपरोक्त योजनांतर्गत 13 औषधालय संचालित है।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–8951 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बिलासपुर अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 444.90 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध 31 मार्च 2019 तक राशि रू 255.63 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–8952 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 627.70 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 458.44 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–4210–03–101–0103–460 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय अंतर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 21.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 8.00 लाख व्यय किया गया।
मांग संख्या 64–2210–02–101–0703–7730 राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विविध गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 290.00 लाख बजट प्रावधान है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में व्यय की जानकारी निरंक है ।

मांग संख्या 64–4210–03–101–0103–8951 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 500.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक राशि रू 200.00 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–4210–03–101–0103–8952 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर अंतर्गत हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में महाविद्यालय भवन निर्माण राशि रू 500.00 लाख तथा चिकित्सकीय उपकरण हेतु राशि रू 20.00 लाख कुल राशि 520.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 31 मार्च 2019 तक महाविद्यालय भवन निर्माण राशि रू 200.00 लाख तथा चिकित्सकीय उपकरण हेतु राशि रू 8.00 लाख कुल राशि रू 208.00 लाख व्यय किया गया है।

मांग संख्या 68–4210–03–101–0102–0460 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 5.00 लाख बजट प्रावधान है। उक्त राशि लोक निर्माण विभाग के बी.सी.ओ. में है।

✵✵✵✵✵

अध्याय – 5
विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए ''आदिवासी उपयोजना'' (TSS) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2018–19)

(राशि लाखों में)

स. क.	विभाग का नाम	आदिवासी उपयोजना का बजट प्रावधान	आदिवासी उपयोजना मद में व्यय राशि	आदिवासी उपयोजना मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय राशि का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कृषि	334715.93	297006.43	88.73
2	उद्यानिकी	11707.50	4773.19	40.77
3	पशुधन विकास	2565.09	1840.64	71.76
4	मत्स्य	1559.74	1463.93	93.86
	योग	**350548.26**	**305084.19**	**87.03**
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	198716.43	171742.55	86.43
6	सहकारी संस्थाएं	125438.01	118142.00	94.18
	योग	**324154.44**	**289884.55**	**89.43**
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	292180.340	180571.318	61.80
8	पंचायत	27010.40	24541.48	90.86
	योग	**319190.74**	**205112.80**	**64.26**
9	आ.जा.तथा अनु. जा.	163075.77	94335.22	57.85
	योग	**163075.77**	**94335.22**	**57.85**
10	जल संसाधन	73756.00	48328.08	65.52
	योग	**73756.00**	**48328.08**	**65.52**
11	ऊर्जा (छ.ग.वि. वि.कं.)	105318.00	111896.48	106.25
12	ऊर्जा (क्रेडा)	24194.00	22785.00	94.18

	योग	**129512.00**	**134681.48**	**103.99**
13	वाणिज्य एवं उद्योग	3721.63	2325.65	62.49
14	भौमिकी एवं खनिकर्म	4037.50	980.66	24.29
	योग	**7759.13**	**3306.31**	**42.61**
15	ग्रामोद्योग – रेशम	2058.25	1355.29	65.85
16	ग्रामोद्योग – खादी	281.30	182.71	64.95
17	ग्रामोद्योग –हाथकरघा	604.00	254.73	42.17
18	हस्त शिल्प वि. बो.	270.72	156.93	57.97
19	माटी कला बोर्ड	0.00	0.00	0.00
	योग	**3214.27**	**1949.66**	60.66
21	वन	28518.56	18703.81	65.58
	योग	**28518.56**	**18703.81**	**65.58**
22	समाज कल्याण	11912.60	9814.79	82.39
23	खेल एवं युवा कल्याण	1004.10	131.65	13.11
24	स्कूल शिक्षा	476086.80	314476.79	66.05
25	उच्च शिक्षा	16847.20	7400.29	43.93
26	चिकित्सा शिक्षा	24388.64	10342.42	42.41
27	रोजगार पक्ष	182.59	102.33	56.04
28	प्रशिक्षण पक्ष	10510.32	5157.89	49.07
29	तकनीकी शिक्षा	6883.10	4871.41	70.77
30	स्वास्थ्य सेवायें	119986.54	87937.09	73.29
31	आयुर्वेद	4757.00	3784.78	79.56
32	लो.स्वा.यांत्रिकी	23866.14	13588.73	56.94
33	नगरीय प्रशासन	20177.30	18640.06	92.38
34	जनसंपर्क	3500.00	3088.25	88.24

35	संस्कृति	610.00	469.24	76.92
36	महिला एवं बाल विकास	68624.49	43602.52	63.54
	योग	**789336.82**	**523408.24**	**66.31**
37	योजना आर्थिक सांख्यिकी	2900.00	2854.15	98.42
	योग	**2900.00**	**2854.15**	**98.42**
38	लोक निर्माण	140919.30	100322.03	71.19
39	विधि और विधायी	70.00	24.27	34.67
	योग	**140989.30**	**100346.30**	**71.17**
	कुल योग	**2332955.29**	**1727994.79**	**74.07**

5.1 वन विभाग :–

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है। वन विभाग को वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या–41 में राशि **28518.56**लाख रूपये का प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रू.**24620.26**लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रू. **18703.81**लाख रूपये व्यय किये गये। विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत योजनावार व्यय एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2018–19 वार्षिक (मार्च 2019) की स्थिति में

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्र.	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि (01 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक)	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु. ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
									ईकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वन विभाग	41-2406	पर्यावरण वानिकी	2536	742.00	742.00	421.86	56.85	संख्या	50 हजार पौध रोपण एवं 11 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	20 हजार पौध रोपण एवं 11 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	93401
		41-2406	बिगड़े वनों का सुधार	2965	8800.00	8800.00	7033.51	79.93	हे	तैयारी– 18400 हे. एवं सी.बी.ओ. कार्य रोपण–7560 हे. रखरखाव –66900 हे.	तैयारी– 5816 हे. एवं सी.बी.ओ. कार्य रोपण– 2340 हे. रखरखाव –67000 हे.	1557235
		41-2406	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	6723	291.55	291.55	144.16	49.45	संख्या	सं.व.प्र. समिति सदस्यों को प्रशिक्षण एवं आय मूलक कार्य	सं.व.प्र. समिति सदस्यों को प्रशिक्षण एवं आय मूलक कार्य	31917
		41-2406	भू एवं जल संरक्षण कार्य	6827	300.00	300.00	256.31	85.44	हे	उपचार कार्य–8400 हे. रखरखाव–8170 हे.	उपचार कार्य–3815 हे. रखरखाव–7800 हे.	56748
		41-2406	नदी तट वृक्षारोपण योजना	1004	603.00	603.00	510.99	84.74	हे	रोपण–485 हे. तैयारी–195 हे. रखरखाव–615 हे.	रोपण–150 हे. तैयारी–102 हे. रखरखाव–485 हे.	113134

		41-2406	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	1902	434.00	434.00	286.71	66.06	हे	तैयारी–220 हे. रोपण–411 हे. रखरखाव–655 हे.	तैयारी–220 हे. रोपण–411 हे. रखरखाव–654 हे.	63478
		41-2406	हरियाली प्रसार योजना	2533	3300.00	3300.00	2560.03	77.58	संख्या	300 लाख पौधों का रोपण एवं वितरण	283 लाख पौधों का रोपण एवं वितरण	566796
		41-2406	पौधा प्रदाय योजना	2534	48.00	48.00	37.39	77.90	संख्या	4.30 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण	90 हजार पौधा तैयारी 4.30 लाख पौधों का वितरण	8278
		41-2406	बांस वनों का पुनरोद्धार	6724	2200.00	2200.00	1427.47	64.89	हे	तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई –10280 हे. रोपण–7200 हे. रखरखाव–30000 हे.	तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई –1770 हे. रोपण–590 हे. रखरखाव–36250 हे.	316045
		41-2406	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	7563	245.00	245.00	192.16	78.43	हे	तैयारी–150 हे. रोपण–165 हे. रखरखाव–510 हे	तैयारी–10 हे. रोपण–35 हे. रखरखाव–690 हे.	42545
		41-2406	लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	6792	1080.00	1080.00	1080.00	100.00	संख्या	लघुवनोपज संग्राहकों का सामूहिक बीमा	लघुवनोपज संग्राहकों का सामूहिक बीमा	239114
		41-2406	कर्मचारी कल्याण योजना	792	140.00	140.00	19.28	13.77	संख्या	कर्मचारी कल्याण भवन निर्माण	कर्मचारी कल्याण भवन निर्माण	4269
		41-4406	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	4342	1200.00	1200.00	925.64	77.14	संख्या	वन रक्षक –13, वनपाल–9, वनमार्ग – 52 कि.मी.	वन रक्षक –11, वनमार्ग – 17 कि.मी.	204939
		41-4406	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	6886	1538.00	1538.00	1207.55	78.51	संख्या	रपटा/पुलिया – 306 संख्या	रपटा/पुलिया – 87 संख्या	267354
		41-2406	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/औषधी रोपण	6516	897.00	897.00	741.26	82.64	हे	तैयारी–1500 हे. रोपण–1000 हे. रखरखाव–3200 हे	तैयारी–1370 हे. रोपण–970 हे. रखरखाव–3200 हे	164117
		41-2406	सामाजिक वानिकी	4475	358.00	358.00	195.27	54.54	हे	तैयारी–250 हे. रोपण–200 हे. रखरखाव–3000 हे	तैयारी–170 हे. रोपण–187 हे.रखरखाव–3000 हे	43233
		41-2406	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	5091	291.50	291.50	222.22	76.23	हे	27265 हे. क्षेत्र का रखरखाव कार्य	27265 हे. क्षेत्र का रखरखाव कार्य	49200
		41-2406	लाख विकास योजना	6854	250.00	250.00	250.00	100.00	संख्या	2000 समिति सदस्यों को प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण ईकाई का संचालन	2000 समिति सदस्यों को प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण ईकाई का संचालन	55351

		41-2406	वन अधिकारों की मान्यता	6992	60.00	60.00	4.59	7.65	संख्या	वन अधिकार पत्र का वितरण	वन अधिकार पत्र का वितरण	1016
		41-2406	बांस प्रसंस्करण इकाई	7322	70.00	70.00	39.37	56.24		बांस प्रसंस्करण केन्द्रों का रखरखाव	बांस प्रसंस्करण केन्द्रों का रखरखाव	8717
		41-2406	लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	5231	969.21	969.21	759.21	78.33		लघु वनोपज संघ को अनुदान	लघु वनोपज संघ को अनुदान	168091
		41-2406	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	7261	2719.70		0.00	0.00	हे	तैयारी–2000 हे. रोपण–800 हे. रखरखाव–5000 हे	–	
		41-2406	ग्रीन इण्डिया मिशन	7856	200.00		0.00	0.00		–	–	
		41-2406	पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	7857	320.00	320.00	320.00	100.00		–	–	70849
		41-2406	मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	7930	247.80	247.80	0.00	0.00	संख्या	10000 किसानों को बांस पौधों का वितरण	–	
		41-2406	बांड़ी बांस योजना	7731	165.20	165.20	22.54	13.64		किसानों को बांस पौधों का वितरण	किसानों को बांस पौधों का वितरण	4990
		केन्द्र प्रवर्तित योजना										
		41-4406	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	5538	748.60		46.29	66.13	संख्या	वाच टॉवर, अग्नि सुरक्षा, मुनारे निर्माण, फायर लाईन निर्माण	वाच टॉवर, अग्नि सुरक्षा, मुनारे निर्माण, फायर लाईन निर्माण	10249
		केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना										
		41-2406	लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	5231	300.00		0.00	0.00		लघु वनोपज संघ को अनुदान	लघु वनोपज संघ को अनुदान	
			योग :–		**28518.56**	**24620.26**	**18703.81**	**75.97**				**4141065**
		भारत सरकार से विभिन्न योजना अंतर्गत 3968.30 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 70.00 लाख रूपये प्राप्त हुए है।										

5.2 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (31.03..2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रू. में)

क्र0	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1-	**2018-19**	1014	2535.65	196	615.73	329.47	952	153	617.61	311.89	992

मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना (31.03..2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रू. में)

क्र0	वर्ष	कुल लक्ष्य		लाभान्वित अनुसूचित जनजाति वर्ग				लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग			
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार	संख्या	वितरित ऋण राशि	राशि (वितरित मार्जिन मनी)	रोजगार
1-	**2018-19**	580	300.00	58	89.65	25.06	74	63	124.06	27.77	105

स्टैण्ड अप इंडिया की जानकारी वर्ष 2018–19 (31.03..2019 की स्थिति में)

(राशि रू. करोड़ में)

क.	वर्ग	स्वीकृत		वितरित		संभावित रोजगार
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	अनुसूचित जाति	22	8.79	15	3.18	140
2	अनुसूचित जनजाति	9	3.05	3	0.70	57
	योग–	**31**	**11.84**	**18**	**3.88**	**197**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राही

(राशि करोड़ में)

क्र.	वर्ग	शिशु			किशोर			तरूण			**कुल**		
		संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	अन. जाति	136952	346.89	332.09	6285	74.31	63.91	398	26.72	25.77	143635	447.91	421.76
2	अनु. जन. जाति	150056	717.18	696.43	11361	149.92	85.85	530	35.67	34.16	161947	902.77	816.44
	कुल योग	**287008**	**1064.07**	**1028.52**	**17646**	**224.23**	**149.76**	**928**	**62.39**	**59.93**	**305582**	**1350.68**	**1238.2**

5.3 ऊर्जा विभाग

वर्ष 2018–19 में ऊर्जा विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रूपये **129247.00** लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू. **100218.00**लाख का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रूपये **109488.77** लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि (प्रावधिक)			कुल व्यय का प्रतिशत (9/5)	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि (प्रावधिक)			अनुसूचित जन जातियों के लाभान्वितों की संख्या
						गत त्रैमास तक व्यय	चतुर्थ त्रैमास (जनवरी से मार्च 2018) में व्यय	कुल व्यय (7+8)		इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि चतुर्थ त्रैमास (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) (प्रावधिक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	41	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युती करण योजना	(4801/ 6825)	0.00	0.00	1285.43	613.32	1898.75	–	ग्राम विद्युतीकरण	6	6	1940
										एकल बत्ती	380	1940	
										सघन विद्युतीकरण	40	118	
2	41	पाँच अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	(2801/ 7305)	72768.00	55507.00	36361.75	24091.65	60453.40	83.08	सभी पात्र उपभोक्ता	–	129449	129449
3	41	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	(2801/ 6501)	18031.00	15712.00	8702.58	4106.26	12808.84	71.04		–	757899	757899
4	41	कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण {सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एनीकटों तथा राज्य के नदी–नालों के किनारे पर पम्पों का ऊर्जीकरण सहित}	(4801/ 6758)	4910.00	2250.00	2829.15	1483.36	4312.51	87.83	पम्प	–	7802	7802

5	41	शासकीय स्कूलों/अस्पतालों एवं आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण	(4801/8678)	0.00	0.00	1887.81	168.91	2056.72	&	स्कूल, अस्पताल एवं आंगनवाड़ी	—	2996	—
6	41	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	(4801/8548)	1800.00	409.00	736.57	396.54	1133.11	62.95	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन संबंधित नगर निगम/नगरीय निकाय के जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर किया जाता है।			
7	41	मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना	(4801/8965)	9500.00	9500.00	5330.09	2888.25	8218.34	86.51	मजराटोला / बसाहटों से संबंधित विद्युतीकरण के कार्य	—	1369	समस्त रहवासी
8	41	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	(2801/7620)	22236.00	16840.00	4740.00	12100.00	16840.00	75.73	—	—	—	—
9	41	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	(4801/7652)		0.00	1346.87	148.00	1494.87	&	अविद्युतीकृत ग्राम	56	56	
										बी.पी.एल. निवासियों को विद्युत उपलब्धता	67730	38357	
										फीडर पृथक्करण	67	5	
										नया उपकेन्द्र	39	15	
										उपकेन्द्र (क्षमतावृद्धि)	34	8	
										अतिरिक्त पावर ट्रान्सफार्मर	6	2	
										अन्य कार्य	—	—	

10	41	एकीकृत विद्युत विकास योजना	(4801/ 7655)		0.00	148.48	123.74	272.22	&	नगरीय क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य	70 नगर	0	
11	41	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना	(4801/ 7871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–
12	41	उदय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान	(2801/ 7758)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–
		योग		**129247.00**	**100218.00**	**63368.74**	**46120.03**	**109488.77**					

5.4 ऊर्जा (क्रेडा)

वर्ष 2018–19 में ऊर्जा (क्रेडा)को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रूपये **635.59** करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू. **573.21 करोड़** का आबंटन प्राप्त हुआ एवं राशि रूपये **573.21 करोड़** व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र	मद का नाम	मुख्य शीर्ष योजना क्रमांक	बजट प्रावधान 2018–19	31.12.18 तक विमुक्त राषि	वास्तविक व्यय 01.04.2017 से 31.12.2018 तक
1	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना	4810–7897	25.00	25.00	25.00
2	सोलर पेयजल हेतु सहायक अनुदान	4810–7693	67.49	50.31	50.31
3	सौर सुजला योजना (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित)		467.77	467.77	467.77
4	सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाओं, जैसे–रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट हेतु सहायक अनुदान	2810–7694	21.10	8.44	8.44
5	ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान	2810–5415	1.53	0.61	0.61
6	ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम	2810–6785	1.00	0.40	0.40
7	विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन और नियमित रखरखाव व संचालन	2810–7695	25.00	10.00	10.00
8	सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य गैर पारम्परिक स्त्रोतो के प्रोत्साहन हेतु अनुदान	2810–7696	1.50	0.60	0.60
9	बायो इनर्जी आधारित कार्यक्रम	2810–7697	2.00	0.80	0.80
10	ऊर्जा शिक्षा उद्यान (संचालन एवं संधारण)	2810–7698	2.00	0.80	0.80
11	छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी हेतु स्थापना अनुदान	2810–3188	21.20	8.48	8.48
	कुल योग		**635.59**	**573.21**	**573.21**

5.5 पशु चिकित्सा

आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत योजनावार व्यय एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी
वित्तीय वर्ष 2018–19 वार्षिक (माह 01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019) की स्थिति

(राशि लाखो मे)

स. क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट का प्रावधान	प्राप्त बंटन	व्यय राशि (01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक)	व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
									इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पशुधन विकास विभाग छ.ग. रायपुर	41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	2549	532.49	590.19	437.96	74.21	–	–	–	–
2		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	गौवंश योजना	5905	1.00	0	0	0	–	–	–	–
3		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	846	240.00	239.98	239.49	99.80	28 दिवसीय 45 चूजे	8888	8870	8870
4		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	सूकर वितरण अनुदान	9332	100.00	100.00	92.96	92.96	1नर सूकर+2 मादा सूकर	1111	1033	1033
5		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	नस्ल सुधार हेतु सांड़ों का वितरण	5260	48.15	47.82	45.16	94.44	1 सांड़	209	184	184
6		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	9333	42.80	42.80	40.61	94.88	1 बकरा	1070	1015	1015
7		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	नाबार्ड योजना अन्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	7471	950.00	0	0	0	–	–	–	–
8		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	8898	380.00	380.00	360.40	94.84	डेयरी	0	79	79
9		41–2403 /पशुपालन आदिवासी उपयोजना	राज्य बकरी उद्यमिता विकास	7734	19.00	0.99	0	0	–	195	0	0
योग (अ)					**2313.44**	**1401.78**	**1216.58**	**86.79**	**&**	**11473**	**11181**	**11181**

10	पशुधन विकास विभाग छ.ग. रायपुर	82–2403/ त्रिस्तरीय पंचायती राज	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	2549	45.00	45.00	27.84	61.87	–	–	–	–
11		82–2403/ त्रिस्तरीय पंचायती राज	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	1108	60.00	60.00	58.96	98.27	–	–	–	–
योग (ब)					**105.00**	**105.00**	**86.80**	**82.67**	–			
केन्द्र प्रवर्तित योजना												
1	पशुधन विकास विभाग छ.ग. रायपुर	41–2403 /पशु पालन आदिवासी उपयोजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7242	1615.00	1058.31	537.26	50.77	–	–	–	–
योग (स)					**1615.00**	**1058.31**	**537.26**	**50.77**				
महायोग (अ + ब + स)					**4033.44**	**2565.09**	**1840.64**	**71.76**		**11473**	**11181**	**11181**

5.6 कृषि विभाग

वर्ष 2018–19 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रूपये 334715.93 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध प्राप्त आबंटन राशि रू. 308653.70 लाख है तथा राशि रूपये 297006.43 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

छ.ग. राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19 माह मार्च 2019 की स्थिति में जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना		बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्राव. के विरुद्ध व्यय प्रति.
1	2		3	4	5	6
I	**राज्य पोषित योजनाएँ**					
1	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना	8972	268334.40	262904.20	262904.20	100
2	चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	7931	4560.00	4504.52	2664.90	59
3	कृषक समग्र विकास योजना	6820	3534.00	3534.00	2088.89	59
4	जन जागरण अभियान	6901	50.00	50.00	43.75	88

5	जैविक खेती मिशन	8900	1140.00	1140.00	766.45	67
6	गन्ना कृषकों को बोनस	5549	1215.60	1215.60	1215.60	100
7	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	309	150.00	149.20	140.83	94
8	फसल प्रदर्शन योजना	7677	650.00	650.00	573.14	88
9	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	7797	13250.00	13250.00	12268.54	93
10	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना	8539	760.00	760.00	518.50	68
11	कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान	8907	210.00	210.00	57.55	27
12	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	7853	3534.00	0.00	0.00	0
13	शाकम्भरी योजना	5707	1520.00	1520.00	291.75	19
14	किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान	5709	610.00	610.00	414.93	68
15	माइक्रोमाईनर सिंचाई योजना	3478	1170.00	1170.00	967.87	83
16	इंदिरा गांधी कृ.वि.वि.को अनुदान (पूंजी)	9182	500.00	375.00	375.00	100
	योग –I		**301188.00**	**292042.52**	**285291.90**	**98**
II	**केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ**					
17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7255	4560.00	3155.30	2051.30	65
18	नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एण्ड आयलपाम	7258	325.00	108.63	94.65	87
19	NMAET संबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना	7264	805.00	805.00	725.02	90
20	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	7242	4560.00	2232.50	1667.93	75
21	NMSA रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम	7266	704.00	308.93	235.94	76
22	NMSA स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना	7267	645.00	641.48	467.71	73
23	NMSA स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना (पूॅजी)	7267	150.00	114.14	90.20	79
24	NMSA क्लाईमेंट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉड़लिंग एंड नेटवर्किंग	7268	25.00	0.00	0.00	0
25	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	7684	1140.00	793.38	97.66	12
26	परम्परागत कृषि विकास योजना	7830	1765.90	261.07	172.54	66
27	टारगेटेड राईस फेलों एरिया (टी.आर.एफ.ए.)	7832	950.00	560.00	524.40	94
28	रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)	7833	380.00	65.00	36.33	56
29	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	8942	6650.00	4583.09	3496.95	76
30	NMAET सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	7269	1330.00	441.24	441.24	100
31	कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत	8961	1938.03	1666.42	737.66	44

	कृषि यंत्रों पर अनुदान					
32	एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन	7350	7600.00	875.00	875.00	100
	योग –II		**33527.93**	**16611.18**	**11714.53**	**71**
	महायोग–I+II+III		**334715.93**	**308653.70**	**297006.43**	**96**

5.7 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

वर्ष 2018–19 में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि रूपये 11707.50 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 4773.10 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

उद्यानिकी अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु प्रावधानित राशि ,जारी आबंटन एवं व्यय राशि की जानकारी

राशि रू.लाख में

			प्राप्त आवंटन	जारी	व्यय
क्र.	योजना क्र.	योजना का नाम	41–अजजा	41–अजजा	41–अजजा
1	2	3	5	9	13
7	5610	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	145.00	145.00	145.00
8	7662	कम्यूनिटि फेसिंग योजना	250.00	250.00	169.89
9	7676	संरक्षित खेती एंव फसलोतर प्रबंधन योजना	0.00		
12	7852	सब्जी फसलों के विविधकरण हेतु प्रदर्शन एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.00	11.00	10.98
14	8639	टपक सिचाई योजना	8.00	8.00	0
15	8640	नदी के कछार/तटो पर लघु उत्पादक समुदायो को प्रोत्साहन की योजना	60.00	60.00	58.74
17	7854	नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एंव फसलोत्तर प्रबंधन योजना	900.00	190.00	181.60
18	7338	उद्यानिकी प्रशिक्षण	50.00	50.00	36.05
19	7834	पिपरमेंट क्षेत्र विस्तार योजना	40.00	40.00	14.40
20	4326	सघन फलोद्यान विकास योजना	210.00	210.00	198.2
21	7797	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	368.00	160.29	160.29
		योग	**2042.00**	**1124.29**	**975.15**
22	7242	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	2240.00	702.90	278.43
23	7258	नेशनल मिशन आफ आईल सीडस एण्ड आईलपाल	418.18	137.71	88.93
24	7684	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1683.32	391.96	0
25	7705	एकीकृत बागवानी विकास योजना	4940.00	4920.00	3382.47
26	7874	एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	384.00	76.50	48.21
		योग	**9665.50**	**6229.07**	**3798.04**
		कुल योग	**11707.50**	**7353.36**	**4773.19**

5.8 सहकारिता विभाग

अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाएं वित्तीय वर्ष 2018–19 (वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि) की जानकारी

विभाग–सहकारिता

(राशि लााखों में)

स. क्र.	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक)	कुल व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अनु.ज.जा. के लाभांवितो की संख्या
								ईकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मांग संख्या 41	सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो के सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय करने हेतु अनुदान	7781	36.00	0.00	0.00	0.00	सदस्य	7200	0	0
2		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो को बहुउद्देशीय में उन्नयन	8641	50.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	5	-	-
3		जनजातिय सेवा समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	5006	20.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	200	-	-
4		कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	5628	7032.00	2142.00	2142.00	30.46	संस्था	472	472	333894
5		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो का कम्प्यूटरीकरण	7889	152.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	145	-	-

6		प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	8930	0.01	0.00	0.00	0.00	बैंक	1	-	-
7		विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान)	8970	5.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	3	-	-
8		अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना	7942	114000.00	114000.00	114000.00	100.00	संस्था	472	472	309143
9		सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी	7678	118.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	54	-	-
10		सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	5055	3500.00	2000.00	2000.00	57.14	संस्था	1	1	-
11		विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (ऋण)	8970	25.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	3	-	-
12		नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	8545	500.00	0.00	0.00	0.00	संस्था	34	-	-
योग				**125438.01**	**118142.00**	**118142.00**	**94.18**				

5.9 स्वास्थ्य विभाग :—

विभाग को अनुसूचित क्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में राशि रू 98688.870 लाख का बजट प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू 72738.150 लाख का व्यय किया गया।

क्रं	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय राशि (लाख में)	लाभान्वित संख्या
1	2	3	5	6
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	153.10	120.18	
2	छत्तीसगढ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	1520.00	608.00	
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	9581.20	5798.41	
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	5016.00	2006.40	20 लाख एपीएल परिवारों को स्मार्ट कार्ड वितरित
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	100.00	0.00	
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	9500.00	2667.30	44.50 लाख एपीएल परिवारो को स्मार्ट कार्ड वितरित
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	69.00	0.00	68700 मितानिनों का प्रशिक्षित किय गया।
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	200.50	99.68	
9	राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	37860.00	28296.26	
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6455.29	6455.00	
11	उप स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना	3455.34	3455.34	
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	8954.05	8954.00	
13	शीत ज्वर	1695.39	1169.58	
14	छत्तीसगढ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	2000.00	1480.00	6109 हितग्राही लाभान्वित
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	500.00	0.00	
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1.00	0.00	
17	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	11628.00	11628.00	44ण्50 लाख ए.ई.सी.सी. के अन्तगर्त परिवारो को स्मार्ट कार्ड वितरित
	योग :—	98688.870	72738.150	

5.10 नगरीय प्रशासन विभागः–

विभाग को अनुसूचित क्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 20177.30 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू 19471.07 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ।

						(राशि लाख में)
स. क.	**मांग संख्या**	**योजना का नाम**	**योजना कमांक**	**बजट प्रावधान**	**प्राप्त आबंटन**	**अनु.ज.जा.के लाभान्वित की संख्या**
1	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	41	आदि उप.पेय. शौच. व्यव.	1785	287.00	287.00	पेयजल व्यवस्था अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु अनुदान जारी किया जाता है।
2	41	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	8996	551.10	551.10	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु अनुदान दिया जाता है। तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवर्ती निधि दी जाती है – 1. व्यक्ति ऋण अनुदान, 2. समूह ऋण अनुदान, 3. बैंक लिंकेज अनुदान
3	41	स्वच्छ भारत मिशन	7610	3868.20	3161.97	स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत निजी शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।
4	41	अमृत मिशन	7706	4620.00	4620.00	निगम अंतर्गत गार्डन, जलप्रदाय कार्य तथा क्षमता विकास।
5	41	सबके लिए आवास	7709	4200.00	4200.00	भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार न.नि. क्षेत्रांतर्गत गंदी बस्ती एवं गैर गंदी बस्ती क्षेत्रों में निवासरत समस्त पात्र. हितग्राहियों को मिशन अवधि 2015 से 2022 तक पक्के मकान का लक्ष्य है।
6	83	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	7260	3350.00	3350.00	मूलभूत सेवा अंतर्गत निकायों को सडक, नाली, प्रकाश व्यवस्था एवं अधोसरंचना विकास कार्य हेतु अनुदान आबंटन किया जाता है।
7	83	अधोसंरचना विकास (अनु.)	7241	3300.00	3300.00	अधोसरंचना विकास अंतर्गत निकायों को सडक, नाली, प्रकाश व्यवस्था एवं अधोसरंचना विकास कार्य हेतु अनुदान आबंटन किया जाता है।
9	83	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	7643	1.00	1.00	योजना अभी संचालित नही।
	योग			**20177.30**	**19471.07**	

5.11 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम हेतु आदिवासी उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 289050.42 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू 177388.77 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ।

स.क्र.	मांग संख्या	योजना का नाम	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान (राशि रू. लाख में)	प्राप्त आबंटन (राशि रू. लाख में)	कार्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	41	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	6728	**54990.00**	29201.59	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सजृन/परिसम्पत्तियों व अधोसरंचना विकास कार्य
2	41	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत बेरोजगारी भत्ता	6768	**35.00**	0.00	बेरोजगारी भत्ता
3	41	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मातृत्व भत्ता	7588	**0.20**	0.00	मातृत्व भत्ता
4	41	मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना	7877	**760.00**	760.00	मनरेगा मजदूरों को टिफिन वितरण
5	41	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	7807	**137685.22**	85428.77	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता
6	41	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	7490	**11400.00**	3785.61	कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण/स्वरोजगार हेतु स्व–सहायता समूहों को चक्रिय राशि, अनुदान एव बैंक लिंक अनुदान दिया जाता है।
7	41	स्वच्छ भारत अभियान	7610	**30400.00**	12385.72	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार एवं व्यक्तिगत/समूह शौचालय निर्माण
8	41	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृहद निर्माण कार्य (सड़क तथा पुल निर्माण	4855	**40000.00**	37000.00	सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक बसाहटों को 12 मासी सड़को से जोड़ना
9	41	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पूलों का निर्माण	4871	**2000.00**	0.00	संपर्क पूल निर्माण
10	41	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना	7475	**6080.00**	4066.07	प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना में छुटे हुए बसाहटों को 12 मासी सडको से जोड़ना
11	41	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	8650	**1900.00**	1900.00	मार्ग निर्माण
12	41	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	7759	**3800.00**	2861.00	ग्रामीण परिवेश में बिना बदलाव लाये शहरी सुविधाओं/अधोसरंचना का समेकित कस्टर विकास
योग				**289050.42**	**177388.77**	

5.12 मछली पालन विभाग

वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम हेतु आदिवासी उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 1559.74 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। जिसके विरूद्ध राशि रू 1463.93 लाख का व्यय किया गया।

(राशि रूपये लाख में)

क्रमांक	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**वित्तीय**			**भौतिक**		**लाभान्वितो की संख्या**
		आबंटन	**व्यय**	**प्रतिशत**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	जलाशय एवं नदियों में मत्स्योद्योग का विकास	142.50	140.98	98.93	198.88	196.75	405
2.	मत्स्य बीज उत्पादन	205.00	186.63	91.04	5000	4552	6418
3.	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	8.00	8.00	100	320	320	320
4.	मत्स्य कृषकों का दुर्घटना बीमा	5.21	5.21	100	67000	67000	67000
5.	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनुदान)	407.02	406.28	99.82	8230	8205	8205
6.	मत्स्य सह समितियों को अनुदान	82.17	79.51	96.76	78	75	1875
7.	कृषकों को शिक्षण–प्रशिक्षण	76.25	76.21	99.95	6100	6096	6096
8.	नील क्रांति योजना	425.59	377.40	88.68	996	874	874
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	208.00	183.71	88.33	490	430	430
योग :–		**1559.74**	**1463.93**	**93.84**	–	–	–

5.14 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा उन्हे अत्याचार एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग निरंतर प्रतिबद्धतापूर्वक कार्यरत है। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान हेतु सक्षम हो रहे हैं ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 163075.77 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध 94437.66 लाख का व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओ का आबंटन व्यय निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 163075.77 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध 93036.24 लाख का व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओ का आबंटन व्यय निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आंबटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)(राजस्व मद)	4289.00	4187.50	4187.50	97.63
2	आश्रम	22675.00	22675.00	17583.36	77.55
3	मेघावी छात्रो को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	1000.00	1000.00	494.92	49.49
4	विशेष पिछडी जनजाति	50.70	50.70	25.88	51.05
5	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	2865.80	2865.80	1991.85	69.50
6	कन्या शिक्षा परिसर	597.60	597.60	461.10	77.16
7	छात्रावास	23991.50	23991.50	19914.49	83.01
8	छात्रवृत्ति	12320.00	4797.00	4797.00	38.94
9	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	120.00	120.00	47.34	39.45
10	छात्र भोजन सहाय योजना	925.00	925.00	810.80	87.65
11	अशासकीय संस्थाओ को अनुदान	2687.00	2682.00	1483.51	55.21
12	युवा कैरियर निर्माण योजना	730.40	730.40	408.83	55.97
13	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	18.00	18.00	0.00	0.00

14	विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन	274.50	274.50	153.15	55.79
15	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत छात्रावासियों को खाद्यान्न	1800.00	1800.00	1406.96	78.16
16	हमर छत्तीसगढ	250.00	250.00	0.00	0.00
17	आदिवासी विशेष पिछडे समूह (राजस्व)	1750.00	0.00	599.90	34.28
18	वन बन्धू कल्याण योजना (राजस्व)	562.50	0.00	0.00	0.00
19	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	8000.00	0.00	139.41	1.74
20	पंडो एवं भुंजिया विकास अभिकरण	100.00	100.00	73.92	73.92
21	बस्तर विकास प्राधिकरण (राजस्व)	350.00	350.00	123.90	35.40
22	सरगुजा, जशपुर विकास प्राधिकरण	350.00	350.00	170.13	48.61
23	अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्धता बाबत्	200.00	200.00	80.00	40.00
24	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	809.00	809.00	498.76	61.65
25	छत्तीसगढ संस्कृति विकास कार्यक्रम	60.00	60.00	60.00	100.00
26	आदिवासी पिछडे विशेष समूह	10.00	10.00	0.00	0.00
27	व्यासायिक प्रशिक्षण योजना	678.00	678.00	136.13	20.08
28	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना	9700.00	9700.00	9340.38	96.29
29	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना (नाबार्ड)	2500.00	2500.00	2419.35	96.77
30	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना(102)	500.00	0.00	0.00	0.00
31	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)	11603.00	0.00	0.00	0.00
32	वन बन्धु कल्याण योजना (पूंजीमद)	500.00	0.00	0.00	0.00
33	आदिवासी पिछडे विशेष समूह(पूंजीमद)	1000.00	0.00	359.80	35.98
34	शहीद वीरनारायण स्मारक एव संग्रहालय	600.00	0.00	0.00	0.00
35	आदिवासी क्षेत्रो में सुविधाओं का विस्तार 275(1)(पूंजीमद)	12959.55	7165.42	5156.00	73.89
36	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	15000.00	0.00	12640.18	84.27
37	बस्तर विकास प्राधिकरण(पूंजीमद)	3200.00	3200.00	3175.39	99.23
38	सरगुजा, जशपुर विकास प्राधिकरण (पूंजीमद)	3200.00	3200.00	3189.14	99.66
39	छत्तीसगढ़ अ.जा. सहकारी विकास निगम को अंश पूंजी धनवेष्ठन	50.00	50.00	0.00	0.00

40	शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये (प्राथमिक स्तर–197)	5000.00	5000.00	573.62	11.47
41	शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये (माध्यमिक स्तर–196)	8000.00	8000.00	260.28	3.25
42	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना	105.00	105.00	4.29	4.09
43	शिक्षक आवास गृह	15.00	15.00	0.00	0.00
44	जिला/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियो का भवन निर्माण	5.00	5.00	0.00	0.00
45	शैक्षाणिक संस्थाओ के भवनों का निर्माण(पूंजीमद)	1000.00	1000.00	252.89	25.29
46	आदिवासी संस्कृति एवं संवर्धन एवं विकास	1.00	0	0	0.00
47	आदिवासी संस्कृति एवं संवर्धन एवं विकास	208.40	0	16.08	7.72
48	आदिवासी संस्कृति एवं संवर्धन एवं विकास	464.82	0	0	0.00
	योग	**163075.77**	**109462.42**	**93036.24**	

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, विशिष्ट विद्यालयों (आवासीय व्यवस्था/छात्रावास) एवं क्रीड़ा परिसरों का विवरण

क.	संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	अनु.क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं की संख्या
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	25	19
2	प्रयास आवासीय विद्यालय	07	03
3	आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय, दंतेवाड़ा	01	01
4	क्रीडा परिसर	19	14
5	कन्या शिक्षा परिसर (आवासीय व्यवस्था)	14	13
6	गुरूकुल विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	01	01
7	आदर्श बालक आवासीय विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	06	06

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार छात्रावास एवं आश्रम संचालित किए जा रहे हैं :–

1. छात्रावास/आश्रम :–छात्रावास/आश्रम :–छ0ग0 राज्य में कुल 3278 छात्रावासों में 184541 विद्यार्थी प्रवेषित हैं। जिसमें से कुल 1292 अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत 66493 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के (13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंषिक जिलों) 1134 अनुसूचित जनजाति प्री.मैट्रिक छात्रावासों में 59259 स्वीकृत सीट के विरूद्ध 58476 विद्यार्थी प्रवेषित है।

आदिवासी बालक आश्रम लकरापारा

इसी प्रकार राज्य के 341 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 16542 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 142 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 7016 के विरूद्ध 6260 सीटों पर विद्यार्थी प्रवेशित है तथा राज्य के 8 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 400 के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 7 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 350 के विरूद्ध 342 सीटो पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं।

आदिवासी कन्या आश्रम सोनहत जिला–कोरिया

302 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 18445 के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के 13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंशिक जिलों के 263 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 15960 के विरूद्ध 14463 सीटो पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं। 90 अनुसूचित जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 5410 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 35 अनुसूचित जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 2060 के विरूद्ध 1925 सीटो पर प्रवेशित है, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 1050 के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 12 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्वीकृत सीट 650 के विरूद्ध 579 सीटो पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं।

प्री मैटिक आदिवासी कन्या छात्रावास

छ0ग0 राज्य में कुल 1226 आश्रमों में स्वीकृत सीट 83923 है। जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 1175 आश्रमों की स्वीकृत सीट 80168 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 1099 अनुसूचित जनजाति आश्रमों की स्वीकृत सीट 75368 के विरूद्ध 71784 सीटो पर विद्यार्थी प्रवेशित है। इसी प्रकार राज्य के 51 अनुसूचित जाति आश्रमों की 3755 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 22 अनुसूचित जाति आश्रमों की स्वीकृत सीट 1500 के विरूद्ध 1347 सीटो पर विद्यार्थी प्रवेषित है।

2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :

कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति द जाती है। अनुसूचित जनजाति के रूपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति के 57951 छात्र/छात्राऍ की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुए है, छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excluding amount refundable to the students after completion of the course) की भी पात्रता होती है। प्री मैट्रिक तथा कक्षा 11वीं व 12वीं तक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा वितरित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2018–19 में महाविद्यालयीन स्तर पर स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

छात्रवृत्ति का प्रकार	**कुल स्वीकृत छात्रवृत्ति**				**अनु.क्षेत्रों में स्वीकृत छात्रवृत्ति**			
	अनु.ज.जा.		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अनु.जा.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन) छात्रवृत्ति	57951	4489.83	47927	4010.81	32640	2190.91	8514	677.24

विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा भुगतान ऑन–लाईन किया जा रहा है।

खेल परिसर :– राज्य में अध्ययन के साथ–साथ खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा 19 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें से 15 खेल परिसर अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे है। इनमें से 7 परिसर कन्याओं एवं 8 बालक के लिए है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 1 कन्या एवं 1 बालक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 2 परिसर

कीडा परिसर, पेंडा रोड

संचालित है। प्रत्येक परिसर में अधिकतम 100 छात्र/छात्राएं आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2018–19 में कुल 1613 छात्र/छात्राओं ने क्रीड़ा परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू. 1000 शिष्यवृत्ति, 500 रू. पोषण आहार हेतु वर्ष में एक बार रू. 3000 संपूर्ण खेल पोषाक के लिये (जिसमें ड्रेस, जूता, मोजा तथा संबंधित खेल की पोषाक शामिल है) तथा रू. 500 शाला गणवेश के लिए दिए जाते है।

विद्यार्थियों द्वारा वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण एवं 4 रजत तथा 5 कास्य पदक प्राप्त किए गये ।

3 **अशासकीय संस्थाओं को अनुदान** :–छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम–2006 बनाया गया हैं। राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए कुल 12 अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा छात्रावास, औषधालय, बालवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य सेवा केन्द्र आदि प्रवृत्तियां संचालित की जा रही है। अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 923.04 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है।

5 निर्माण योजनाएं :–

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक छात्रावास/आश्रमों में भवनों का निर्माण विभिन्न निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जाता है, साथ ही निर्मित भवनों के रख–रखाव का कार्य भी किया जाता है। प्रतिवर्ष विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार लगभग 50 छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण कराया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत अनु.जनजाति छात्रावास/आश्रम शालाओ में सुरक्षा की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में महिला पुलिस कर्मियो के लिये निम्नानुसार गार्ड रूम का निर्माण किया गया है :–

क्र	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई
1	महिला गार्ड रुम	600.00 लाख	597.80 लाख	196

❖

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएंः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू 163075.77 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू 94335.17 लाख का व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओ का आबंटन व्यय निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	प्राप्त आंबटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	4289.00	4187.495	4187.495	100.00
2	आश्रम	22675.00	22675.00	17583.36	77.55
3	मेघावी छात्रो को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	1000.00	1000.00	494.92	49.49
4	विषेष पिछडी जनजाति	50.70	50.70	25.88	51.05
5	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	2865.80	2865.80	1991.85	69.50
6	छात्रावास	23991.50	23991.50	19914.49	83.01
7	छात्रवृत्ति	12320.00	0.00	2199.13	17.85
8	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	120.00	120.00	47.34	39.45
9	छात्र भोजन सहाय योजना	925.00	925.00	810.80	87.65
10	अशासकीय संस्थाओ को अनुदान	2687.00	2682.00	1483.51	55.21
11	युवा कैरियर निर्माण योजना	730.40	730.40	408.83	55.97
12	आदिवासी विशेष पिछडे समूह	1750.00	0.00	599.90	34.28
13	वन बन्धू कल्याण योजना	562.50	0.00	0.00	0.00
14	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	8000.00	0.00	139.41	1.74
15	पंडो एवं भुंजिया विकास अभिकरण	100.00	100.00	73.92	73.92
16	बस्तर विकास प्राधिकरण	350.00	350.00	123.90	35.40
17	सरगुजा, जषपुर विकास प्राधिकरण	350.00	350.00	170.13	48.61
18	आदिवासी पिछडे विषेष समूह	10.00	10.00	0.00	0.00
19	व्यासायिक प्रशिक्षण योजना	678.00	678.00	136.13	20.08
20	वन बन्धु कल्याण योजना	500.00	0.00	0.00	0.00

21	आदिवासी पिछडे विषेष समूह	1000.00	0.00	359.80	35.98
22	आदिवासी क्षेत्रो में सुविधाओं का विस्तार 275(1)	12959.55	7165.420	5156.00	
23	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	15000.00	0.00	12640.18	84.27
24	बस्तर विकास प्राधिकरण	3200.00	3200.00	3175.39	99.23
25	सरगुजा, जशपुर विकास प्राधिकरण	3200.00	3200.00	3189.14	99.66

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :–

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यक्रमों को बल प्रदान किया गया है। योजना निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग को गति देने के उदेष्य से प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन कियागया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके। आदिवासी उपयोजना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में परिवारमूलक/हितग्राहीमूलक कार्यो के साथ–साथ स्थानीय विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराये जाते है यथा–नलकूप खनन एवं विद्युतीकरण, सौर सिंचाई योजना, पेयजल, विद्यालय/छात्रावास भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि कार्य लिये जाते है।

परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में प्राप्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि	आबंटित राशि	स्वीकृत कार्य
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आई.टी.डी.पी.,माडा पाकेट, लघु अंचल एवं पी.व्ही.टी.जी. विकास अभिकरण/ प्रकोष्ठ द्वारा स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन हेतु)	10342.65	10342.65	80

2	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह योजना)	1089.50	1089.50	12
3	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	**11352.915**	**11352.915**	92

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार / सेक्टरवार लिये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट 5 (अ), (ब), (स), (द), (इ) एवं (ई) में संलग्न है।

परियोजनाओं को प्रदत्त आबंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

❋❋❋❋❋

अध्याय –6
विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

6.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख है। वर्ष 2005–06 के सर्वेक्षण आधार पर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की ग्राम संख्या, परिवार संख्या एवं कुल जनसंख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	कमार	गरियाबंद	217	3350	14386
		धमतरी	126	1454	5740
		महासमुंद	73	671	2898
		कांकेर	13	67	264
	योग		**429**	**5542**	**23288**
2	बैगा	कबीरधाम	268	7890	36123
		बिलासपुर	52	2256	9691
		कोरिया	127	4279	16811
		राजनांदगांव	35	975	3495
		मुंगेली	40	1275	5742
	योग		**522**	**16675**	**71862**
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	140	2374	9509
		जशपुर	97	3097	13011
		कोरबा	33	610	2397
		बलरामपुर	134	2986	12555
	योग		**404**	**9067**	**37472**

4	बिरहोर	रायगढ़	28	243	959
		जशपुर	14	118	414
		बिलासपुर	6	86	367
		कोरबा	34	353	1294
	योग		82	800	3034
5	अबूझामाड़िया	नारायणपुर	201	3895	19401
		दंतेवाड़ा	8		
		बीजापुर	41		
	योग		**250**	**3895**	**19401**
	कुल योग		**1687**	**35979**	**155057**

जिलों के पुनर्गठन के पश्चात् निर्मित नवीन जिलों में उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति पाये जाने के फलस्वरूप पूर्व से गठित अभिकरणों का पुर्नगठन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठो का गठन किया गया है।

वर्ष 2015–16 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) की जनसांख्यिकीय जानकारी के अनंतिम आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	अभिकरण / प्रकोष्ठ का नाम	जिला	विकासखंड	ग्राम संख्या	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	गरियाबंद	71	1972	6192
2				छुरा	59	1088	3862
3				मैनपुर	51	1428	4392
4				फिंगेष्वर	18	205	651
5			बलौदा बाजार	कसडोल	2	40	159
				योग	**201**	**4733**	**15256**
6		नगरी	धमतरी	नगरी	88	1243	4735

7				मगरलोड	26	449	1643
				धमतरी	5	20	83
				योग	**119**	**1712**	**6461**
8		महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	41	460	1425
9				बागबहरा	32	387	1378
10				पिथौरा	2	44	169
				योग	**75**	**891**	**2972**
11		भानुप्रतापपुर	कांकेर	नरहरपुर	13	78	262
				योग	**13**	**78**	**262**
12			कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1	9	34
				योग	**1**	**9**	**34**
		योग कमार			**409**	**7423**	**24985**
1	बिरहोर	जषपुर	जषपुर	दुलदुला	1	16	56
2				पत्थलगांव	2	36	111
3				कांसाबेल	4	28	102
4				बगीचा	4	58	182
5				कुनकुरी	1	25	73
				योग	**12**	**163**	**524**
6		धरमजयगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	17	219	675
7				घरघोड़ा	2	13	52
8				तमनार	3	49	142
9				लैलुंगा	3	23	83
				योग	**25**	**304**	**952**
10		कोरबा	कोरबा	कोरबा	9	145	445
11				करतला	3	13	39
12				पौडी उपरोडा	12	188	559
13				पाली	11	160	499
				योग	**35**	**506**	**1542**
14		बिलासपुर	बिलासपुर	कोटा	4	104	337
15				मस्तुरी	2	39	123
				योग	**6**	**143**	**460**
		योग बिरहोर			**78**	**1116**	**3478**

1	पहाड़ी कोरवा	जशपुर	जशपुर	बगीचा	80	3847	14054
2				मनोरा	12	238	1017
				कुनकुरी	1	9	32
				योग	**93**	**4094**	**15103**
3		बलरामपुर	बलरामपुर	राजपुर	43	1529	5875
4				कुसमी	24	751	3262
5				शंकरगढ़	48	1347	5739
6				बलरामपुर	9	164	693
				योग	**124**	**3791**	**15569**
7		अंबिकापुर	सरगुजा	लखनपुर	8	186	717
8				सीतापुर	9	190	701
9				बतौली	16	409	1620
10				उदयपुर	5	170	633
11				अंबिकापुर	11	298	1152
12				मैनपाट	16	354	1463
13				लुंड्रा	63	1054	4235
				योग	**128**	**2661**	**10521**
14		कोरबा	कोरबा	कोरबा	23	609	2328
15				पौडी उपरोड़ा	4	33	126
	_			**योग**	**27**	**642**	**2454**
		योग पहाड़ी कोरवा			**372**	**11188**	**43647**
1	बैगा	कबीरधाम	कबीरधाम	पंडरिया	78	4624	17244
2				बोड़ला	184	6631	27435
				योग	**262**	**11255**	**44679**
3		बिलासपुर	बिलासपुर	गौरेला	17	2094	8006
4				कोटा	32	1520	5168
5				तखतपुर	2	60	247
				योग	**51**	**3674**	**13421**
6		कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	437	1536
7				खड़गंवा	24	355	1213
8				भरतपुर	84	5142	15993
				योग	**131**	**5934**	**18742**

9		राजनांदगांव	राजनांदगांव	छुईखदान	39	1347	4552
				योग	**39**	**1347**	**4552**
10		मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	41	2357	8371
				योग	**41**	**2357**	**8371**
		योग बैगा			**524**	**24567**	**89765**
1	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	नारायणपुर	ओरछा	236	4632	22387
2				नारायणपुर	13	154	723
		योग अबुझमाड़िया		**योग**	**249**	**4786**	**23110**
		कुल योग		_	**1632**	**49080**	**184985**

उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जनसंख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

6.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

6.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन संयुक्त म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति/षासी निकाय में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 06 पी.व्ही.टी.जी विकास अभिकरण एवं 09 प्रकोष्ट का गठन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर
2	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर
3	बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली
4	बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव
5	बैगा विकास प्रकोष्ठ, कोरिया
6	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा

7	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा
8	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर
9	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर
10	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर
11	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, धरमजयगढ़
12	कमार विकास अभिकरण, गरियाबन्द
13	कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी
14	कमार विकास प्रकोष्ठ, भानुप्रतापपुर
15	कमार विकास प्रकोष्ठ, महासमुंद

6.4 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर योजनाएं संचालित की जा रही है। अभिकरणों की समीक्षा बैठकों में प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्यो हेतु राशि रू 1051.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे संबंधित अभिकरणों को जारी किया गया है। वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत अभिकरणवार कार्ययोजना परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

6.5 इन विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों द्वारा उपरोक्त प्राप्त आवंटन से विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित कार्य किए जा रहे है :–

1. प्राकृतिक स्रोत का विकास
2. लौह प्रभावित क्षेत्रों के हैंड पंप में आयरन रिमुवल किट स्थापना
3. सामुदायिक जल आपूर्ति योजना–10000 लीटर क्षमता टैंक निर्माण एवं सोलर पंप व पाइप लाइन सहित।
4. हैंडपंप स्थापना
5. क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना।
6. ट्यूबवेल स्थापना सोलर पंप सहित
7. लाख पालन प्रशिक्षण
8. सौर विद्युत प्रणाली स्थापक एवं सेवा प्रदाता प्रशिक्षण
9. सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता

6.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

6.7 पंडो विकास अभिकरण :–सूरजपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वागीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत

पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय सूरजपुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2018–19 में इसके लिए रू. 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना में रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए गए।

6.8 भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :–राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुन्द जिलों के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डो में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2018–19 में इसके लिए रू 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना मद रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

6.9 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरवा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है। अंबिकापुर जिले में 20 पहाड़ी कोरवा आश्रम तथा 01 छात्रावास में कुल 444 पहाड़ी कोरवा विद्यार्थी प्रवेशित हैं। इसी प्रकार जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा कुल 20 आश्रम संचालित हैं जिनमें 351 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। बिरहोर जनजाति भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी होने के कारण इस जनजाति समूह के बच्चों के लिए जशपुर जिले तथा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड में शिक्षा हेतु बिरहोर आश्रम संचालित किया जा रहा है।

पहाड़ी कोरवा आश्रम सिलसिला

2. बलरामपुर जिले में 21 पहाड़ी कोरवा आश्रम संचालित है जिसमें 1068 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर संचालित किया जा रहा है जिसमें 268 छात्राएं प्रवेशित हैं।

3. भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 08 जिलों क्रमशः कोरिया, बलरामपुर, अंबिकापुर, कबीरधाम, धमतरी, बिलासपुर, गरियाबंद, जशपुर में 09 आवासीय विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है इनमें से 07 भवन अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैंजिनमें से 05 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा 04 भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

6.10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के समेकित विकास हेतु राज्य में 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास
2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता
3. विद्युत विहीन ग्रामों का विघुतीकरण
4. स्वास्थ्य परीक्षण
5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
6. 0–6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिये पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना।
7. कौशल उन्नयन
8. सामाजिक सुरक्षा
9. वन अधिकार पत्रों का वितरण
10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय
11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियों तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय।

छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा राज्य की पांच जनजातियों तथा राज्य शासन द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। वर्ष 2005–06 तथा वर्ष

2015–16 में प्रारंभ नवीनतम बेस लाईन सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

पी.व्ही.टी.जी. परिवारों को डीजल पम्प एवं अन्य सामग्री का वितरण

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के समेकित विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति प्रतिवेदन
(अक्टूबर 2018)

क्र.	सूत्र का विवरण	सूत्र का संक्षिप्त विषय	इकाई	कुल लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवासहीन परिवारों के लिए आवास	आवासहीन परिवारों के लिए आवास गृह उपलब्ध कराना।	परिवार सख्या	57432	32075	55.85
2	पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था	पेयजल विहीन ग्रामों एवं मजरों, पारा, टोलो में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।	ग्राम संख्या	2386	2242	93.96
3	विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतविहीन ग्रामों, मजरो, पारा, टोलों में विद्युतीकरण।	ग्राम संख्या	1986	1596	80.36
4	स्वास्थ्य परीक्षण	समस्त विशेष पिछडी जनजातियों के परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना जिसमें सिकलसेल, एनीमिया परीक्षण, मलेरिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप, आंत्रशोध, चर्मरोग, क्षय रोग आदि एवं उपचार की समुचित व्यवस्था शामिल है।	हित.संख्या	211437	147439	69.73
		स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	57432	39723	69.17
		हेल्थ कार्ड	हित. संख्या	199581	126860	63.56
5	खाद्य सुरक्षा प्रदान करना	प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	57432	46722	81.35
6	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से	0 से 6 वर्ष के बच्चो को पोषण आहार	बच्चे संख्या	40011	39286	98.19
		गर्भवती माताओं को पोषण आहार।	माताओं की संख्या	3931	3732	94.94

	बचाने के लिए पोषण आहार प्रदाय सुनिश्चित करना।	शिशुवती माताओं को पोषण आहार।	शिशुवती माता संख्या	3445	3314	96.20
		कुपोषित बच्चों को पोषण आहार।	बच्चे संख्या	5116	3976	77.72
7	कौशल उन्नयन	विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवकों को प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करना।	हित.संख्या	38239	7220	18.88
8	सामाजिक सुरक्षा	जनधन योजना	हित.संख्या	112855	47282	41.90
		प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित कराना।	हित.संख्या	112261	48313	43.04
9	वन अधिकार पत्रों का वितरण	समस्त पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत वन अधिकार का वितरण।	हित.संख्या	53636	20124	37.52
		सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण	ग्राम संख्या	2258	980	43.40
10	जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय	जाति प्रमाण पत्र	हित.संख्या	199537	34170	17.12
		निवास प्रमाण पत्र	हित.संख्या	201827	35266	17.47
11	सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिनी आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय	दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार 02 कंबल प्रदाय	वितरित कंबल संख्या	114864	88866	77.37
		विशेष पिछड़ी जनजातियों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति परिवार एक रेडियो का प्रदाय।	परिवार संख्या	57432	50678	88.24
		दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार एक छाता प्रदाय।	परिवार संख्या	57432	50676	88.24

वर्ष 2015–16 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा किये गये बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जनसंख्या एवं परिवार संख्या में परिवर्तन/वृद्धि संभावित है। उक्त योजना राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों सहित उपयोजना क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा रही है।

✵✵✵✵✵

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

— 00 —

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है, तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संषोधन नियम 2012 दिनांक 06.09.2012 से प्रभावषील है।

FRA Village Khalbora, Dharamjaygarh Dist. Raigarh

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./987/25– 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन

निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1.	मुख्य सचिव,छ.ग. शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व विभाग	–	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	–	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
7.	जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य (माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
8	आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग.	–	सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/ सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 13273 वन अधिकार समितियां गठित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य तथा अनुसूचित क्षेत्र मे प्राप्त दावों में से पात्रता अनुसार वर्ष 2018–19 तक वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी निम्नानुसार है :–

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक हितग्राही

व्यक्तिगत वन अधिकार (वर्ष 2018–19 की स्थिति में)

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र					
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/ दावों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		वितरित भूमि (हेक्टे. में)	
एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी.एफ.डी.
629942	230150	374121	29462	319105.016	23299.186

सामुदायिक वन अधिकार (वर्ष 2018–19 की स्थिति में)

सामुदायिक वन अधिकार पत्र		
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि (हेक्टे. में)
32581	23965	950288.844

वन अधिकार के समस्त निरस्त प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाती है। वर्षवार संचयी रूप से वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का विवरण बार डायग्राम के रूप में दर्शित है जिसमें उपरोक्त तालिका में दर्शित राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी सम्मिलित है :–

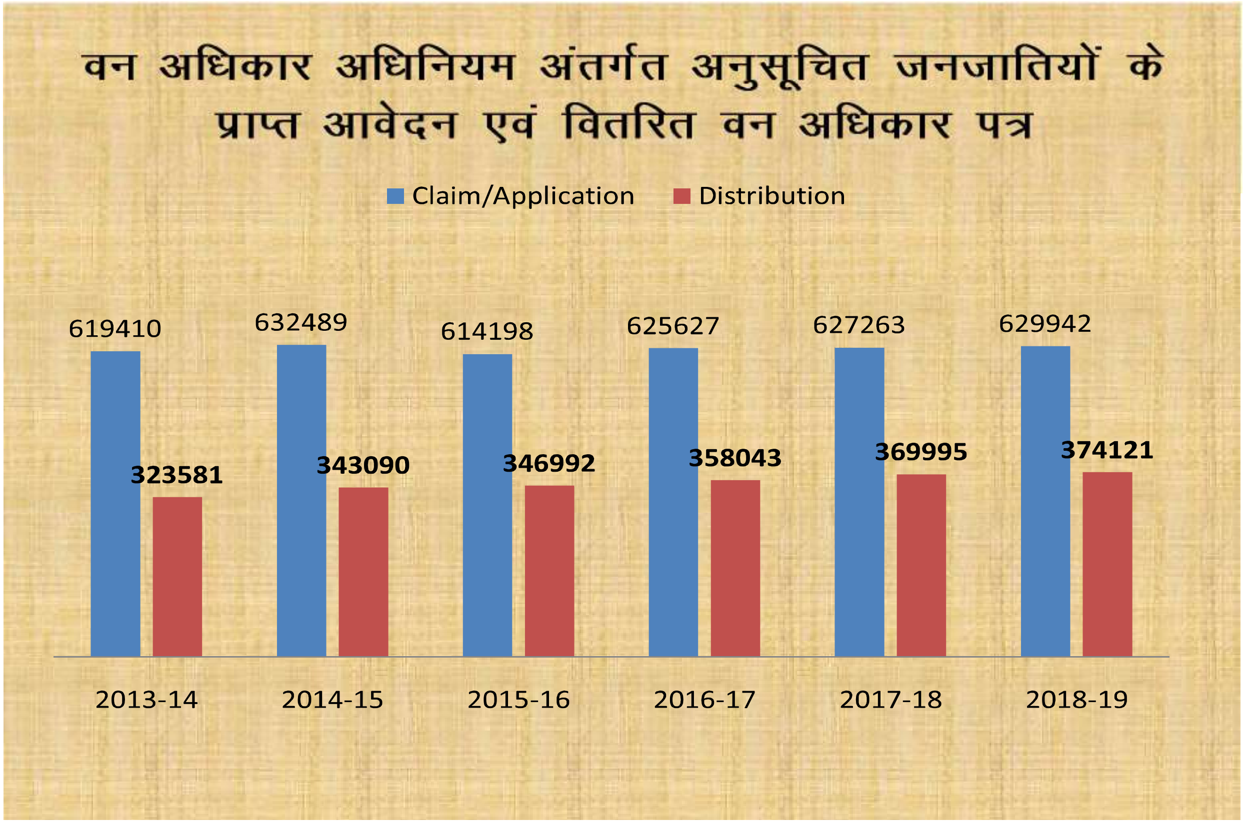
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र
Claim/Application
Distribution
619410
632489
614198
625627
627263
629942
323581
343090
346992
358043
369995
374121
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

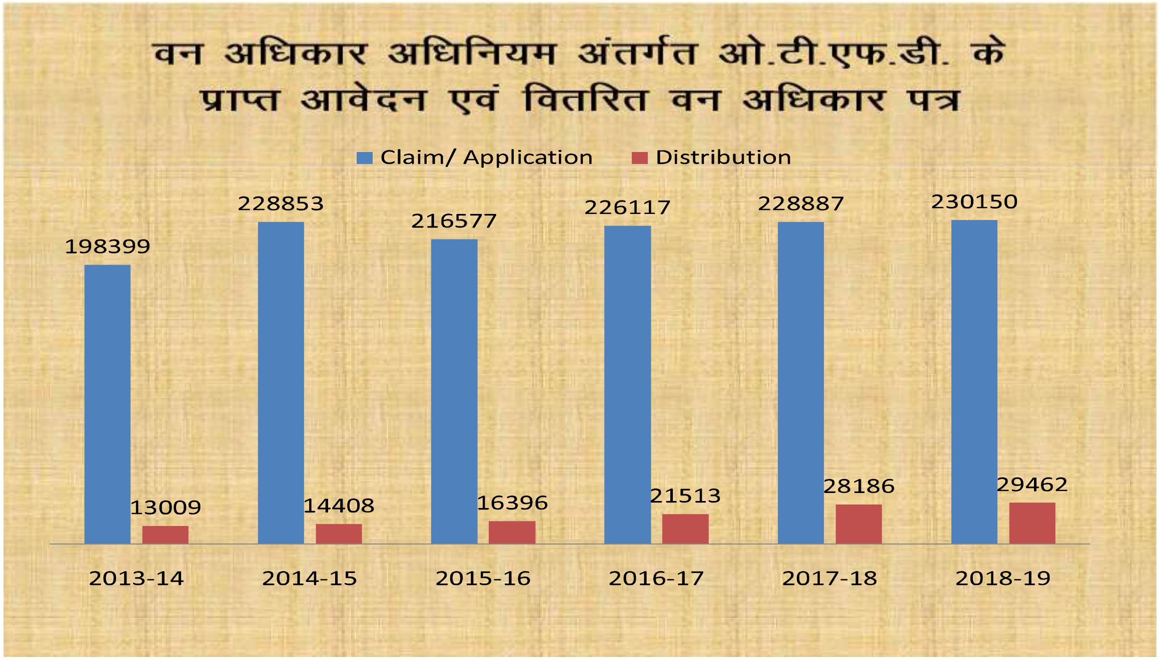
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र
Claim/ Application
Distribution
198399
228853
216577
226117
228887
230150
13009
14408
16396
21513
28186
29462
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

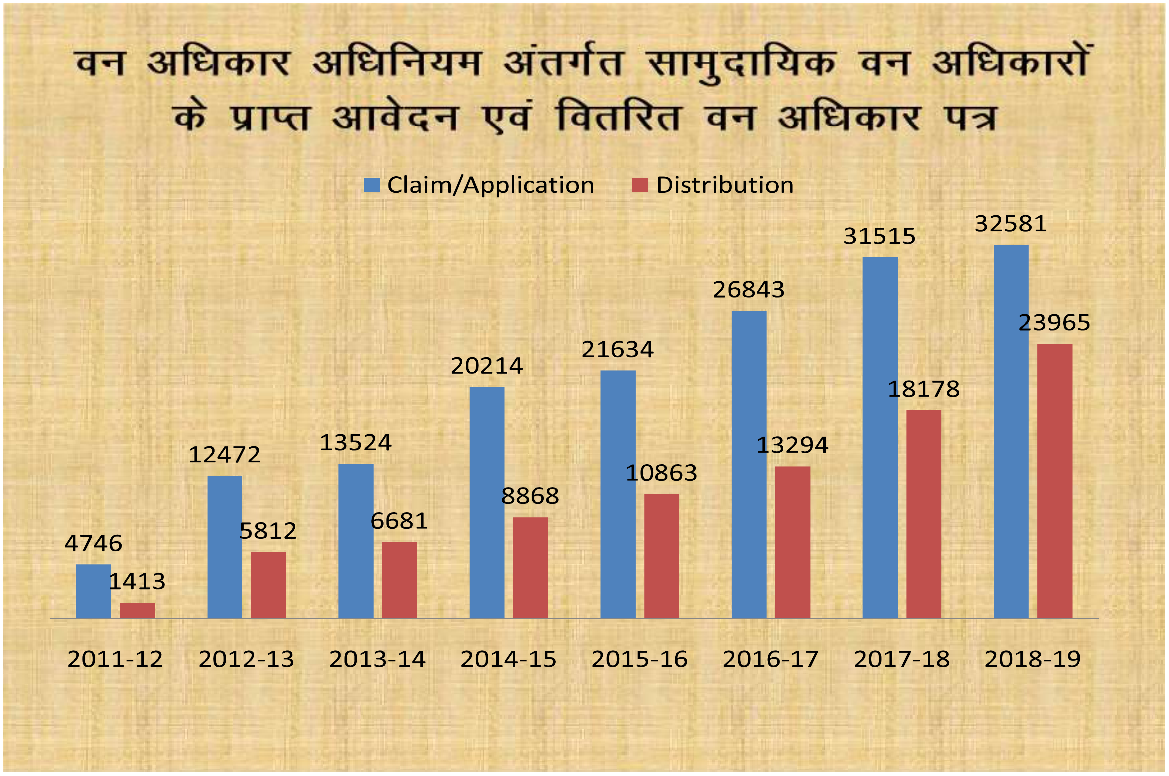
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र
Claim/Application
Distribution
4746
1413
12472
5812
13524
6681
20214
8868
21634
10863
26843
13294
31515
18178
32581
23965
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार पत्र धारकों की आजीविका में स्थायित्व से आय में वृद्धि

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हितग्राहियों को वितरित भूमि में सीमांकन हेतु मुनारों की स्थापना के साथ–साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई के साधन, खाद, बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध करा कर वन अधिकार पत्र धारक कृषकों के भूमि में अधिक उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप वितरित भूमि में फसल का उत्पादन बढ़ा है एवं वन अधिकार पत्र धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

ऐसे वन अधिकार पत्र धारक जिनके पास आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जा रहे है अब तक कुल 101248 वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रगति का विवरण तालिका में दर्शित है :–

भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान कार्य	
हितग्राही	98132
भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	111936.30
स्वीकृत राशि (लाख में)	38581.97
खाद एवं बीज हेतु स्वीकृत सहायता	
हितग्राही	203521
स्वीकृत राशि (लाख में)	3122.92
कृषि उपकरण हेतु स्वीकृत सहायता	
हितग्राही	9613
स्वीकृत राशि (लाख में)	1153.88
सिंचाई हेतु स्वीकृत कार्य (नलकूप, कुंआ, स्टापडेम इत्यादि)	
स्वीकृत कार्य	30303
सिंचित भूमि का रकबा	2239.9
स्वीकृत राशि (लाख में)	21588.37

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23.01.2019 को रायपुर में किया गया था। उक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला/बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहित राज्य स्तर के वन विभाग, राजस्व विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संभागीय कमिश्नर, सभी जिलों के कलेक्टर्स, वनमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं विभिन्न एन.जी.ओ. (NGO) के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

उक्त कार्यशाला में यह बात ध्यान में लाया गया था, कि ग्राम स्तर में इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी भली–भॉति नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जावे एवं कोई भी पात्र दावाकर्ता वन अधिकार पत्र प्राप्त करने से वंचित न हो। कार्यशाला में सामुदायिक वन अधिकारों के संबंध में भी विशेष रूप से चर्चा हुई एवं निर्देश दिया गया कि, ऐसी ही कार्यशालाएं संभाग, जिला एवं अनुभाग स्तर पर आयोजित कर संबंधित स्तर के अधिकारियों को इस अधिनियम की जानकारी दी जावे। राज्य में उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त कलेक्टर्स को मुख्य सचिव महोदय की ओर से सतत् दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

✵✵✵✵✵

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की
बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2018 का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 01 जुलाई 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के समिति कक्ष क्रमांक एस–0–12 में आयोजित की गई । इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए ।

बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा कमांक – एक :

दिनांक 31–03–2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.1)

बैठक दिनांक 12–07–2016 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 28–05–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संबंधित शालाओं में ही शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों को उनके निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। तथा प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु समयबद्व कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि शासन स्तर से समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाये कि :–

(क) निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण –पत्र बनाने हेतु शालाओं में सम्मेलन आयोजित किया जाये तथा इस आयोजन में प्रधान पाठक/प्राचार्य आवश्यक रूप से सकिय भागीदारी निभाएं।

(ख) समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31–03–2017 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ज्ञापन क्रमांकएफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 29–08–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 31–08–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत संचालनालय के पत्र दिनांक 12–09–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस पर निर्णय लिया गया कि कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र विद्यार्थियों को 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण–पत्र के साथ निवास प्रमाण–पत्र भी जारी करने के संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 12/04/2017 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया गया है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई ।

(1.1.2) पूर्व बैठक में कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई एवं समस्त अध्ययनरत विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर यथाशीघ्र 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश समस्त कलेक्टर द्वारा जारी किये जाए। जिस पर चर्चा उपरांत आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च, 2018 की स्थिति में भौतिक लक्ष्य 20,90,227 के विरूद्व 16,18,412 छात्र/छात्राओं का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। शेष 4,71,815 विद्यार्थियों का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने हेतु बनाया जा चुका है।

निर्णय :– परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष प्रमाण पत्र 15 अगस्त 2018 के पूर्व तैयार कर वितरित कराया जाये। इस हेतु वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाये। माननीय सदस्य श्री रामसेवक पैकरा द्वारा अवगत कराया गया कि सूरजपुर, सरगुजा जिला में भुंया जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/कलेक्टर सूरजपुर, सरगुजा)

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.2)</u>

बैठक दिनांक 12–07–2016 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि :–

(क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के नर्मदापारा एवं टपरकेला ग्राम न तो राजस्व ग्राम न ही वन ग्राम में सम्मिलित है जिसके कारण उक्त ग्रामों में किसी प्रकार का वन अधिकार/पट्टा नहीं मिला है। इनका परीक्षण कर लिया जाएं ।

(ख) असर्वेक्षित 382 गॉवों में सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाएं।

(ग) राजस्व सचिव इन 813 ग्रामों के सर्वेक्षण की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जो कि सामान्य राजस्व ग्रामों में लागू हैं इन ग्रामों में भी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, यथा बीज, खाद, सहकारी बैंकों से ऋण आदि । पूर्व बैठक दिनांक 31–03–2017 में बिन्दु क्रमांक (क)

के संबंध में कलेक्टर सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अवगत कराया गया कि विकास खण्ड लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा के मध्य में 25 हेक्टेयर भूमि न तो राजस्व विभाग के अभिलेख में अंकित है और न ही वन विभाग के अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आती है। जिसमें कुल 44 कब्जेधारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जे धारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

विकास खण्ड लुण्ड्रा के ग्राम टपरकेला की सीमा से लगी कुल 7 हेक्टेयर भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आती है। जिसमें कुल 14 कब्जे धारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जेधारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

(ख) राजस्व विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर्स से प्राप्त नवीन जानकारी के आधार पर कुल 1083 ग्रामों का सर्वे/रि–सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। सर्वे/रि–सर्वे की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इन ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया गया है।

1083 ग्रामों के विरूद्व 870 ग्रामों का डिजिटल नक्शा प्राप्त हो चुका है जिसे सत्यापन हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 31–03–2018 की बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि राज्य के 1083 ग्रामों के सर्वे/रिसर्वे की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। यह कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के 1083 ग्रामों में से 966 ग्रामों के डिजिटल नक्शे तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं एवं 405 ग्रामों के नक्शों का सत्यापन कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। शेष ग्रामों के नक्शों का सत्यापन जिला स्तर पर प्रकियाधीन है। सत्यापन कार्य 30 सितंबर, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिये गये हैं।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(1.2.2) दिनांक 31–03–2018 की बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था उक्त 1083 ग्रामों में जिला सरगुजा के विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा तथा टपरकेला के अतिरिक्त ग्राम सुरंगपानी ग्राम पंचायत कुकराझार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर एवं ग्राम बरमुड़ा विकासखण्ड तमनार जिला रायगढ़ के राजस्व ग्रामों में शामिल होने की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत्त अंबिकापुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला सरगुजा के सरगुजा वनमंडल में विकासखण्ड़ लुण्ड्रा के ग्राम नर्मदापारा घंघरी एवं भकुरा की 25 हेक्टेयर भूमि तथा टपरकेला की सीमा से लगी कुल 7 हे.भूमि वन भूमि नहीं है एवं अतिक्रमण की गई है जिसके कारण उक्त भूमि वन के रूप में अधिसूचित करने योग्य नहीं है।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील पत्थलगांव, राजस्व निरीक्षक मण्डल बागबहार प0ह0नं0 34, ग्राम पंचायत सुरूंगपानी के अंतर्गत आश्रित ग्राम कुकराझेर स्थित है। ग्राम कुकराझेर (सुरंगपानी), बन्दोबस्त क्रमांक 237, पूर्व से ही राजस्व ग्राम था। तत्कालीन तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मण्डल पत्थलगांव, तत्कालीन प0ह0नं0 28 के अंतर्गत यह ग्राम रहा है, जो जिला विभाजन के बाद जशपुर जिला में शामिल हुआ। विभाग के पत्र दिनांक 17–10–2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना पर ग्राम कुकराझार जिला जशपुर को सर्वेक्षण हेतु चयनित एवं अधिसूचित ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। जिला सरगुजा एवं रायगढ़ की जानकारी अप्राप्त है।

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा अवगत कराया गया है कि रायगढ़ वनमंडल के विकासखण्ड तमनार के ग्राम देवगढ़ का आश्रित मोहल्ला बरमुड़ा है, ग्राम बरमुड़ा के नाम से स्वतंत्र ग्राम नहीं है। अतः ग्राम देवगढ़ के आश्रित बरमुड़ा को स्वतंत्र ग्राम घोषित करने की कार्यवाही राजस्व विभाग से संबंधित है एवं राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व सर्वेक्षण हेतु जिलों द्वारा भेजी गई ग्रामों की सूची में उपर्युक्त ग्रामों का उल्लेख नहीं होने के कारण इन ग्रामों को विधिवत राजस्व ग्राम घोषित कर सर्वेक्षण के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे गये हैं।

निर्णय :–

(1) जिलाध्यक्षों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई।साथ ही निर्देश दिया गया कि माननीय विधायक को 15 दिन के भीतर वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

(2) माननीय सदस्य श्री रामसेवक पैकरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम करसी, नवाडीह एवं सिलफिली वन भूमि है अथवा राजस्व भूमि है यह स्थिति स्पष्ट नहीं होने से रिकार्ड संधारण में दिक्कत आ रही है।

(3) माननीय सांसद बस्तर ने अवगत कराया कि जगदलपुर नजूल की जमीन है, इसका कोई रिकार्ड नहीं है एवं इस वजह से नजूल क्षेत्र पर वन अधिकार पट्टे प्रदाय नहीं किए जा रहें हैं। आगामी बैठक में वस्तुस्थिति तथा प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही, राजस्व विभाग/आयुक्त सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.3)

बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटाकर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी मॉगी जावे। परिषद् को अवगत कराया गया था कि माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा अपने–अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागांव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तद्नुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

मान. केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08–10–2014 द्वारा माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलना संभव प्रतीत नहीं होने से अवगत कराया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुर्नविचार हेतु लिखा जाए।

(1.3.1.) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को छ.ग.राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पत्र क्रमांक एफ 16–9/2013/38–2 दिनांक 17–12–2015 द्वारा लेख किया गया है।

बैठक दिनांक 17–12–2015 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग का सृजन किया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्व विद्यालय को पाठ्यक्रम निर्धारित कर कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया है। यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(क) शासन स्तर से ही सृजन करने का आदेश जारी किया जाये तथा इस पृथक विभाग के सृजन हेतु जो भी सेटअप की आवश्यकता होगी वह शासन स्तर से मंजूर किया जाये। सम्पूर्ण कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावे।

(ख) अमरकंटक जनजाति विश्व विद्यालय का क्षेत्रीय (Regional) स्टडी सेंटर बस्तर में स्थापित करने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय, केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(क) परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेटअप सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ख) मान.श्री प्रकाश जावडेकर, मंत्री मानव संसाधन विकास भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 30–08–2016 में लेख किया गया है कि राज्य रूसा के अंतर्गत विद्यमान स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन अथवा कॉलेज कलस्टर को बस्तर जिला में एक जनजातीय विश्वविद्याय में तबदील करने के लिए अपनी राज्य उच्चतर शिक्षा योजना (एसएचईपी) में प्रस्तावित कर सकता है। बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय को अपनी पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से अवसंरचना अनुदान प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक 17–12–2015 में परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग के सृजन के संबंध में है कि बस्तर विश्वविद्यालय को रूरल टेक्नालॉजी, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला तथा वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला विभाग के लिये वित्त विभाग की सहमति से विभागीय पत्र क्रमांक 3249 दिनांक 27–08–2012 द्वारा 18 अस्थायी पदो के सृजन की सहमति दी गई है।

बैठक दिनांक 01.07.2018 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर 2018 तक नियुक्ति की कार्यवाही कर ली जायेगी।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनजाति समूह का विस्तृत अध्ययन कराया जाये। आवश्यक हो तो जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से मदद ली जा सकती है।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग)

(1.3.2) पूर्व बैठक मेंउच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा बस्तर में एक स्टडी सेंटर स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि – (1) अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय स्टडी सेंटर स्थापना की कार्यवाही की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (2) बस्तर क्षेत्रीय स्टडी सेंटर के अलावा अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय का सरगुजा विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अमरकंटक जनजातीय विश्वविद्यालय के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ किये जाने के संबंध में विभागीय अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06–04–2017 एवं 19–09–2017 के संदर्भ में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 13–04–2017 एवं 30–10–2017 द्वारा लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय के नये अध्ययन केन्द्र को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व विश्वविद्यालय को पहले अमरकंटक (मध्यप्रदेश) में अपने मुख्य परिसर में अपने कार्यों को व्यवस्थित करने एवं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी (IGNTU) की अवसंरचना और शिक्षण के संबंध में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होने से विश्वविद्यालय के लिए अमरकंटक में अपने मुख्य परिसर को सुदृढ़ करने और अन्य केन्द्रों को खोलने से पहले कुछ और समय प्रतीक्षा करने का लेख किया गया है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.4)</u>

(1.4.1) ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो कि राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं, उन प्रकरणों की सूची 01 माह में कमिश्नर सरगुजा तथा बस्तर राजस्व विभाग को प्रेषित करें। राजस्व विभाग मंत्रीपरिषद् से इस संबंध में आदेश प्राप्त करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्रस्तुत संभागीय आयुक्त सरगुजा के प्रतिवेदन अनुसार पांच जिले के कुल 18868 प्रकरण निरस्त किये गये हैं।सूची राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई है।संभागीय आयुक्त बस्तर के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर,सुकमा, कोण्डागांव में कुल 5877 वन अधिकारी प्रकरण राजस्व भूमि में होने के कारण निरस्त किये गये । जिला कांकेर एवं बीजापुर से जानकारी अप्राप्त है।जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कांकेर में 8788, बीजापुर में 303 इस प्रकार कुल 9091 ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 12.07.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस निर्देश के साथ कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही–राजस्व विभाग)

(1.4.2) परिषद की दिनांक 31.03.2017 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ओटीएफडी के वन अधिकार पत्रों से संबंधित आवेदनों में निरस्तीकरण की संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक होने के संबंध में चिंता जताई गई एवं यह निर्देश दिये गये कि ऐसे जिले जहां पर अत्यधिक संख्या में ओटीएफडी प्रकरणों में निरस्तीकरण हुआ है वहां पर पुनः परीक्षण करा लिया जाए। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए।दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के सभी 24 जिलों में ओटीएफडी के निरस्त प्रकरणों में पुनर्विचार की कार्यवाही की जा रही है तथा पुनर्विचार उपरांत पात्र पाए गए 19,720 हितग्राहियों को वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए हैं तथा वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।

निर्णय :—परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि यह निरन्तर प्रक्रिया है, अतः चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.6)</u>

(1.6.3) गरियाबंद जिले के अमलीपदर में कन्या स्कूल का भवन अपूर्ण है जबकि इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा करवाया गया है। लोकार्पण के उपरान्त भी भवन अपूर्ण होने के लिये जवाबदेही निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, तथा इस भवन को पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारस्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 29—08—2016 एवं स्मरण पत्र दिनांक 26—09—2016 द्वारा कलेक्टर गरियाबंद से पालन प्रतिवेदन/जांच रिपोर्ट चाहा गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्टर जिला— गरियाबंद से प्राप्त जानकारी अनुसार अमलीपदर कन्या स्कूल भवन निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2006—07 में स्वीकृत किया गया है। इस अवधि में नियंत्रणकर्ता अधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर रहे हैं। गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ है।

अतः इस संबंध में तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर श्री के.आर. ठाकुर एवं श्री प्रकाश अनंत, उप यंत्री, आदिवासी विकास रायपुर लोकापर्ण के उपरांत भी भवन अपूर्ण होने के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हैं। उक्त अपूर्ण भवन को पूर्ण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला—गरियाबंद द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करते हुए राशि रूपये 45,49,652/— मात्र की स्वीकृति एवं आबंटन प्राप्त होते ही अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया लिया जायेगा। कार्यवाही प्रकियाधीन है।

उक्त दोषी अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र दिनांक 21—12—2017 द्वारा कलेक्टर, रायपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबंधित उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निर्णय :— परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि अपूर्ण कार्य को मुख्यमंत्री घोषणा मद में मान्य कर पूर्ण कराया जाये। इस निर्णय के साथ कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

(1.6.5) राजनांदगॉव जिले के मानपुर बोरिया में अपूर्ण भवन को पूर्ण किया जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मानपुर के ग्राम बोरिया में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु 49.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्युतीकरण सहित भवन निर्माण कार्य दिनांक 20—03—2017 को पूर्ण कर लिया गया है। भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मानपुर के ग्राम बोरिया—ठेकेदारी में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु रूपये 49.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्युतीकरण सहित भवन निर्माण कार्य दिनांक 20—03—2017 को पूर्ण कर दिनांक 31—03—2017 को संबंधित विभाग को भवन हस्तांतरित कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग को हो चुका है।

निर्णय :— चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.7)</u>

राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में जहॉ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह जनगणना निदेशालय से किया गया है। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अन्वेषण/अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभागद्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अध्ययन हेतु रूपये 10.00 लाख की मांग की गई है। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा तद्नुसार सहमति दी गई।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास के पत्र दिनांक 20—11—2015 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु रूपये 10.00 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है।

परिषद द्वारा दिनांक 17—12—2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की जावे।

दिनांक 12—07—2016 की बैठक में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि जिला नारायणपुर एवं सुकमा हेतु प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में यह कार्य प्रगति पर है। प्रतिवेदन अनुसार अनुसंधान कार्य प्रगति पर है तथा प्रतिवेदन निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण कर प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन प्रतिवेदन की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उनके कारणों के संबंध में शोध अध्ययन की कार्यवाही छ.ग.राज्य के 07 जिलों यथा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, जशपुर, कोरिया में की जा रही है। इन 07 जिलों में शोध अध्ययन की व्यावहारिक एवं मैदानी कार्यवाही की जाकर सांख्यिकी डाटा व जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसके विस्तृत विश्लेषण के साथ ही प्रति सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस कारण अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने में किंचित विलंब हो रहा है। अंतिम प्रतिवेदन उक्तानुसार कार्यवाही के बाद यथाषीघ्र प्रेषित की जायेगी। जिस पर परिषद् द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :—

(1.7.1) मानव विकास सूचकांक के आधार पर सबसे वंचित वर्ग का जिलों में क्लस्टर के रूप में चयन कर तुलनात्मक आंकड़े रखे जायें।

(1.7.2) प्रायमरी डाटा एकत्र कर उसके आधार पर अध्ययन निष्पादित किया जाए न की सेंकडरी डाटा के आधार पर ।

(1.7.3)अध्ययन हेतु यदि अतिरिक्त राशि एवं समय की आवश्यकता हो तो तद्नुसार सूचित किया जाए।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नअध्ययन के कार्य कराये जाने हेतु रूपये12.95 लाख की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वांछित राशि प्रदान कर दी गई है।

बस्तर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन की कार्यवाही 7–8 माह में पूर्ण कर ली जायेगी।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाएं।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग)

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.8)</u>

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीवविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया था। बीजापुर में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया था तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मांग की गई थी। आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है।जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की इच्छानुसार गणित अथवा जीव– विज्ञान विषय में अध्ययन एवं कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।

परिषद को अवगत कराया गया कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः परीक्षण कर सीमाओं का पुनः निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सीमाओं का पुनः निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि कि बीजापुर वन मंडल अंतर्गत रकबा 43.956 हेक्टेयर में एयर स्ट्रिप निर्माण का पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, वन मंत्रालय को भेजी जावेगी। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति हेतु प्रकरण शीघ्र भारत सरकार को भेजा जावे।

इस सबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन का वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण राज्य शासन के पत्र दिनांक 30–05–2015 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। तथा इंद्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्य जीव बोर्ड की अनुमति

हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र दिनांक 13–07–2015 द्वारा भेजा गया है। उक्त दोनों प्रकरण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिषद द्वारा बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सम्पर्क कर उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन विभाग विशेष प्रयास करे। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं संभाग आयुक्त बस्तर मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विमानन विभाग की अनुशंसा अनुसार, बीजापुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण का कार्य जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जाना है तथा इस संबंध में दिनांक 05–12–2014 को विमानन विभाग को विभागीय सहमति प्रदान कर दी गई है।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि बीजापुर हवाई पट्टी हेतु 39.604 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को दिनांक 06–01–2016 को प्रेषित किया गया है। उक्त क्षेत्र इंद्रावती टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण को भी लिखा गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिनांक 15–03–2016 को सशर्त अनुमति दी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 25–02–2016 को 9 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी अगले सप्ताह तक प्रेषित कर दी जावेगी।

इंद्रावती टाईगर रिजर्व की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्ताव दिनांक 13–07–2015 को प्रेषित किया गया था, जिस पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाना है। उक्त समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 26–02–2016 को बीजापुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी का स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कलेक्टर बीजापुर को निर्देशित किया गया कि एयर स्ट्रीप निर्माण हेतु शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि सम्मिलित होने पर निजी भूमि स्वामी को नियमानुसार मुआवजा आदि के प्रकरण तैयार किये जायें। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की सप्तम बैठक में इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार उक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित करने हेतु निर्णय लिया गया। जिस पर कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवंजैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) द्वारा प्रस्ताव केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण करने हेतु तीन सदस्यीय जांच दल का

गठन किया गया। गठित दल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 24–07–2016 को किया गया तथा उनके द्वारा चाही गयी जानकारी उन्हें प्रदाय की जा चुकी है। उनके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जावेगा। इस प्रकरण की कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

बीजापुर शहर में एयर स्ट्रिप निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 37वीं बैठक में सशर्त अनुमति दिनांक 15–03–2016 को जारी कर दी गयी है। जिसे आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बीजापुर तथा मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) जगदलपुर को प्रेषित की जा चुकी है। शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति हेतु भारतीय वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को लेख किया गया है।

प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रयोजन हेतु रूपये दस करोड़ की आवश्यकता है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित राशि रूपये दस करोड़ की व्यवस्था एन.एम.डी.सी के सी.एस.आर मद से अथवा खनिज विकास निधि से कराई जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र दिनांक 06–09–2016 के द्वारा बीजापुर में हवाई पट्टी निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति सशर्त जारी की गई है। शर्तों की पूर्ति किये जाने तथा शर्तों के अनुसार कैम्पा मद से राशि जमा कराये जाने हेतु उप निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर द्वारा आवेदक विभाग को लगातार पत्राचार किया जा रहा है एवं कलेक्टर बीजापुर को भी लेख किया गया है। वर्तमान में प्रकरण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बीजापुर एवं जिला निर्माण विभाग स्तर पर लंबित है। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। वन विभाग को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि इस विषय में मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन की अध्यक्षता में गठित हाईपॉवर कमेटी की बैठक में कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही वन विभाग एवं आयुक्त, बस्तर संभाग)

पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.9)

(1.9.3) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों की नगर पंचायतों में भी आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाये तथा कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 मेंराज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पत्र दिनांक 29–03–2016 द्वारा नगर पंचायतों के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्रधिकरण द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के विभिन्न विकासखंडों में दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। सिपेट रायपुर में नक्सल पीड़ितों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल प्रभावित जिले/नगरीय निकायों– कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में **प्रधानमंत्री आवास योजना–''सबके लिये आवास योजना''** के प्रावधानों के तहत निकाय सीमा अंतर्गत निवासरत पात्र हितग्राहियों की सूची में

नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को शामिल करते हुए भूमि चयन उपरांत आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस अनुक्रम में कलेक्टर, जिला सुकमा को कुल 22 आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिये **प्रधान मंत्री आवास योजना** अंतर्गत विशेष प्रावधान पर योजना का लाभ देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16–08–2017 के द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के लिये भूमि उपलब्ध कराते हुये पट्टे प्रदान किये जाने हेतु लेख किया गया है, ताकि संबंधित को लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के तहत योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

इसी प्रकार नगरीय निकायों में निवासरत नक्सल पीड़ित व्यक्तियों अथवा उनके परिजनों को ब्लॉक मुख्यालय के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल उन्नयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

बीजापुर में 02 नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को डोमेस्टीक डॉटा एण्ट्री आपरेटर तथा मल्टीकुशिन कुक, नारायणपुर में 04 व्यक्तियों को कॉमर्सियल व्हिकल ड्राईवर लेवल–04 तथा कांकेर में –22 नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को हैंड एम्ब्रोडरी का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

निर्णय :– परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के लिये बनाये जा रहे आवास सुरक्षित स्थानों में कलस्टर्स में निर्मित किये जायें, तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई ।

(कार्यवाही– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(1.9.4) नारायणपुर जिले के जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर माड़िया निवास के नाम से 20 से 25 कमरों का सामुदायिक भवन निर्माण किया जावे, तथा 01 दाल–भात केन्द्र भी भवन के परिसर में खोला जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि नारायणपुर एवं ओरछा में सामुदायिक भवन का प्राक्कलन प्रतिभवन रू. 50.00 लाख (पचास लाख) के मान से कलेक्टर नारायणपुर के पत्र दिनांक 02–09–2016 के द्वारा प्राधिकरण प्रकोष्ठ को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों के नगर पंचायतों में आवास उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराई जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि कलेक्टर जिला–नारायणपुर ने सूचित किया है कि नारायणपुर में माड़िया निवास के नाम से 20 कमरों का सामुदायिक भवन एवं 01 दाल–भात केन्द्र की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 50.00 लाख मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान निधि से प्रदान किया गया है। निर्माण एजेंसी जिला निर्माण समिति नारायणपुर है तथा वर्तमान में निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इस माड़िया सामुदायिक भवन में दाल–भात केन्द्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पृथक से खाद्य विभाग को भेजी गई है, स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रारंभ कर दी जावेगी।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.10)</u>

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग में अनेक आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में की गई

कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाये। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक के पूर्व स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1)मान.कमिश्नर न्यायालय से पुनरीक्षण आदेशोपरांत प्राप्त कुल प्रकरण संख्या–77

2)मा.न्यायालय राजस्व मण्डल छ.ग.सर्किट कोर्ट जगदलपुर की ओर सुनवाई पूर्व मांग अनुसार प्रेषित प्रकरण –27

3)कलेक्टर न्यायालय से पुनरीक्षण की कार्यवाही में कुल निर्णित प्रकरण संख्या–50

<u>कुल प्रकरण संख्या –77</u>

1)अंतिम आदेश पश्चात आदिवासी पक्ष को कब्जा सौंपा गया–23

2)अंतिम आदेशानुसार निरस्त किये गये प्रकरण (भूमि आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी पक्ष को अनुमति पश्चात अंतरित न होने की स्थिति में –03

3)अनुविभाग स्तर पर कब्जा सौंपने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण संख्या –07

4)मान.उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन पर कार्यवाही स्थगित प्रकरण संख्या –17

कुल प्रकरण संख्या–50

जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव अंतर्गत कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किये जाये।

सचिव, राजस्व विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12–07–2016 में अवगत कराया गया कि बस्तर संभाग के जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा में नगरीय क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई थी। ऐसे मामलों की संख्या बस्तर में 77 तथा दंतेवाड़ा में 10, इस तरह कुल 87 मामले पाये गये थे। आयुक्त बस्तर संभाग के द्वारा इन सभी 87 मामलों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया। अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यवाही का विवरण	जिलेवार की गई कार्यवाही		
		बस्तर	दंतेवाड़ा	योग
1	कुल प्रकरण संख्या	77	10	87
2	आयुक्त बस्तर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में लिये गये प्रकरण संख्या	77	10	87
3	आयुक्त बस्तर द्वारा निराकृत प्रकरण संख्या	77	10	87
4	आदिवासियों को वापस करने तथा कब्जा सौंपने के आदेश पारित प्रकरण संख्या	77	10	87
5	आदिवासियों को कब्जा सौपे गये प्रकरण संख्या	26	7	33
6	कब्जा सौंपने की कार्यवाही अ.वि.अ.के पास	7	1	8

	विचाराधीन			
7	माननीय उच्च न्यायालय /राजस्व मंडल/ व्यवहार न्यायालय में लंबित/ स्थगन	44	2	46

जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में संभागीय आयुक्त बस्तर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 87 प्रकरण पुनरीक्षण में लिये जिनमें से 27 प्रकरण राजस्व मंडल में लंबित हैं, 01 प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है, कुल 59 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें से 31 प्रकरणों में कब्जा वापस सौंपा गया तथा 10 प्रकरणों में कब्जा सौंपने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 18 प्रकरण उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त हैं। जिस परपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया किः आगामी कार्यवाही से अवगत कराया जाएं।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला बस्तर के कुल 77 प्रकरणों में से 33 प्रकरणों में आदिवासी भूमि स्वामी का कब्जा वापस दिलाया गया है। शेष 44 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/ राजस्व मंडल में लंबित है।

जिला दंतेवाड़ा के कुल 10 प्रकरणों में से 07 प्रकरणों में आदिवासी भूमि स्वामी का कब्जा वापस दिलाया गया है। शेष 03 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/ राजस्व मंडल में लंबित है।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु तत्परता से पहल की जाये, तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई ।

(कार्यवाही–विधि विभाग/राजस्व विभाग)

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (1.12)</u>

बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि :–

(अ) कोरिया जिला में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

(द) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों को एक नग कम्बल, एक नग ट्रांजिस्टर रेड़ियो ब्रांडेड कम्पनी का एवं एक नग छाता कैम्पा मद के ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 को विभागों द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

(अ) आयुक्त, सरगुजा संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोरिया जिले के अनुकंपा नियुक्ति हेतु 13 आवेदनों में से 06 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। पद रिक्त नहीं होने के कारण शेष आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(द) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सघन वनों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों में नागरिक सहयोग के निर्माण एवं वन संरक्षण संबंधी सूचनाओं के संज्ञान हेतु आवश्यक सामग्री कैम्पा निधि से प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29–12–2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सघन वनक्षेत्रों में निवासरत विशेष जनजाति समूह में वनों में अग्नि प्रसार की रोकथाम में सहयोग एवं वन संरक्षण में सहयोग

की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को दो–दो कंबल प्रदाय करने हेतु कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से रूपये 250.00 लाख की राशि दो वित्तीय वर्ष में व्यय की जाए। संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में 35,979 परिवार को दो–दो कंबल के हिसाब से कुल 71,958 नग कंबल प्रदाय करने हेतु रूपये 179.895 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कंबल वितरण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) छत्तीसगढ़ रायपुर के अधीन किया जा रहा है। जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.12.1) कोरिया जिले के शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर कोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर 03 अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग अंतर्गत भृत्य के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। 01 अभ्यर्थी गोद पुत्र होने संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की गई है। 01 प्रकरण पुलिस विभाग के द्वारा मंगाये जाने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया की ओर प्रेषित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार राजस्व विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने से 02 अभ्यर्थियों के प्रकरण मूलतः उनके विभागाध्यक्ष की ओर प्रेषित किया जा चुका है। परिषद द्वारा नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का निर्देश दिया गया।

कलेक्टर कोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण किया गया। कार्यवाही निम्नानुसार है :–

(1) 03 अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग अंतर्गत भृत्य के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) 01 अभ्यर्थी द्वारा सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिले में सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण आवेदन कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 958 दिनांक 07–02–2017 द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर को प्रेषित किया गया है।

(3) 01 अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जिले में सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 23–02–2017 द्वारा विकास आयुक्त नया रायपुर को प्रेषित किया गया है।

(4) 01 अभ्यर्थी का आवेदन कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 17–03–2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया को प्रेषित किया गया है।

(5) 01 अभ्यर्थी से गोद पुत्र होने संबंधी सक्षम न्यायालय से विधि सम्मत गोदनामा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 2528 दिनांक 30–03–2017 द्वारा लेख किया गया है।

निर्णय :– परिषद् द्वारा चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.12.4) विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) के प्रत्येक परिवार को 02 कम्बल, 01 ट्रॉजिस्टर, एवं 01 छाता वितरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करावें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हेतु मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के 30100परिवारों को (प्रति परिवार 02 कंबल के मान से) कुल 60,199 कंबलों का वितरण दिसम्बर, 2016 तक किया गया है। शेष परिवारों को कंबल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कंबल का वितरण वन विभाग द्वारा कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) निधि की अर्जित ब्याज की राषि से किया गया है। छाता एवं रेडियो प्रदाय करने हेतु वर्ष 2016–17 के विभाग के बजट में राषि रू.435.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। विभागीय आदेष क्र.एफ–18–31/2016/25/2 दिनांक 27–12–2016 द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय के प्रत्येक परिवार को छाता एवं रेडियो प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। अब तक 5841 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को कुल 5841 नग रेडियो एवं 5841 छाता का वितरण जिलों द्वारा किया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार को वितरण की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति की जानकारी से आगामी बैठक में अवगत करावें।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक मेंवन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज की राशि से विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के 55,575 परिवारों को प्रति परिवार 02 कंबल के मान से 1,11,150 नग कंबल का वितरण किया गया है। इसी प्रकार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवारों को सूचना जागरूकता हेतु 42,625 नग रेड़ियो एवं दैनिक उपयोग हेतु 43,499 नग छाता का वितरण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया गया है। शेष परिवारों को रेडियो एवं छाता वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णय :– माननीय सदस्य श्रीमती मुन्नीबाई द्वारा अवगत कराया गया कि सरगुजा तथा बलरामपुर में पहाड़ी कोरवाओं को कंबल का वितरण नहीं हुआ है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग को निर्देश दिये गये कि वस्तुस्थिति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये, तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाये।

(कार्यवाही वन विभाग)

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (1.14)</u>

(1.14.1) श्री महेश गागड़ा, माननीय वन मंत्री ने जानना चाहा कि बस्तर संभाग के 22000 हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र को वन भूमि से राजस्व भूमि में डी–नोटीफाई करने की कार्यवाही में विलंब हो रहा है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विधि विभाग 01 माह में अपना अभिमत प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो महाधिवक्ता छ0ग0 से भी अभिमत प्राप्त कर लेवें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में विधि एवं विधायी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशासकीय विभाग (वन) से प्राप्त विषयांकित प्रकरण में महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छ.ग. का अमूल्य अभिमत प्राप्त करने हेतु दिनांक 26–07–2016 एवं 01–02–2017 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। वांछित अभिमत अपेक्षित है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य द्वारा अवगत कराया गया कि विद्वान महाधिवक्ता, बिलासपुर से प्राप्त अभिमत के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :–

"Therefore, it is hereby advised that in order to go ahead with the de- notification plan of forest lands as revenue lands it would be proper to move appropriate application before the Supreme Court in W.P.(C) NO. 202/1995 T.N. Godhavaman & Simultaneously approach the Central Government seeking its approval."

It is clarified that any attempt to circumvent the Supreme Court and The Government of India would be disastrous as, the situation from the date of de-notification in 1973 and 1974 has changed drastically and environmental jurisprudence has grown by leaps and bounds altering the very way of looking at forest and wild life. It is therefore be imperative to move appropriate application W.P.(C) No. 202/1995 T.N. Godhavarman and to approach the Central Government of india and after having satisfied the two authorities regarding its bonafides the Government of Chhattisgarh may proceed to record the de-notified forest land in 1973 and 1974 in their revenue records as revenue lands.

उक्त अभिमत पर विधि विभाग द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है। विधि विभाग के उक्त अभिमत को इस विभाग के पत्र दिनांक 12–09–2017 द्वारा वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

निर्णय :– परिषद् द्वारा इस निर्देश के साथ कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई कि वन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही वन विभाग)

(1.16) श्री चिंतामणि महाराज, माननीय सदस्य ने विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) क्षेत्रों विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में कार्यवाही करने का प्रस्ताव परिषद के समक्षा रखा गया। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सरगुजा संभाग के जिलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) बाहुल्य क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से निवासरत बाहरी व्यक्तियों के संबंध में सर्वे किया जाकर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इसी तरह की कार्यवाही अन्य संभागों में भी की जावे। जबरिया धर्मांतरण के प्रकरण पाये जाने पर नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 मेंनिर्णय के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त पुलिस इकाईयों को पत्र दिनांक 01–09–2016 एवं 25–03–2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पुनः पत्र लिखा जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में पुलिस मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के समस्त जिलों में सर्वे कराया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा रेंज के अंतर्गत जिला–सूरजपुर में मात्र एक प्रकरण निर्मित हुआ है। सूरजपुर में दिनांक 06–08–2016 को एक नाईजिरियन नागरिक नाम–लक्की ओगबेबर निवासी द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती अन्नपूर्णा कुर्रे निवासी प्रतापपुर के साथ सूरजपुर में वीजा समाप्ति दिनांक 28–01–2013 के उपरांत भ्रमण करते पाये जाने पर पुलिस थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 335/16 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 कायम हुआ है, जिसकी विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया है। आदेश प्राप्त उपरांत नाइजिरियन नागरिक को स्वदेश वापस भेजने की कार्यवाही कीजावेगी। इसके अलावा वर्तमान में अनाधिकृत रूप से निवासरत विदेशी व्यक्तियों का और कोई जानकारी परिलक्षित नहीं हुई है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.17) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्र शासन द्वारा केन्दीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) हेतु **''बस्तर बटालियन''** के नाम से नई बटालियन स्वीकृत की गई है। इस बटालियन की विशेषता यह है कि केवल बस्तर संभाग के 700 युवक ही उक्त बटालियन में भर्ती हेतु पात्र होंगे। भर्ती हेतु आवश्यक अर्हतायें यथा ऊचाई आदि में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। निर्धारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 10वीं पास युवकों को विशेष कोचिंग दी जावेगी। परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि ''बस्तर बटालियन'' की भॉति ही सरगुजा बटालियन गठन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावे। परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 मेंगृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सरगुजा बटालियन के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है एवं प्रकरण प्राप्त होने पर भारत सरकार के प्रेषित किया जाएगा। जिस पर निर्णय लिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र दिनांक 12–07–2017 द्वारा छ.ग.जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार **''बस्तर बटालियन''** की भांति ही **''सरगुजा बटालियन''** गठन करने के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

<u>पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक – तीन</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा:–

(3.1) शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता दी जाये। जिस पर निर्णय लिया गया था कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों (सभी वर्गों) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्ही भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को रूपये एक लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों (सभी वर्गो) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्ही भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को रूपये एक लाख की आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नस्ती क्रमांक एफ 24–7/2005/ 20–3/ पार्ट, दिनांक 30–08–2017 द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(3.2) कतिपय जातियां जिन्हें मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता होने के कारण अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा।

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा भरिया, गोंड़, गोड़, पंडो, पण्डो, पन्डो, धांगड़, नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगबंसी, नगवासी, नागबसि नगबसी, गदबा, कोड़ाकू एवं कोंद, के प्रकरण भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, को मात्रात्मक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित किया गया है। निम्नलिखित जातियों के संदर्भ में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सहमति दिये जाने के

उपरांत प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग को सहमति हेतु भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई हैः– 1.कोड़ाकू 2.कोंद 3.भरिया 4.पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा,8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी।परिषद द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया था कि 1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के समतुल्य राज्य मद से राज्य छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास/ आश्रमों में स्वीकृत सीट में से रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश दिये जायें। इन जाति कि विद्यार्थियों, व्यक्तियों को उक्त सुविधाओं के अलावा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त कोई संवैधानिक अधिकार एवं जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन जातियों का नाम सम्मिलित करने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात ही होगी।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा/लिपि में अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजातियों /अनुसूचित जातियों में स्थानीय बोली के कारण कुल 27 जातियों के उच्चारणगत/लेख/ ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30–12–2017 द्वारा मान्य किया जाकर समस्त विभागों को निर्देश जारी किये गये हैं।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2) पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मात्रात्मक त्रुटियों के निराकरण के संबंध में मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल जल्द ही नई दिल्ली में संबंधितों से मिलकर राज्य का पक्ष रखें।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में अवगत कराया गया कि इस संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से भेंट कर मात्रात्मक त्रुटियों का निराकरण शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय :–परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के माननीय संसद सदस्यों से इस संबंध में अनुरोध पत्र लिखा जाये कि वे 1. सौंरा, संवरा, 2. भूईया, भूईयां, भूयां 3. धनुहार, धनुवार, 4. किसान 5. धांगड़ जातियों को छ0ग0 राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु संसद में विधेयक पारित कराने की पहल करें। इसी तरह मात्रात्मक सुधार/वर्तनी त्रुटि के प्रकरण जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में लंबित हैं के निराकरण हेतु भी अनुरोध किया जाये विवरण इस प्रकार है – 1. कोड़ाकू, 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो/पन्डो 5. गोंड़ 6. गदबा 7. नगवंसी/नगवन्सी, नागबंसि, नगबंसी, नगवासी, नागबसि और नगबसी

(कार्यवाही–आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.4) दंतेवाड़ा एवं कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा अन्य स्त्रोतों से राशि की व्यवस्था कर एजुकेशन हब विकसित किये गये हैं। अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल यथा 2000 सीटर आवासीय विद्यालय आदि समावेशन (convergance) के माध्यम से की जाये। संभागीय आयुक्त आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायेंगे।**दिनांक 01.07.2018** की बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य में जावंगा जिला दंतेवाडा एवं सुकमा में एज्युकेशन हब संचालित है तथा कोरबा, नारायणपुर, सरगुजा, बसौली जिला जगदलपुर, बीजापुर एवं बलरामपुर में एज्युकेशन हब निर्माणाधीन है।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(3.5) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (P.V.T.G) के सदस्यों के नसबंदी विषय पर चर्चा हुई । संयुक्त मध्यप्रदेश के समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 13.12.1979 द्वारा इन जातियों के नसबंदी के संबंध में कतिपय प्रबंध लगाये गये हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध के शिथिलीकरण हेतु सही स्तर से परीक्षण कर निर्णय लिया जाये।

दिनांक 01.07.2018 की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13–12–1979 एवं पत्र दिनांक 01–04–2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न निर्देश प्रसारित किए गए हैं :–

(1) परिपत्र दिनांक 13–12–1979 में सम्मिलित विशेष संरक्षित उपजाति समूहों के पुरूष या महिलायें जो नसबंदी के इच्छुक हो, स्वेच्छा से नसबंदी कराने के आशय का आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नसबंदी कराने हेतु स्वेच्छा से आवेदन पत्र दिया गया है, एवं उन्हें आपरेशन के परिणामों की जानकारी दे दी गई है। अतः नसबंदी की जा सकती है। इस संबंध में अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन अथवा स्वास्थ्य विभाग के अन्य जानकार अमले का सहयोग लिया जा सकता है।

(2) अनुविभागीय दण्डाधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित का आपरेशन किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र को संबंधित व्यक्ति के अभिलेख में हिफाजत/संरक्षित रखा जायेगा। नसबंदी आपरेशन केवल पूर्ण सुविधा संपन्न शासकीय चिकित्सालय में ही किया जावेगा। किसी भी स्थिति में यह ऑपरेशन शिविरों में अथवा अशासकीय/निजी अस्पतालों में नहीं किया जावेगा।

(3) विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अतिरिक्त अन्य जनजातियों में नसबंदी सुविधा पूर्व प्रचलित प्रकिया अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 13–12–1979 के पृष्ठ क्रमांक–3 की कंड़िका (6) जिसमें सामान्य और आदिम जाति दोनों वर्ग के आदिवासी सदस्यों को नसबंदी सुविधाएं उपलब्ध कराना, नसबंदी हेतु प्रेरित किया जाना तथा क्षति पूर्ति राशि के हकदार होने का उल्लेख है, यह निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

निर्णय :– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक – दो</u>

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 का अनुमोदन।

(2.1) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित क्षत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवदन वर्ष 2016–17 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – तीन</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :

(3.1) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2017–18 के प्रावधान एवं व्यय की जानकारी अवलोकनार्थ परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(3.2) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2018–19 के बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 के बजट प्रावधान की तुलनात्मक स्थिति के साथ प्रस्तुत किया गया।

(3.3) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय के गठन का प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जनजाति सलाहकार परिषद सचिवालय की स्थापना की जाय। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.4) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सोसायटी स्वरूप में पुनर्गठित किया जाएं।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समुचित संचालन हेतु इस हेतु सोसायटी स्वरूप में पुनर्गठित किया जाएं।

(कार्यवाही–आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.5) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि छ.ग.राज्य जनजाति संस्कृति एवं भाषा अकादमी का गठन किया जाएं।

निर्णय :– परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर सैद्वांतिक सहमति दी गई। तथा निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव के संबंध में राज्य के माननीय सांसद/विधायकों/जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिख कर अकादमी के स्वरूप के संबंध में उनके सुझाव एक माह के भीतर प्राप्त किया जाएं एवं तद्नुसार कार्यवाही की जावें।

(कार्यवाही–आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.6) माननीय सदस्य श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर द्वारा अवगत कराया गया कि गणेशपुर, बरबसपुर, परमेश्वरपुर आदि ग्रामों में वन विभाग द्वारा तिरंगा पट्टा जारी किया गया है, जिसका वन अधिकार हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन हितग्राहियों को भी वन अधिकार पत्र जारी किया जाए।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– वन विभाग)

(3.7) माननीय सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मानपुर–मोहला द्वारा अवगत कराया गया कि प्री.मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास, कौड़ीकसा में 50 छात्र रहते हैं, परन्तु भवन 20 सीटर है। अतः विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– आ.जा. तथा अनु.जा. वि.विभाग)

(3.8) माननीय सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मानपुर–मोहला द्वारा अवगत कराया गया कि कौड़ीकसा में आर्सेनिक युक्त गन्दा पानी आता है, जिसके उपचार की आवश्यकता है। इसी तरह मानपुर में नल–जल व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं है।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

(3.9) माननीय सदस्य श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम शिवपुर, विकासखंड रामानुजनगर, जिला–सुरजपूर में 100 सीटर आश्रम भवन निर्माणाधीन है, जो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही नहीं होने के कारण अधूरा है।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करते हुए स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– आ.जा. तथा अनु.जा. वि.विभाग)

अंत में विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 01–07–2018 में उपस्थित सदस्यों की सूची

कमांक	नाम	पद
1.	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
2.	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. विभाग
3.	माननीय श्री रामसेवक पैंकरा	सदस्य एवं मंत्री, गृह विभाग
4.	माननीय श्री महेश गागड़ा	सदस्य एवं मंत्री, वन, विधि और विधायी कार्य विभाग
5.	माननीय श्री दिनेश कश्यप	सदस्य एवं लोक सभा सदस्य बस्तर
6.	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं संसदीय सचिव
7.	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं संसदीय सचिव
8.	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक सिहावा
9.	माननीय श्री चिन्तामणी महाराज	सदस्य एवं विधायक लुण्ड्रा
10.	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम	सदस्य एवं विधायक मोहला–मानपुर
11.	माननीय श्री खेलसाय सिंह	सदस्य एवं विधायक प्रेमनगर
12.	श्रीमती मुन्नी बाई	अध्यक्ष, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर (विशेष आमंत्रित)
13.	श्री मंगटू राम नूरेटी	अध्यक्ष, अबुझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर (विशेष आमंत्रित)

परिशिष्ट–2
छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक
दिनांक 01–07–2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

कमांक	नाम	पद
1.	श्री अजय सिंह	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2.	श्री सी.के.खेतान	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
3.	श्री अमन सिंह	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
4.	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
5.	सुश्री ऋचा शर्मा	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
6.	श्री सुबोध कुमार सिंह	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
7.	श्री गौरव द्विवेदी	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
8.	श्री ए.एन.उपाध्याय	पुलिस महानिदेशक
9.	श्री आशीष कुमार भट्ट	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर
10.	सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग
11.	सुश्री निहारिका बारिक	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग
12.	सुश्री रीता शांडिल्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं सहकारिता विभाग
13.	श्री सुरेन्द्र कुंमार जायसवाल	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
14.	श्री पंकज कुमार सिन्हा	अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
15.	श्री एल.एस.केन	अपर आयुक्त रायपुर संभाग
16.	श्री दिलीप वासनीकर	आयुक्त बस्तर संभाग
17.	श्री महावीर राम	उपायुक्त सरगुजा संभाग
18.	श्री आर.के.सिंह	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
19.	श्री मुदित कुमार सिंह	प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

20.	श्री निरंजन दास	संचालक, नगरीय प्रशासन
21.	श्री आलोक कुमार सिंहा	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
22.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा	चिप्स, रायपुर
23.	श्री संदीप टिकरिहा	चिप्स, रायपुर
24.	श्री मदन मोहन राउत	चिप्स, रायपुर
25.	श्री हरिश सिंहा	चिप्स, रायपुर
26.	श्री कृष्णनंदन कुमार	चिप्स, रायपुर
27.	डॉ. स्वपन कुमार कोले,	विभागाध्यक्ष, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

✵✵✵✵✵

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो हेतु कार्यवार आबंटित राशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	बस्तर	कोण्डागांव	दंतेवाड़ा	सुकमा	बीजापुर	नारायणपुर	कांकेर	गरियाबंद	धमतरी	बालोद	राजनांदगांव	बिलासपुर	सरगुजा	सूरजपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Construction of 500 seats hostel in 13 TD Block HQ in TSP area (per unit cost Rs. 10.00 cr.)	846.00	100.00		423.00	177.00		423.00		100.00			423.00	100.00	100.00
2	Construction of 500 seats hostel in 15 TD Block HQ in TSP area (per unit cost Rs. 10.00 cr.)	1272.5	718.61	300	100	200	994.04	200				497.05			100
3	Construction of 50 hostels building (per building cost 1.00 cr.)	838.95	195.3		20.1		100.20	28.87	50.1			20.1		55.145	
4	Multi lingual Education at Primary School Level														

5	Phase 02 of Digitization of records of forest rights distributed under FR act 2006 including geo tagging of distribution land & development of software related.														
	Total	**2957.47**	**1013.91**	**300.00**	**543.10**	**377.00**	**1094.24**	**651.87**	**50.10**	**100.00**	**0.00**	**517.15**	**423.00**	**155.15**	**200.00**

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	बलरामपुर	कोरबा	रायगढ़	जशपुर	कोरिया	बलौदाबाजार	कबीरधाम	एससीआरटी	चिप्स रायपुर	योग
1	**2**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
1	Construction of 500 seats hostel in 13 TD Block HQ in TSP area (per unit cost Rs. 10.00 cr.)		108.00	100.00	100.00						**3000.00**
2	Construction of 500 seats hostel in 15 TD Block HQ in TSP area (per unit cost Rs. 10.00 cr.)	100		496.05		497.05					**5475.32**
3	Construction of 50 hostels building (per building cost 1.00 cr.)			19.98	20.1		27.85	55.15			**1431.84**
4	Multi lingual Education at Primary School Level								300		**300.00**
5	Phase 02 of Digitization of records of forest rights distributed under FR act 2006 including geo tagging of distribution land & development of software related.									135.49	**135.49**
	Total	**100.00**	**108.00**	**616.03**	**120.10**	**497.05**	**27.85**	**55.15**	**300.00**	**135.49**	**10342.65**

परिशिष्ट–2

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत कार्य योजना का विवरण वर्ष 2018–19

(राशि लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	वर्ष 2018–19 की स्थिति में कमिटेड लायबिलिटी	वर्ष 2018–19 में स्वीकृत राशि	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन	कार्य स्थल से संबंधित परियोजना/ माडा/ जिले का नाम	कार्य स्थल का नाम
1.	संचालन हेतु आवर्ती मद 5302 विद्यार्थी प्रति विद्यार्थी 42000.00 के मान से)	4169.70	4169.70	4169.70	बस्तर, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, दंतेवाडा, कोरिया, बीजापुर, कोरबा, बिलासपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कबीरधाम,राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, महासमुंद, सुकमा एवं मुंगेली।	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड जिला बस्तर, बेसोली जिला बस्तर अंतागढ़ जिला कांकेर, मैनपाट जिला सरगुजा, शिवप्रसाद नगर, जिला सूरजपुर छोटेमुडपार जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर, कटेकल्याण जिला दंतेवाडा, खड़गंवा जिला कोरिया, भैरमगढ़ जिला बीजापुर, छुरी कटघोरा जिला कोरबा,, डोंगरिया, मरवाही जिला बिलासपुर, मर्दापाल जिला कोण्डागांव, नारायणपुर जिला नारायणपुर, तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम, पेण्ड्री जिला राजनांदगांव, नगरी, जिला धमतरी, छुरा, जिला–गरियाबंद, डौंडी, जिला–बालोद, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर, सक्ती, जिला–महासमुंद, महासमुंद, जिला–महासमुंद, सुकमा, जिला–सुकमा एवं लोरमी, जिला–मुंगेली।
2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में संगीत प्रतियोगिता का अयोजन हेतु	17.795	017.795	17.795	बस्तर, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, दंतेवाडा, कोरिया, बीजापुर, कोरबा, बिलासपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कबीरधाम,राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, महासमुंद, सुकमा एवं मुंगेली।	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड जिला बस्तर, बेसोली जिला बस्तर अंतागढ़ जिला कांकेर, मैनपाट जिला सरगुजा, शिवप्रसाद नगर, जिला सूरजपुर छोटेमुडपार जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर, कटेकल्याण जिला दंतेवाडा, खड़गंवा जिला कोरिया, भैरमगढ़ जिला बीजापुर, छुरी कटघोरा जिला कोरबा,, डोंगरिया, मरवाही जिला बिलासपुर, मर्दापाल जिला कोण्डागांव, नारायणपुर जिला नारायणपुर, तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम, पेण्ड्री जिला राजनांदगांव, नगरी, जिला धमतरी, छुरा, जिला–गरियाबंद, डौंडी, जिला–बालोद, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर, सक्ती, जिला–महासमुंद, महासमुंद, जिला–महासमुंद, सुकमा, जिला–सुकमा एवं लोरमी, जिला–मुंगेली।
3	09 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण	2308.55	2308.55	2308.55	गरियाबंद, बालोद, बलरामपुर, सुकमा,धमतरी, जांजगीर चांपा, महासमुंद, बलौदा बाजार, मुंगेली।	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन गरियाबंद जिला गरियाबंद, बालोद जिला बालोद, बलरामपुर जिला बलरामपुर, सुकमा जिला सुकमा, नगरी जिला धमतरी, चांपा जिला जांजगीर–चांपा, महासमुंद जिला महासमुंद, कसडोल जिला बलौदाबाजार, लोरमी जिला मुंगेली
4.	05 प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	3289.18	1862.78	1862.78	आई.टी.डी.पी. अंबिकापुर, जगदलपुर,भानुप्रतापपुर,गौरेला तथा कलेक्टर दुर्ग।	सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर
5	13 आदिवासी विकासखंडों में 500 सीटर छात्रावास/ आश्रम भवनों का निर्माण प्रति इकाई लागत रु. 1524.20 लाख	1000.00	1000.00	1000.00	आई.टी.डी.पी. जगदलपुर ,कोण्डागांव,बीजापुर,सुकमा,कांकेर,धमतरी,बिलासपुरसूरजपुर,सरगुजा, कोरबा,रायगढ एवं जशपुर	बस्तर,कोण्डागांव,बीजापुर,सुकमा,कांकेर,धमतरी,बिलासपुर सूरजपुर,सरगुजा, कोरबा,रायगढ एवं जशपुर

6	50 सीटर 50 अनुसूचित जनजाति छात्रावस भवन	1586.09	1586.09	1586.09	परियोजना–राजनांदगांव, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, सरगुजा ,धरमजयगढ़, कोरबा, कोण्डागांव, जशपुर, कांकेर, गरियाबंद,दुर्ग, कबीरधामएवं बलौदाबाजार	50 सीटर 50 प्री. मैट्रिक/पो. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रं. 2 मोहला, वि.खं. मोहला, जिला राजनांदगांवछुरिया, वि.खं. छुरिया, जिला राजनांदगांव बकावण्ड, जिला जगदलपुर,बकावण्ड, मुली, बड़ेकिलेपाल, कोड़ेनार (बरछेपाल), कुगांरपाल केशरपाल सिवनी, भानपुरी (कालेज स्तर) सालेमेटा, चपका, इच्छापुर,मुण्डागांव, भानपुरी (कालेज स्तर), गुनपुर,,मांदलापाल (इच्छापुर),दरभा, ढोढरेपाल, मोरठपाल, जगदलपुर (कालेज स्तर),, जगदलपुर (कालेज स्तर) आड़ाववाल, (तारागांव लोहण्डीगुड़ा), मारडुम लोहण्डीगुड़ा, बिन्ता जिला जगदलपुर, कोन्टा जिला सुकमा, बेनूर, वि.खं. नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छोटेडोंगर, वि.खं. नारायणपुर, जिला नारायणपुर मुरा वि.खं. खरसिया, जिला रायगढ़,, जवाली, वि.खं. कटघोरा, जिला कोरबा, गोलावण्ड, वि.खं. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, खण्डाम, वि.खं. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, बयानार, वि.खं. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, कांगा, वि.खं. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, माड़ानार, वि.खं. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव सन्ना, वि.खं. बगीचा, जिला जशपुर, कोदागांव, वि.खं. कांकेर, जिला कांकेर, नरहरदेव, वि.खं. कांकेर, जिला कांकेर, गरियाबंद, वि.खं. गरियाबंद, जिला गरियाबंद, इन्दौरी, वि.खं. कवर्धा, जिला कबीरधाम, रामपुर (ठाठापुर) वि. खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम, (स्नोतकोत्तर स्तर) दुर्ग, वि.खं. दुर्ग, जिला दुर्ग, (स्नोतकोत्तर स्तर) दुर्ग, वि.खं. दुर्ग, जिला दुर्ग, कसडोल, वि.खं. सिमगा, जिला बलौदाबाजार
7	02 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं 01 एकलव्य आदर्श डे–बोर्डिग विद्यालय	408.00	408.00	408.00	गौरेला, कोरबा एवं नारायणपुर	बिलासपुर, कोरबा एवं नारायणपुर
	योग :–	11352.92	11352.92	11352.92		

परिशिष्ट–3

विशेष रूप से कमजोर जनजातिसमूह हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2018–19

(राशि लाखों में)

क.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत(लाख रू.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**सुरक्षित पेयजल**													
(1)	प्राकृतिक स्रोत का विकास (प्रति इकाई लागत 0.20 लाख)	0.20	7	1.40	25	5.00	2	0.40	11	2.20	4	0.80	**49**	**9.80**
(2)	लौह प्रभावित क्षेत्रों के हैंड पंप में आयरन रिमुवल किट स्थापना (प्रति इकाई लागत 0.60 लाख)	0.60	7	4.20	25	15.00	2	1.20	11	6.60	4	2.40	**49**	**29.40**
(3)	सामुदायिक जल आपूर्ति योजना–10000 लीटर क्षमता टैंक निर्माण एवं सोलर पंप व पाइप लाइन सहित।(प्रति इकाई लागत 10.00 लाख)	10.00	1	10.00	5	50.00	1	10.00	2	20.00	1	10.00	**10**	**100.00**
(4)	हैंडपंप स्थापना (प्रति इकाई लागत 1.00 लाख)	1.00	7	7.00	25	25.00	2	2.00	11	11.00	4	4.00	**49**	**49.00**
	योग		**22**	**22.60**	**80**	**95.00**	**7**	**13.60**	**35**	**39.80**	**13**	**17.20**	**157**	**188.20**
2	**सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली संवर्धन**													
(1)	केडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना। (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	25	27.50	93	102.30	9	9.90	43	47.30	15	16.50	**185**	**203.50**
	योग		**25**	**27.50**	**93**	**102.30**	**9**	**9.90**	**43**	**47.30**	**15**	**16.50**	**185**	**203.50**
3	**एकीकृत बाड़ी विकास**													
(1)	ट्यूबवेल स्थापना सोलर पंप सहित (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	7	7.70	25	27.50	2	2.20	11	12.10	4	4.40	**49**	**53.90**
	योग		**7**	**7.70**	**25**	**27.50**	**2**	**2.20**	**11**	**12.10**	**4**	**4.40**	**49**	**53.90**
4	**कौशल विकास**													
	रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम													
(1)	लाख पालन प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.10 लाख)	0.10	12	1.20	47	4.70	5	0.50	22	2.20	7	0.70	**93**	**9.30**
(2)	सौर विद्युत प्रणाली स्थापक एवं सेवा प्रदाता प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.25 लाख)	0.25	12	3.00	47	11.75	5	1.25	22	5.50	7	1.75	**93**	**23.25**
	योग		**24**	**4.20**	**94**	**16.45**	**10**	**1.75**	**44**	**7.70**	**14**	**2.45**	**186**	**32.55**

क.	कार्यकम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन											
(1)	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		1	3.00	1	3.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00
	योग		**1**	**3.00**	**1**	**3.00**	**1**	**1.00**	**1**	**1.00**	**1**	**1.00**
	कुल योग		**79**	**65.00**	**293**	**244.25**	**29**	**28.45**	**134**	**107.90**	**47**	**41.55**
6	सुरक्षित पेयजल											
(1)	प्राकृतिक स्रोत का विकास (प्रति इकाई लागत 0.20 लाख)	0.20	6	1.20	9	1.80	2	0.40	8	1.60	**25**	**5.00**
(2)	लौह प्रभावित क्षेत्रों के हैंड पंप में आयरन रिमुवल किट स्थापना (प्रति इकाई लागत 0.60 लाख)	0.60	6	3.60	9	5.40	2	1.20	8	4.80	**25**	**15.00**
(3)	सामुदायिक जल आपूर्ति योजना–10000 लीटर क्षमता टैंक निर्माण एवं सोलर पंप व पाइप लाइन सहित।(प्रति इकाई लागत 10.00 लाख)	10.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	2	20.00	**5**	**50.00**
(4)	हैंडपंप स्थापना (प्रति इकाई लागत 1.00 लाख)	1.00	6	6.00	9	9.00	2	2.00	8	8.00	**25**	**25.00**
	योग		**19**	**20.80**	**29**	**36.20**	**6**	**3.60**	**26**	**34.40**	**80**	**95.00**
7	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली संवर्धन											
(1)	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना। (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	25	27.50	34	37.40	6	6.60	32	35.20	**97**	**106.70**
	योग		**25**	**27.50**	**34**	**37.40**	**6**	**6.60**	**32**	**35.20**	**97**	**106.70**
8	एकीकृत बाड़ी विकास											
(1)	ट्यूबवेल स्थापना सोलर पंप सहित (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	6	6.60	9	9.90	2	2.20	8	8.80	**25**	**27.50**
	योग		**6**	**6.60**	**9**	**9.90**	**2**	**2.20**	**8**	**8.80**	**25**	**27.50**

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	कौशल विकास											
9	**रोजगार सह आयमूलक कार्यक्रम**											
(1)	लाख पालन प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.10 लाख)	0.10	12	1.20	17	1.70	3	0.30	16	1.60	**48**	**4.80**
(2)	सौर विद्युत प्रणाली स्थापक एवं सेवा प्रदाता प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.25 लाख)	0.25	12	3.00	17	4.25	3	0.75	16	4.00	**48**	**12.00**
	योग		**24**	**4.20**	**34**	**5.95**	**6**	**1.05**	**32**	**5.60**	**96**	**16.80**
10	**जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन**											
(1)	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		1	3.00	1	3.00	1	1.00	1	1.00	**4**	**8.00**
	योग		**1**	**3.00**	**1**	**3.00**	**1**	**1.00**	**1**	**1.00**	**4**	**8.00**
	कुल योग		**75**	**62.10**	**107**	**92.45**	**21**	**14.45**	**99**	**85.00**	**302**	**254.00**

विशेष रूप से कमजोर बिरहोर जनजाति समूह हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2018–19

(राशि लाखों में)

क.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बिरहोर जशपुर		बिरहोर बिलासपुर		बिरहोर कोरबा		बिरहोर रायगढ़		योग बिरहोर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**सुरक्षित पेयजल**											
(1)	प्राकृतिक स्रोत का विकास (प्रति इकाई लागत 0.20 लाख)	0.20	0	0.00	0	0.00	1	0.20	1	0.20	**2**	**0.40**
(2)	लौह प्रभावित क्षेत्रों के हैंड पंप में आयरन रिमुवल किट स्थापना (प्रति इकाई लागत 0.60 लाख)	0.60	0	0.00	0	0.00	1	0.60	1	0.60	**2**	**1.20**
(3)	सामुदायिक जल आपूर्ति योजना–10000 लीटर क्षमता टैंक निर्माण एवं सोलर पंप व पाइप लाइन सहित।(प्रति इकाई लागत 10.00 लाख)	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
(4)	हैंडपंप स्थापना (प्रति इकाई लागत 1.00 लाख)	1.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	1	1.00	**2**	**2.00**
	योग		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**3**	**1.80**	**3**	**1.80**	**6**	**3.60**
2	**सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली संवर्धन**											
(1)	केडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना। (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	1	1.10	1	1.10	3	3.30	3	3.30	**8**	**8.80**
	योग		**1**	**1.10**	**1**	**1.10**	**3**	**3.30**	**3**	**3.30**	**8**	**8.80**
3	**एकीकृत बाड़ी विकास**											
(1)	ट्यूबवेल स्थापना सोलर पंप सहित (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	0	0.00	0	0.00	1	1.10	1	1.10	**2**	**2.20**
	योग		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**1.10**	**1**	**1.10**	**2**	**2.20**
4	**कौशल विकास**											
	रोजगार सह आयमूलक कार्यकम											
(1)	लाख पालन प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.10 लाख)	0.10	1	0.10	0	0.00	2	0.20	1	0.10	**4**	**0.40**

(2)	सौर विद्युत प्रणाली स्थापक एवं सेवा प्रदाता प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.25 लाख)	0.25	1	0.25	0	0.00	2	0.50	1	0.25	**4**	**1.00**
	योग		**2**	**0.35**	**0**	**0.00**	**4**	**0.70**	**2**	**0.35**	**8**	**1.40**
5	**जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन**											
(1)	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1.00 लाख)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	**1**	**1.00**
	योग		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**1.00**	**1**	**1.00**
	कुल योग		**3**	**1.45**	**1**	**1.10**	**11**	**6.90**	**10**	**7.55**	**25**	**17.00**

विशेष रूप से कमजोर कमार एवं अबूझमाड़िया जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2018–19

(राशि लाख में)

क.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू. में)	कमार गरियाबंद		कमार नगरी		कमार भानुप्रतापपुर		कमार महासमुंद		योग कमार		अबूझमाड़ नारायणपुर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**सुरक्षित पेयजल**													
(1)	प्राकृतिक स्रोत का विकास (प्रति इकाई लागत 0.20 लाख)	0.20	10	2.00	4	0.80	0	0.00	2	0.40	**16**	**3.20**	**13**	**2.60**
(2)	लौह प्रभावित क्षेत्रों के हैंड पंप में आयरन रिमुवल किट स्थापना (प्रति इकाई लागत 0.60 लाख)	0.60	10	6.00	4	2.40	0	0.00	2	1.20	**16**	**9.60**	**13**	**7.80**
(3)	सामुदायिक जल आपूर्ति योजना–10000 लीटर क्षमता टैंक निर्माण एवं सोलर पंप व पाइप लाइन सहित।(प्रति इकाई लागत 10.00 लाख)	10.00	2	20.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	**3**	**30.00**	**3**	**30.00**
(4)	हैंडपंप स्थापना (प्रति इकाई लागत 1.00 लाख)	1.00	10	10.00	4	4.00	0	0.00	2	2.00	**16**	**16.00**	**13**	**13.00**
	योग		**32**	**38.00**	**13**	**17.20**	**0**	**0.00**	**6**	**3.60**	**51**	**58.80**	**42**	**53.40**
2	**सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली संवर्धन**										**0**	**0.00**		
(1)	क्रेडा के माध्यम से सौर सुजला योजना अंतर्गत बोरवेल सह सोलर पंप की स्थापना। (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	37	40.70	15	16.50	1	1.10	7	7.70	60	66.00	**50**	**55.00**
	योग		**37**	**40.70**	**15**	**16.50**	**1**	**1.10**	**7**	**7.70**	**60**	**66.00**	**50**	**55.00**
3	**एकीकृत बाड़ी विकास**													
(1)	ट्यूबवेल स्थापना सोलर पंप सहित (प्रति इकाई लागत 1.10 लाख)	1.10	10	11.00	4	4.40	0	0.00	2	2.20	16	17.60	13	14.30
	योग		10	11.00	4	4.40	0	0.00	2	2.20	16	17.60	13	14.30

4	**कौशल विकास**													
	रोजगार सह आयमूलक कार्यकम													
(1)	लाख पालन प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0.10 लाख)	0.10	19	1.90	7	0.70	0	0.00	4	0.40	30	3.00	25	2.50
(2)	सौर विद्युत प्रणाली स्थापक एवं सेवा प्रदाता प्रशिक्षण (प्रति इकाई लागत 0. 25 लाख)	0.25	19	4.75	7	1.75	0	0.0	4	1.00	30	7.50	25	6.25
	योग		38	6.65	14	2.45	0	0.00	8	1.40	60	10.50	50	8.75
5	**जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संवर्धन**													
(1)	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता (अभिकरण हेतु 3.00 लाख, प्रकोष्ठ हेतु 1. 00 लाख)		1	3.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4	6.00	1	3.00
	योग		1	3.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4	6.00	1	3.00
	कुल योग		**118**	**99.35**	**47**	**41.55**	**2**	**2.10**	**24**	**15.90**	**191**	**158.90**	**156**	**134.45**

*****